

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

28 सितम्बर, 1995

खण्ड 2, अंक 4

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 28 सितम्बर, 1995

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4) 1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(4) 33
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4)34
शोक प्रस्ताव	(4) 50
मन्त्री-परिषद के विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव	(4)51
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव (पुनैरारम्भ)	(4) 64
अध्यक्ष द्वारा निरूपण-	
सदन में मर्यादा बनाये रखने सम्बन्धी	(4) 95
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव (पुनरारम्भ)	(4) 96
वाक आउट	(4) 97
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव (पुनरारम्भ)	(4) 97
वर्ष 1989- 90 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से	(4) 99

अधिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान	
बैठक का समय बढ़ाना	(4)101
ओबल्ज—	
(1) दि हरियाणा पंचायती राज (अमैडमैट) बिल, 1995	(4) 101
वाक आउट	(4) 100
बिलज (पुनरारम्भ)	
(2) दि पंजाब विलेज कौमन लैण्डज (रैगुलेशन) हरियाणा अमैडमैट बिल, 1995	(4) 103
(3) दि पंजाब टारुन इम्प्रूवमैट (हरियाणा अमैडमैट) बिल, 1995	(4) 105
(4) दि हरियाणा स्कुल एजुकेशन बिल, 1995	(4)106
बैठक का समय बढ़ाना	(4) 119
बिलज (पुनरारम्भ)	(4) 119
(5) दि हरियाणा सर्विस आफ इंजीनियर्ज क्लास 1, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमैट. (बिल्डिंगज एण्ड रोड्ज ब्रांच) (पब्लिक हेल्थ ब्रांच) एण्ड (इरीगेशन ब्रांच) रिस्पैक्टिविली, बिल, 1995	(4) 121

बैठक का समय बढ़ाना	(4) 126
बिलज (पुररारम्भ)	(4) 126
बैठक का समय बढ़ाना	(4) 134
बिलज (पुनरारम्भ)	(4) 134
वाक आउट	(4) 135
बिलज (पुनरारम्भ)	(4) 136
बैठक का समय बढ़ाना	(4) 139
बिलज (पुनरारम्भ)	(4) 139
बैठक का समय बढ़ाना	(4) 141
वाक आउट	(4) 142
बिलज (पुनरारम्भ)	(4) 142

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 25 सितम्बर, 1995

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर- 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) में अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: साहेबान, अब सवाल होंगे।

Upgradation of Schools

1202. Prof. Chhattar Singh Chauhan : Will the Minister for Education be pleased to state the block-wise number of schools upgraded from Primary to Middle and Middle to High and from High to 10+2 system in the State during the year 1995-96?

Education Minister (Shri Phool Chand Mallana) : The statement is laid on the table of the House.

Statement

	Name of the Block	Number of schools upgraded		
		Primary to Middle	Middle to High	High to Sr. Sec.
1	2	3	4	5
	District Ambala			

1.	Morni	1	3	1
2.	Barwala	1	3	2
3.	Pinjore	8	6	3
4.	Naraingarh	1	3	2
5.	Ambala	2	5	4
6.	Barara	3	3	3
7.	Raipur Rani	Nil.	1	Nil.
	District Bhiwani			
1.	Bhiwani-I	—	1	1
2.	Bhiwani-II	—	1	2
3.	Bawani Khera	1	4	-
4.	Tosham	1	3	2
5.	Dadri-I	1	2	2
6.	Dadri-II	1	2	2
7.	Badhra	1	2	1
8.	Loharu	I	—	2
	District Faridabad			
1.	Hathin	1	2	

2.	Hodal	1	2	1
3.	Ballabgarh	3	1	1
4.	Faridabad	1	2	4
5.	Palwal			
	District Gurgaon			
1.	Tauru	2	—	
2.	Punhana	1	1	2
3.	Gurgaon	2	2	2
4.	Farukhnagar	1	—	1
5.	Pataudi	1	1	1
6.	Nagina	1		-
7.	Sohna	—	2	2
8.	Nuh	—	2	1
9.	Ferozpur Jhirka	—	1	1
10.	Manesar	—		1
	District Hisar			
1.	Ratia	3	1	2
2.	Bhuna	2	3	1
3.	Hansi-I	1	1	2

4.	Fatehabad	1	2	2
5.	Barwala	2	3	2
6.	Uklana	2	2	-
7.	Narnaund	2	—	1
8.	Siwani	3	1	-
9.	Agroha	1	2	1
10.	Adampur	3	_	4
11.	Hisar-I	3	2	2
12.	Hisar-II	2	4	1
13.	Tohana	—	2	2
14.	Bass	—	3	1
	District Jind			
1.	Jind	1	2	2
2.	Julana	1	1	2
3.	Safidon	1	1	2
4.	Alewa	2	1	-
5.	Narwana	1	—	
6.	Uchana	—	3	1
	District Karnal			

1.	Assandh	2	2	1
2.	Jundla	2		1
3.	Karnal	1		2
4.	Gharaunda	1	—	
5.	Indri	1	1	--
6.	Nilokheri	1	—	2
7.	Nissing	—	2	1
	District Kurukshetra			
1.	Babain	—	—	1
2.	Shahbad	i	—	1
3.	Pehowa	2	—	1
4.	Thanesar	2	3	—
	District Kaithal			
1.	Kaithal	1	1	2
2.	Gulha	2	1	1
3.	Pundri	1	2	2
4.	Kalayath	(1+ 1 Unconfirmed.)	—	1
5.	Rajaund	1	—	1

	District Mohindergarh			
I.	Narnaul	-	-	-
2.	Kanina	1	1	1
3.	Ateli	1	—	2
4.	Nangal Chaudhry	4		
5.	Mohindergarh	—	1	-
	District Panipat			
1.	Panipat	1	1	3
2.	Bapoli	1	1	—
3.	Israna	1	1	-
4.	Madlauda	—	4	-
5.	Samalkha	2	—	1
	District Rewari			
1.	Rewari	2	2	2
2.	Khol	1	1	1
3.	Nahar	—	1	1
4.	Bawal	—	—	1
5.	Jatusana	—	—	1
	District Rohtak			

1.	Meham	2	—	3
2.	Kalanaur	1	3	1
3.	Bahadurgarh	1	—	1
4.	Jhajjar	1	—	-
5.	Sampla	3	2	3
6.	Beni	1	1	1
7.	Sahlawas	2	2	1
	District Sirsa			
1.	Nathusari	—	1	—
2.	Sirsa	1	1	2
3.	Ellenabad	1	1	—
4.	Rania	2	2	
5.	Dabwali	—	—	1
6.	Odhan	4	2	1
7.	Bara Gudha	2		
	District Sonipat			
1.	Kharkhoda	1	4	-
2.	Gana ur	1	3	1
3.	Rai	2	—	2

4.	Sonipat	2	1	4
5.	Gohana	3	3	1
6.	Mud lana	1	—	1
7.	Kathura	2	1	1
	District Yamuna Nagar			
1.	Jagadhari	2	2	
2.	Chhachhrauli	1	—	2
3.	Radaur	1	1	1
4.	Bilaspur	1	2	2
5.	Sadhaura	1	—	

प्रो० छतर सिंह चौहान: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन्होंने जो स्कूल्स अपग्रेड करने की लिस्ट जिलावाइज दी है, उस का क्राइटेरिया क्या है? मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि पिंजौर में 8 प्राइमरी स्कूल से मिडिल अपग्रेड किए गए हैं और 6 मिडिल से हाई। इसी प्रकार 3 स्कूलज हाई से हायर-सैकेण्डरी में अपग्रेड किए गए हैं। भिवानी में कोई भी स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया। इसी प्रकार दूसरे जिलों के ब्लाकस के साथ भी हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि पिंजौर ब्लाक में स्कूल अपग्रेड करने को क्या कोई क्राइटेरिया अलग था या कोई पोलिटिकल दबाव के

कारण ऐसा करना पड़ा? मैं जानना चाहता हूँ कि जो दूसरे खम्सों के स्कूलों को अपग्रेड नहीं किया गया, उसका क्या कारण है?

श्री फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, एक बात तो इन्होंने यह पूछी कि स्कूल अपग्रेड करने का क्या क्राईटेरिया है। मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा क्राईटेरिया तो उस इलाके की आवश्यकता है। फिर इन्होंने जानना चाहा कि स्कूलज अपग्रेड करने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए? प्राईमरी से मिडल स्कूल अपग्रेड करने के लिए कम से कम 150 स्टूडेंट्स होने चाहिए और उस गांव की आबादी 500 के करीब होनी चाहिए। एक सवाल इनका यह था कि पिंजौर ब्लाक में 8 स्कूल अपग्रेड क्यों कर' दिए। अध्यक्ष महोदय, शिवालिक एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां पर मिडिल तो क्या, प्राईमरी स्कूलों की भी कमी है। इस पिछड़े एरिया में शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। साथ ही एक बात कह दी कि भिवानी को और दूसरे जिलों को क्यों इग्नोर कर दिया। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि रिवाड़ी में छः स्कूल अपग्रेड हुए हैं। ये प्राईमरी से से मिडल हुए हैं और 5 स्कूल मिडल से हाई अपग्रेड हुए हैं और 2 स्कूल 10 + 2 में अपग्रेड हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि पिछली पांच साला प्लान में 416 स्कूल अपग्रेड करने का टारगैट था जबकि हमने 946 स्कूल अपग्रेड किए हैं।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय, ने जवाब दिया कि आवश्यकतानुसार स्कूल अपग्रेड किए जाते हैं। इन्होंने भिवानी में 6 स्कूल अपग्रेड किए हैं और इधर पिंजौर में 20

स्कूल अपग्रेड किए हैं। क्या 6 और 20 का अनुपात मिडल से हाई स्कूल अपग्रेड करते समय क्राईटेरिया ठीक लगता है। मैं बताना चाहूंगा कि मेरी कांस्टीचुएंसी के एक गांव में 1926 से एक ही मिडल स्कूल है लेकिन उसको हाई स्कूल नहीं बनाया गया है। माननीय मन्त्री जी अम्बाला जिले से विधायक हैं और अम्बाला जिला से ही मिनिस्टर भी हैं। अम्बाला जिले में 20 स्कूल अपग्रेड किए गए हैं जबकि भिवानी जिले में केवल 6 स्कूल अपग्रेड किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, फून चन्द मुलाना जी सारे हरियाणा के शिक्षा मन्त्री हैं, वे केवल अम्बाला के ही शिक्षा मन्त्री नहीं हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि कृपया स्कूलों को अपग्रेड करने में कोई विडिक्टिव नजरिया न रखें।

श्री फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रो० छत्तर सिंह जी ने कहा है कि अम्बाला जिले में 20 स्कूल अपग्रेड किए हैं। मैं हुनको बताना चाहूंगा कि इन 20 स्कूलों में 16 स्कूल प्राईमरी से मिडल अपग्रेड किए गए हैं। ये अम्बाला जिला की बात कर रहे हैं, इसमें अब दो जिले हैं, एक अम्बाला और दूसरा पंचकूला, जिसके साथ मोरनी जैसा पिछड़ा हुआ क्षेत्र भी शामिल है। भिवानी जिला के साथ कोई पोलिटिकल विंडिक्टिवनैस की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार की नीति बड़ी खुली नीति है और सरकार खुले दिल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, इसमें कोई पार्टी बेसड या जाति बेसल बात नहीं है। यह तो शिक्षा का क्षेत है और शिक्षा के विकास की नीति सरकार की है। जहां सरकार ने 400 स्कूलों को अपग्रेड करने का टारगेट रखा था, उसके

मूकाबले में हमने 944 स्कूलों को अपग्रेड किया है (इस समय मेजे थप थपाई गई) ओर जहां आवश्यकता होगी हम और भी स्कूलों को अपग्रेड करेंगे।

तारांकित प्रश्न सं० 1208

प्रो० छतर सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, श्री कर्ण सिंह दलाल किसी कारणवश चले गए हैं और जाते हुए इसे तारांकित प्रश्न संख्या 1208 पूछने तथा पुट करने के लिए कह गए थे। मे आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुझे सम 50 के पार्ट (3) के तहत कवैश्चन पुट करने को अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: क्या उन्होंने आपको हम राईटिंग एथोराईज कर दिया है?

प्रो० छतर सिंह चौहान: जी नहीं, उन्होंने मुझे टेलीफोन पर कहा या इसलिए मेरा निवेदन है कि मुझे कवैश्चन पुट करने की अनुमति प्रदान करने ही कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: ऐसे एलाऊ नहीं किया जा सकता इसलिए आप बैठें, रिटिन अथौरिटी होनी चाहिए।

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य थी कर्ण सिंह दलाल सदन में उपस्थित नहीं थे)

Sanctioned Posts of P. T . N. D. S. and D. P. Ed.

***1213. Shri Azmat Khan :** Will the Minister for

Education be pleased to state—

(a) the districtwise and blockwise number of sanctioned posts of P. T. I., N. D. S. and D. P. Ed. in the State; and

(b) the districtwise and blockwise number of posts out of those referred to in part (a) above lying vacant at present?

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana)

(a) & (b) The statement is laid on the Table of the House ,

STATEMENT

Statement showing the total number of sanctioned posts of P .T.Is. N.D.S.is. and D.P.Ed. in the State and posts lying vacant at present (Districtwise and Blockwise)

			P.T. I		N.D.S.I.		D.P.Ed./ DPE	
Sr. No.	Name of the Distt.	Name of the Block	No. of Posts Sanctioned	No. of Posts vacant	No. of posts provided by Central Govt.	No. of posts vacant	No. of posts sanctioned	No. of posts vacant
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ambala	Ambala	38	—	30	—	12	4
		Barara	30	—	—	—	15	10
		Naraingarh	30	—	2	—	4	—
		Pinjore	12	1	2	—	12	4
		M orni	6	1	—	—	3	

		Barwala	5	-	2	—	5	-
		Raipur Rani	13		—	-	3	—
			134	2	36		54	1 8
2.	Faridabad	Ballabgarh	39	1	7	—	9	2
		Faridabad	59	—	20	-	9	4
		Palwal	36	1	6	—	10	4
		Hodel	32	-	3	—	3	1
		Hathin	30	1	2	—	1	3
			196	3	38	—		38 14
3.	Gurgaon	Gurgaon	34	—	6	—	6	2
		Farukh Nagar	30	—	2	—	3	1
		Soh na	24	—	—	—	4	2

		Manesar	18	—	—	—	1	1
		Pataudi	22	1	2	—	3	1
		Nuh	19	1	—	—	1	1
		Tauru	11	1	1	—	1	—
		Ferozpur Jhirka	10	4	—	—	1	1
		Punhana	9	8	—	—	3	1
		Nag Ina	14	4	—	—	2	2
			191	19	11	—	25	12
4.	Jind	Na rwana	32	2	1	—	4	3
		Uchana	32	2	1	—	4	2
		J Ind	38	1	—	—	5	2
		Julana	24	1	—	—	3	2
		Alewa	13	1	—	—	1	1

		Safid on	19	—	—	—	3	1
		Pillu Khera	17	1	—	—	3	3
			175	8	2	—	23	14
5	Kaithal	Kaithal	12	—	4	—	6	3
		Kalayath	10	—	2	—	4	3
		Rajaund	7	—	—	—	3	2
		Pund ri	34	—	—	—	6	2
		Gulha	16	—	—	—	2	
			79	—	6	—	21	11
6	Kurukshetra	Pehowa	20	2	2	—	3	1
		Lad wa	14	1	1	—	1	1
		Sh ah bad	23	1	—	—	6	2
		Thanesar	27	2	2	—	5	—

		Radaur	3	—	—	—	—	—
		Pundri	3	—	-	-	—	-
		Nilokheri	1	—	—	—	—	-
			91	6	5	—	15	4
7	Karnal	Karnal	21	3	10	—	5	2
		Nilokheri	25	3	—	—	3	2
		Indri	17	3	1	—	4	1
		Gharaunda	26	2	1	—	7	4
		Jundla	21	1		—	5	2
		A ssa ndh	2	3	—	--	4	3
			132	15	12	—	28	14
8.	Sonepat	Sonepat	45	--	2	—	7	4
		G anaur	40	—	1	—	9	6

		Kharkhoda	35	—	1	—	9	4
		Rai	28	—	1	—	6	3
		Gohana	30	—	2		8	2
		Mudlana	28	—	—	—	6	3
			206	—	7	—	45	22
9.	Bhiwani	Bhiwani	65	—	4	—	12	6
		Tosham	29	—	—	—	3	3
		Bawani Khera	28	—	—	—	4	—
		Loharu	30		—	—	6	3
		Bad m	21	—	—	—	3	—
		Dadri-1	29	—	1	—	10	7
		Dadri-II	23	—	1	—	4	2

			225	—	6		42	21
10	Yamuna Nagar	Rad aur	14	—	—	—	2	1
		Chhachharauill	19	—	1	—	6	4
		Bilaspur	17	3	2	—	3	2
		Jagadhari	42	—	10	—	9	5
		Sad haura	4	—	1	—	—	—
			96	3	14	—	20	12
11	Panipat	Bapoli	7	1	—	—	1	—
		Israna	16	2	1	—	1	--
		Madloda	16	1	—	—	1	—
		Panipat	31	—	4	—	6	3
		Samantha	24	1	1	—	2	1

			94	S	6	—	11	4
12	Sirsa	Sirsa	22	3	—	—	8	1
		Rania	27	—	—	—	4	3
		Dabwali	23	6	—	—	5	3
		Nathusari	19	3	—	—	4	3
		Bara Guda	21	—	1	—	—	
		Kalanwali	22	—	—	—	—	
			1 34	12	1	—	19	10
13	Hissar	Hissar-II	2 3	3	—	—	9	8
		Hissar-I	22		5	—	2	1

		Agroha	25	2	—	—	2	—
		Actampur	40	3		—	4	3
		Barwala	24	—	—	—	3	—
		Bhuna	30	3	—	—	3	2
		Bhattu Kalan	23	1	—	—	3	1
		Narnaund	25	1	—	—	4	2
		Hand	20	1	—	—	4	1
		Fatehabad	24	2	—	—	5	3
		Ratia	43	2	—	—	2	1
		Tohana	20	2	1	—	3	1

		Slwani	—	—	—	—	2	—
			32 1	20	6	—	43	23
14	Narnaul	Narnaul	30	—	—	—	5	1
		Nangal Chaudhry	19	1	—	—	1	1
		Ateli	28	1	—	—	4	2
		Kanina	20	1	—	—	3	1
		Mobindergarh	23	1	—	—	3	—
			122	4	—		16	5
15.	Rewari	Jatusana	2 5	2	1	—	3	—
		Khol	22	1	3	—	3	
		Bawal	20	—	3	—	3	2

		Rewari	30	—	9	—	6	1
		Nahar	19	—	2	—	2	1
			116	3	18	—	19	6
16.	Rohtak	Beni	31		5	—	3	
		Bah ad urgarb	55	—	3	—	12	1
		Jh ajja r	i7	—	3	—	4	
		Lakhanmajra	11	—			3	4
		Kalanaur	19	—	2		3	2
		Meham	2 4		4	—	5	S
		Rolhtak	63	—	1\$	—	9	2

		Sampla	34	—	1	—	4	4
		Sahlawas	13		—	—	5.	1
			1'					
		MatanHall	23		2	—	2	—
			316	—	38	—	50	19
		Grand Total	2628	100	206	—	69	209

श्री अजमत खां: अध्यक्ष महोदय, कुल मिला कर 469 पोस्टें खाली पड़ी हि हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पोस्टें हैं वे सभी भरी हुई हैं। आई० पी० ई० की 100 पोस्टे खाली पड़ी हुई है जो भरी जानी आवश्यक हैं। खेल के क्षेत्र में हरियाणा के जिन खिलाडियों ने काफी नाम कमाया है। हर जगह पर हमारे खिलाड़ी आगे रहे हैं। पी० टी० आई० की पोस्टें हाई स्कूल से आगे डी०पी० ईज० में परमोट होती हैं। अगर ये पोस्टें नहीं भरेंगे तो क्या इससे बच्चों को नुकसान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि जो खाली पोस्टें पड़ी हैं उनको कब तक भर देंगे?

श्री फूल बन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी वैकेंसीज हैं, उनको भरने के लिए सरकार प्रयासरत है। डी० ई० ओज० ने जो पोस्टें भरनी हैं, उनके लिए उनको हिदायतें दी हुई हैं। लैक्चरारज की पोस्टें तथा जे० बी० टी० की पोस्टें भरने के लिए एस० एस० एस० बोर्ड कार्यवाही कर रहा है। जहां तक डी० पी० ईज० की पोस्टस का ताल्लुक है, ये पोस्टें पी० टी० आईज० में से परमोशन के द्वारा भरी जानी हैं। डी० पी० ईज० की केवल 100 पोस्टें खाली हैं जोकि परमोशन के द्वारा भरी जानी हैं। इस बारे में डायरेक्टोरेट को हिदायतें दे दी हैं कि वे परमोशन केसिज को सक्रूटेनाईज करवाए। अध्यक्ष महोदय, ज्यों ज्यों स्कूटनाईजिग हो जाएगी इन पोस्टों को परमोशन के दारा भर दिया जाएगा।

श्री अजमत खां: अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने बताया है कि डी ० पी० ईज० की पोस्टे बाई परमोशन भरी जाती है। अध्यक्ष महोदय, ये डी ० पी० ई० का कोर्स भी करवाया जाता है। अगर पोस्टे बाई परमोशन भरी जानी हैं तो जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, वे कब तक इन्तजार करेंगे। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अगर डी ० पी ० ईज० की पोस्टें पी ० टी ० आईज० में से बाई परमोशन भरी जानी हैं तो फिर इस कोर्स को करवाने का क्या फायदा है?

श्री फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, जो विचार अजमत खां जी ने रखे हैं हम इनको भी एग्जामिन करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: मुलाना जी, स्टेट में बहुत से ट्रेन्ड पी ० टी ० आईज० हैं और ये हजारों की संख्या में हैं। वे 1983-84 से ट्रेन्ड हैं। क्या आप कोई ऐसी स्कीम बनाएंगे कि ने 8 महीने का कन्डैसंड कोर्स करने के बाद जे० बी० टी ० की जगह लग जाएं? उनमें हायर सैकेन्डरी भी है, दस जमा दो और ग्रेज्युएट भी हैं।

श्री फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, आपका सवाल वाजिब है लेकिन हमारे पास आज भी 2 हजार बेरोजगार बी ० एड० किए घूम रहे हैं। हमने जे० बी० टी ० की 2 हजार पोस्टें मरने के लिए उनसे दरखास्ते मंगवाई हैं। अब तक 24 हजार दी लगभग एप्लीकेशन आई हैं। पहले हम उनका अडजैस्ट करेंगे, इसके बाद जो बी ० एड० के

साथ साथ जे० बी० टी० की भी ट्रेनिंग लेते हैं, उनको लगाना है इसलिए यह संभव नहीं है कि इनसे बाहर हमर किसी को—लगा सकेगे।

श्री अध्यक्ष: जिनके बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ, वे डबल काम कर सकते हैं। वे पी० टी० आई० ओर जे० बी० टी० का काम भी कर सकते हैं। इस बारे में वह स्कीम आपके डायरेक्टर, स्कूल एजुकेशन में अन्डर एग्जामिनेशन है।

श्री फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, हर पोस्ट के लिए क्वालीफिकेशन स्पैसीफाई की हुई है और उस क्वालीफिकेशन के मुताबिक, जो भी कैंडीडेट इन्ट्रव्यू के लिए आते हैं? उनकी सिलैक्शन मैरिट के बेस पर जरूर होती है।

श्री अध्यक्ष: यह तो बात ठोक है लेकिन उन अनइम्पलाईड पी० टी० आई० को आपने ही ट्रेनिंग करवाई हुई है, क्या उनके लिए भी आप कुछ करेंगे? आप इस बारे में कंसीडर करें।

श्री फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे पास ट्रेण्ड टीचर्स नहीं होंगे तो इन कंसीडर करेंगे। अभी हमारे पास बी० एड० के ट्रेण्ड टीचर्स हैं।

श्री अध्यक्ष: क्या जे० बी० टी० के नहीं हैं?

श्री फूल चन्द मुलाना: वे भी है और हर साल 11 सौ के करीब टीचर्स जे० बी० टी० ही ट्रेनिंग लेकर निकल रहे हैं उनको भी

हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि उनको यह कहा जाता है कि हम आपको जे ० बी ० टी ० लगाएंगे।

Electricity Connections for Tubewells

1231 Shri Zile Singh : Will the Minister for Power be pleased to state—

(a) the total number of applications for tubewells connections lying pending upto 31st August, 1995 in the State;

(b) the sub-division wise number of tubewell connections released during the period from 1st February 1994 to 31st August 1995; and

(c) whether any new scheme has been introduced by the Government to release the tubewell connection on priority basis, if so, the details thereof?

Power Minister (Shri Verender Singh) : A statement, is laid on the table of the House.

STATEMENT

(a) As per present available statistics, there were 71875 applications for tubewell connections pending in the State as on 31st July, 1995.

(b) The statistics in Haryana State Electricity Board are maintained with a division as a unit. There are 234 sub-divisional/sub-offices presently existing in the State. Collection and compilation of information from these sub-divisions is a time consuming exercise and may not be commensurate with efforts. The number of private tubewell connections released in 49 Operation

Divisions from 1st February 1994 to 31st July, 1995 were as follows :

Name of Op. Division	No. of connections released
1	2
Ambala	110
Ambala Cantt.	135
Panchkula	42
Yamuna Nagar	77
Jagadhri	172
Naraingarh	52
Kurukshetra	48
Shahbad	66
Pehowa	113
Kaithal	124
Pundri	198
Karnal-	29
Karnal-I	120
Karnal-II	123
Panipat	48

Panipat S/U	295
Faridabad City	
Faridabad Old	18
Balla bgarh	55
Palwal	90
Sonepat	20
Sonepat S/U	113
Gohana.	56
Gurgaon	17
Gurgaon S/U	28
Sohna	82
Gurgaon OCC	141
Mohindergarh	157
Rcwari	164
Dharuhera	93
Narnaul	101
Sirsa	100
Sirsa S/U	244
Dabwali	47

Bhiwan i	21
Bhiwani S/U	469
Dadri	79
Jind	65
Narwana	199
Safidon	64
Rohtak	5
Rohtak S/U	11
Jhajjar	56
Bahadurgarh	10
Hisar-I	2
Hisar-II	30
Tohana	84
Fatehabad	77
Hansi	97
Total	4547

(c) A cash priority scheme for release of tubewell connections on over-riding priority basis has been introduced with effect from 31-5-95. Under this scheme, all the existing applicants who have submitted their test reports on or before 31-3-95 can receive priority under following options :

(i) Deposit of Rs 5,000/- where connection through 20 metres L.T. cable can be released.

(ii) Deposit of Rs. 10,000/- where connection can be released by extending existing L.T. line upto 366 metres, without any transformer augmentations.

(iii) Deposit of Rs. 10,000/-, where connection can be released through 20 metres L.T. cable and transformer augmentation upto 63 KVA.

(iv) Deposit of Rs. 15,000/- where connection can be released by extending L.T. cable upto 366 metres and transformer augmentation upto 63 KVA.

A period of one month was given to exercise option with full deposit amount. A minimum of 20% connections are to be released under General Category. The scheme is applicable upto 31-3-96.

श्री जिले सिंह: अध्यक्ष महोदय, 19 महीने के अन्दर कुल 71 ,875 पैन्डिंग एप्लीकेशंज हैं, जिन में से 4,500 कनैक्शंज दिए हैं। रोहतक में झज्जर तहसील का जो मेरा हल्का है उसके अन्दर 56 कनैक्शंज दिए हैं। वह बहुत ही थोड़े हैं। मंत्री जी हमें यह बता दें कि इन्होंने सबडिविजन वाईज कितने कनैक्शन दिए हैं। दूसरे ये जो एप्लीकेशंज पैन्डिंग हैं इसमें से कितनी एप्लीकेशंज को ये, पूरी कर कहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इनकी एक नई स्कीम है कि पांच हजार रुपए जमा करवाने के बाद अगर 20 मीटर की दूरी हो तो ये कनैक्शन दे देंगे। अगर कोई 10 हजार रुपए जन्मा करवाए तो एल० टी० सिस्टम की 366

मीटर की दूरी हो तो कनेक्शन दे देंगे। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि ये पैसे जमा करवाने के बाद मैटिरियल सरकार देगी या कन्ज्यूमर देगा। इन्होंने अपने जवाब में लिखा है कि minimum of 20% connections which are to be released under general category. यह कनेक्शन जनरल कैटेगरी से कैसे दिए जाएंगे। इसका क्या क्राइटेरिया है? इसके लिए जो प्रायरटी रखी है वैसे देंगे या अना से देंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने जो तीन चार सवाल, पूछे हैं उन बारे में मैं इनको विस्तार से बताना चाहूंगा क्योंकि उस बारे में बाकी सदस्य भी पूछना चाहेंगे। अध्यक्ष महोदय, आजकल जो बिजली बोर्ड के पास ऐप्लीकेशंस पेंडिंग हैं, वह 71 हजार के करीब हैं और जिनकी हमें टैस्ट रिपोर्ट मिल चुकी है वह करीब 25 हजार हैं। पिछले कई सालों से हम कुछ स्कीम्स के तहत कनेक्शंस रिलीज कर रहे हैं। पिछले साल जो स्कीम चालू थी उसको हम सैल्फ फाईनैसिंग स्कीम कहते थे। इस स्कीम के तहत सारे हरियाणा प्रान्त में हमें 3152 ऐप्लीकेशंस रिसेव हुई थीं और इन 3152 ऐप्लीकेशंस— में से 3150 को कनेक्शंस रिलीज कर दिए गए थे और ये दो कनेक्शंस भी इसलिए कहे हैं कि कोर्ट में डिसप्यूट चला गया। किसी ने कोर्ट में दावा कर दिया और स्टे आर्डर ले लिया। कोर्ट में यह कहा गया कि कोई आदमी कनेक्शंस लेकर वहां जमीन पर कब्जा करना चाहता है। इसलिए सर, चूंकि इनमें स्टे मिला हुआ है इसलिए ये दो कनेक्शंस अभी देने बाकी हैं। लेकिन बाकी कनेक्शंस रिलीज कर दिए गए हैं। उसके बाद हमने एक नयी स्कीम चालू की थी जिसको माननीय सदस्य

भी जानते हैं। इस स्कीम के तहत पाच हजार, दस हजार या पन्द्रह हजार रुपये देकर कनैक्शन लिया जा सकता है। इसको हम कैश प्रायोरिटी बोलते हैं। अगर कुल बीस मीटर लाइन लगाने की आवश्यकता हो तो इस स्कीम के तहत कनैक्शन दे देते हैं। इस तरह से स्पीकर सर, तीन या चार कैटेगरी सैल्फ फाईनेसिंग स्कीम के तहत बनायी गयी है। इस स्कीम के तहत भी हमने 153 कनैक्शंस रिलीज कर दिए हैं। हमने इस स्कीम के तहत लोगों को एक महीने का टाईम दिया था और इसमें एक महीने में हमारे पास 1153 ऐप्लीकेशंस आई है और 153 कनैक्शंस हमने रिलीज कर दिए हैं। माननीय सदस्य ने हमसे सबडिवीजनवाइज इंफर्मेंशन मांगी थी लेकिन हमने इनको यह इंफर्मेंशन डिवीजनवाइज दी है क्योंकि सबडिवीजन 234 हैं और चूंकि हमें यह सवाल लेट मिला था इसलिए यह नामुमकिन था कि सब डिवीजनवाइज यह इंफर्मेंशन दी जाए लेकिन सर, अब हमने यह इंफर्मेंशन कुलैक्ट कर ली है और यह इंफर्मेंशन हमारे पास मौजूद है अगर यह जानना चाहेंगे तो हम इनको दिखा देंगे। वैसे इनका सब डिवीजन मातनहेल या कोसली लगता होगा। मातनहेल में 29 और कोसली में 3 कनैक्शंस रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा इन्होंने एक सवाल और 20 परसैन्ट के बारे में पूछा था। उसमें यह है कि अगर हमें 100 कनैक्शंस देने हैं तो हम 80 कनैक्शंस तो कैश प्रायोरिटी स्कीम के तहत देंगे और बाकी 20 कनैक्शंस जनरल कैटेगरी से देंगे। इस तरह से हम 100 कनैक्शंस में से 20 कनैक्शंस जनरल कैटेगरी से देंगे, और इनकी सीनियरिटी बाकायदा पहले एडजस्ट की हुई है।

श्री जिले सिंह: स्पीकर सर, मंत्री जी ने बताया है कि 1153 ऐप्लीकेशंज नयी स्कीम के तहत आयी हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इन्होंने इस स्कीम को पब्लिश कराया था, दफ्तर में नोटिस लगाया था? इसके इलावा यह भी बताए कि जो 71875 ऐप्लीकेशंज पैडिंग हैं और जो इनके ऐप्लीकेन्ट हैं, क्या वे भी इस स्कीम के तहत ऐप्लीकेबल हैं या नहीं? अगर वे ऐप्लीकेबल हैं तो क्या सरकार या बिजली बोर्ड दोबारा से कोई सर्वे करवाकर इनको फाइड आउट करने की कोशिश करेगा?

श्री बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, हमने इस स्कीम के लिए एक महीने का टाईम दिया था। साथ ही इस बारे में हमने नोटिस भी दिए थे। इस स्कीम के तहत हमारे पास एक महीने में 1158 ऐप्लीकेशंज आयी थीं यह मैं आपको ऐग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ। परन्तु यह स्कीम सारे साल के लिए लागू हैं। इसमें जो 1158 ऐप्लीकेशंज हैं वह टोप प्रियोरिटी पर चली गयी हैं लेकिन जिन ऐप्लीकेशंज की टैस्ट रिपोर्ट अभी पैडिंग हैं उनको हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड के आधार पर कमैशंज देंगे।

श्री जिले सिंह: अध्यक्ष महोदय, किसान तो खेतों में, घरों में रहते हैं। वे ऐप्लीकेशन देकर बैठे हैं, उनको पता नहीं है कि नयी स्कीम कब से लागू हुई है। क्या पैडिंग ऐप्लीकेशन जो हैं, उनको सरकार फाइड आउट कराएगी? क्या सरकार किसानों को—इंफेर्मेशन देकर कनैक्शन रिलीज करेगी और बताएगी कि अगर वे कनैक्शन लेना चाहते हैं तो उनका यह नंबर है। आप पैसे जमा कराओ, कनैक्शन मिल जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह: वैसे इसका नोटिस लगा दिया था, आप चाहें तो नोटिस फिर से रिपीट किया जा सकता है, फिर नोटिस लगा सकते हैं। पूरे एक साल तक यह स्कीम खुली है।

श्री जिले सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो ऐप्लीकेशनज पैडिंग हैं क्या उन किसानों को पब्लिक नोटिस देकर या जे०ई० और एस०डी ०ओ० इनको इत्तलाह देंगे कि आपके ऐस्टीमेट बना दिए गए हैं और जो किसान इंट्रैस्टिड हैं, वे पैसा जमा करा दें, उनका कनैक्शन दे देंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह: वैसे उनको यह बात पता है। मैं यह बात असैम्बली में कह रहा हूँ, यह स्कीम एक साल के लिए खुली है। आप चाह तो सब-डिवीजन के बाहर फिर से नोटिस लगा देंगे।

श्री जिले सिंह: ठीक है, फिर से नोटिस लगवा दे जी।

प्रो० छतर सिंह: चौहान स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जो स्कीम इन्होंने चालू की है, क्या यह रैगुलर है या जिनके कनैक्शन पैडिंग थे, उन्ही को दिए जा रहे हैं या कोई इसका अलग प्रोविजन रखा है? मेरी समझ में यह आता है कि ये उतने ही कनैक्शन दे पाएंगे। जितने पहले देते थे। आ ज हरियाणा में बाढ़ ने हर किसान की कमर तोड़ दी है और किसान आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है। वह इस सैल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के अन्तर्गत पैसा नहीं भर सकता। किलन से इस स्कीम के तहत पैसा लेकर बिजली बोर्ड का घाटा

पूरा नहीं होगा। इसके अलावा भिवानी सर्कल में कितने कनेक्शन पैंडिंग पड़े हैं, यह भी बताए कि उनको आप कब तक कनेक्शन दे देंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, मैंने पहले ही बताया था कि जहां सैल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत जितने कनेक्शन थे वे टोटल रिलीज हो चुके हैं, अब कोई सैल्फ फाइनेंसिंग स्कीम नहीं है, उसके बजाय कैश प्रीयोरिटी स्कीम है। सैल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में कुछ पैसा अधिक भरना पड़ता है, इसलिए उस स्कीम को बन्द करके इस नयी स्कीम को चालू किया गया है। जहां तक इनका दूसरा सवाल था कि भिवानी में कनेक्शन दिए जाएंगे इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि भिवानी में कनेक्शन जरूर देंगे, यह मैं आश्वासन देता हूं।

श्री हरि सिंह नलवा: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हरियाणा एक डिवैल्पिंग स्टेट है। हरियाणा जैसी छोटी स्टेट में 72 हजार ऐप्लीकेशंस, किसानों की ट्यूबवैल कनेक्शन की पैंडिंग हों तो यह बात कुछ अजीब सी लगती है। क्या ये कनेक्शन देने के लिए पावर जनरेट करने की कोई स्कीम गवर्नमेंट के विचाराधीन है या प्राइवेट पार्टी को पावर जनरेट करने के लिए इजाजत देने की स्कीम सरकार के विचाराधीन है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा बढ़िया सवाल नलवा साहब ने किया है। सभी माननीय सदस्य और आप भी भली भांति जानते हैं कि यह मौजूदा सरकार हरियाणा प्रदेश को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितनी चिंतित है और इटके लिये जो

कदम सरकार उठा पी है और उठाने जा रही है, यह सब को विदित है, फिर भी मैं बता देता हूँ। मैंने कल भी एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया था कि मौजूदा सरकार अपने आने वाले कुछ सालों में हरियाणा प्रान्त को बिजली के संकट से बिलकुल मुक्त करना चाहती है और इसके लिये बहुत पग उठाये भी गये हैं। सब से पहला पग हमने यमुनानगर में 700 मैगावाट बिजली पैदा करने के लिए एक इजराईल की प्राईवेट कम्पनी आइजन बर्ग से एम-ओ-यू साईन किया है और उनके साथ प्रोमजरी ऐग्रीमेंट भी हो चुका है और यह सब कुछ बड़ी ही एडवान्स स्टेज पर है। पी ०पी ०ए० भी साइन होने वाला है। इस के अलावा हिसार के अन्दर 1000 मैगावाट का थर्मल प्लांट भी हमने परपोज किया है। उसके बिडिंग डाकुमेंट्स तैयार हैं। इस बारे जल्दी ही अखबारों में सब कुछ आने वाला है और इस के लिए जमीन भी एक्वायर कर ली गई है। इसके अलावा एक 400 मैगावाट का गैस बेस्ड प्लांट फरीदाबाद में लगाने जा रहे हैं, वह एन०टी०पी ०सी ० लगाएगी। इसके लिए जमीन देखी जा रही है। टोटल बिजली हम खरीदेंगे। पी०पी ०ए० साईन करना है, वह भी हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि शार्ट टर्म चार चार साल, तीन तीन साल स्कीमें तैयार होने में लग जाते हैं। फौरी तौर पर बिजली कैसे पैदा को जाए इस पर भी विचार हो रहा है। डीजल जनरेटिंग सैट्स लगाए जाएंगे। हनो इस ते। नये अखबारों में आकर दी है और आफर आई भी है। मुख्यमंत्री को अध्यक्षता में नैगोशीएशन हुई है और उससे हम 900 मैगावाट बिजली जोकि डीजल से जनरेट होगी, पैदा करेंगे। इस बारे में एम०ओ०यू० साईन कर लिया है और एक, डेढ महीने में इनका पी ०पी ०ए० भी साईन हो जाएगा।

इस तरह से 900 मैगावाट बिजली हरियाणा में और ऐड हो जाएगी। आज के दिन हरियाणा के अन्दर हम बिजली की जो कमी महसूस करते हैं, वह 900 मैगावाट की है लेकिन हमने 1000 मैगावाट का टारगैट रखा हुआ है और उसको हम 18 महीने के भीतर भीतर ऐड कर देंगे।

10.00 बजे

चो० बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, ऊर्जा मन्त्री जी ने नौ सौ मैगावाट बिजली और एक हजार मैगावाट तक डीजल सैटस से जनरेट करने की बात कही है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वह जनरेशन और उसकी ट्रांसमिशन और उसके कलैक्शन आफ बिल्ज का काम बिजली बोर्ड करेगा या वह जो प्राइवेट कम्पनी आएगी वह इस काम को करेगी। मैं अक्सर पार्टी मीटिंग में भी यह मामला उठाया करता था। नोएडा में तीन साल पहले यू०पी० वालों ने 75 मैगावाट बिजली पैदा करने के नए कलकता की एक प्राइवेट कम्पनी को काम दिया फिलहाल उनका ट्रांसमिशन का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, वह बिजली बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जो बिलों की कलैक्शन होगी वह भी वही कम्पनी करेगी। मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस किस का प्रावधान करेंगे। प्राइवेट सैक्टर को किस हद तक कहा गया है। क्या बिजली बोर्ड के तहत कल्प करेगा। कल भी यह बात आई थी कि पांच सौ करोड़ रुपए का बिजली बोर्ड को नुकसान किसानों को बिजली देने की वजह से होता है। यह गलत बात है। अवर इंडस्ट्रियल टाउन्ज को इस बिजली में से बिजली दी जाए तो जो भाखड़ा से सस्ती बिजली हमें मिलती है वह किसानों को दी जा सकती है। आप किसानों से 50 पैसे प्रति यूनिट

लेते हैं और आपको भाखड़ा की बिजली 26-21 पैसे के हिसाब से मिलती है। तो यह जो बार बार बात उठाई जाती है कि किसानों को इतनी बिजली देनी पड़ती है इसलिए बिजली बोर्ड को घाटा होता रहता है, यह मिथ्या प्रचार है और किसानों के हित के खिलाफ है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इन्होंने दो तीन बातें कहीं और मैं सभी का जवाब दूंगा। जो यह नई जनरेशन होगी डीजल सैट्स के द्वारा तो ये कम्पनियां केवल बिजली जनरेट करेगी और वह बिजली परचेज हम करेंगे। उसका, रेट भी हमने फिक्स कर दिया है एम०ओ०यू० में। वह 75 यूनिट तक 2.40 रुपए होगा। अगर पी०एल०एफ० 87 चला जाता है तो उसका रेट 2.87 रुपए होगा। यह आज हिन्दुस्तान में लोएस्ट रेट है। किसी भी प्रदेश में इतना कम रेट नहीं है। इस रेट को हमने 15 साल तक रखा है। ट्रांसमिशन हमारे पास है, वह हम करेंगे। जो इन्होंने नोएडा वाली बात कही वह यह है कि नोएडा में यू०पी० बिजली बोर्ड ने एक टैस्ट किया है। उन्होंने बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन त्रक कम्पनी को दे दी, रियलाइजेशन भी उनको दे दी। वह बात भी हमारे अंडर कसीड्रेशन है कि यह काम बिजली बोर्ड प्राइवेट कम्पनी को दे या न दे। अगर हमने फैसला किया कि हमने भी बिलों की डिस्ट्रीब्यूशन तजुर्बे के तौर पर किसी जिले में देनी है तो वह गुड़गांव जिले में देंगे। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि इस काम के लिए कम्पनियां और है जो इस प्रकार का धंधा करती हैं। यह जनरेशन करने वाली कम्पनियां नहीं है। तीसरी बात जो इन्होंने कही कि किसानों के लिए प्रचार किया जाता है। मैं चौधरी साहब को स्वीकर साहब, द्वारा

निवेदन करूंगा कि आज बिजली की एक यूनिट की कौस्ट हमें 1.73 रुपए पड़ती है और किसान से हम 60 पैसे यूनिट लेते हैं।

आवाज: आप भाखड़ा से मिलने वाली बिजली के रेट तो बतायें ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: यह मैंने एवरेज बताई है। यदि आप भाखड़ा से मिलने वाली बिजली के रेट मानना चाहेंगे तो वह भी मैं आपको बताऊंगा। स्पीकर साहब 1.73 रुपए के बदले हम किसानों से 50 पैसे वसूल करते हैं यानि 1.23 रुपए का घाटा बिजली बोर्ड को सीधा बर्दाश्त करना पड रहा है। हिन्दुस्तान में कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहां एग्रीकल्चर सैक्टर में 58 परसेंट बिजली दी जा रही हो सिवाय हरियाणा प्रदेश के। पंजाब से भी हायर साइड में हम हरियाणा प्रदेश के अन्दर किसानों को बिजली दे रहे हैं जहां तक भाखड़ा से जनैरेट होने वाली बिजली के रेट का ताल्लुक है। भाखड़ा से हमें बिजली 17 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से मिलती है। इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन अकेली भाखड़ा से मिलने वाली बिजली किसानों को पर्याप्त रहेगी, सफिशिएंट रहेगी, ऐसी बात नहीं है। वह सफिशिएंट नहीं रह सकती।

Ch. Birender Singh : Please allow half an hour discussin on it, being a very important question, Sir.

श्री वीरेन्द्र सिंह: किस क्वैश्चन के बारे में?

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: इसी स्वैश्चन के बारे में।

Shri Verender Singh : I am replying.

Mr. Speaker : You restrict yourself to the question only.

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैंने इनके हर सवाल का जवाब दिया है। हाफ एन आदर डिस्कशन की बात तब होती जब मैं जवाब देने के लिए टाईम मांगू।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, आप यह बताए कि माइको हाइडल से बिजली जनरेट करने की आपकी कोई स्कीम है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, दादुपुर में है, लेकिन वह बहुत ही थोड़ी है।

श्री अध्यक्ष: नहरों में जो फाल्ज हैं, उनके लिए क्या आप प्राइवेट कम्पनियों से कंटैक्ट करते हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह: अब तो नहीं। कुछ साल पहले 1978— 79 में जब मैं इस महकमे का इन्चार्ज था, तब हमने— इस बारे में सर्वे करवाया था। जितनी भी नहरें हैं, उनमें कहीं भी स्कोप नहीं मिला। अगर आप कहते हैं तो हम दोबारा सर्वे करवा सकते हैं?

सरदार जसविन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जब जिला करनाल पुराना जिला हुआ करता था, वह सारा पैडी का एरिया हुआ करता था। अब उस जिले में से कुरुक्षेत्र और कैथल जिले अलहिदा हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसे रिवाड़ी और दूसरे एरियाज को बिजली सस्ते रेट पर दी जाती है, क्या उसी रेट पर हमारे एरिया को बिजली दी जाएगी क्योंकि हमारे एरियाज में भी 100—

100 फूट पर रिजली की मोटरें लग रही है? रिवाड़ी और दूसरे एरियाज में बिजली इसलिए सस्ती दी जा रही है क्योंकि वहां पर पानी बहुत गहरा है। स्पीकर साहब, आपको भी पता है कि हमारे जिले में भी अन बिजली की मोटरें 100— 100 फुट पर लगनी. शुरु हो गई हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि चुके हमारा जिला भी पैडी सोइग एरिया है, क्या वहां पर किसानों को ट्यूबवैल्ज के बिजली के कनेक्शंस प्रायर्टी बेसिज पर देंगे क्योंकि हमारे यहां पर बिजली की मोटरें 100— 100 फुट पर लग रही हैं? इस तरह से रिवाड़ी और दूसरे एरियाज के बराबर बिजली के रेट भी लिए जाएं। कादमा के लोगों ने अपनी शहीदियां दी, इसलिए उनके बिजली के बिल कम कर दिए गये। डण्डे वाली का राज है, इसलिए उनके बिल कम कर दिए गए।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने सवाल किया कि जिस प्रकार से रिवाड़ी और महेन्द्रगढ़ जिलों को बिजली देने में कन्सैशन दे रहे हैं क्या उसी प्रकार से करनाल, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और बैथल जिलों को भी बिजली दी जाएगी? स्पीकर साहब, मैं इनके बताना चाहूंगा कि 7-9-95 को मुख्य मंत्री जी की, किसान संघर्ष समिति के साथ बात हुई थी, उस समय सारे भिवानी, रिवाड़ी और महेन्द्रगढ़ जिलों की तरह सस्ती बिजली देने की घोषणा की थी यानि उस समय मुख्य मंत्री जी ने सारे भिवानी जिला को कनसैशनल रेट पर बिजली देने की घोषणा कर दी थी। लेकिन दो इलाके फिर भी रह गए थे। एक नाहड़ सब-तहसील का इलाका जहां पर 1970-71 में सस्ते रेट पर बिजली देने का फैसला लागू हुआ था, वह 1971 में सा तहसील

का इलाका था, रीप्रार्गेनाइनेशन के वक्त शायद वह ईलाका इधर उधर हो गया होगा।, और पिंजौर ब्लाक का इजाका था। उन दोनों एरियाज के बारे में मेरी कल परसों मुख्य मन्त्री जी से बात हुई थी और मुख्य मन्त्री जी ने इन दोनों इलाकों को कनसैशनल रेट पर बिजली देने के लिए स्वीकार कर लिया है।

Loss of Lives/Damage caused due to floods

***1227. Prof. Ram Bilas Sharma :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total number of villages affected by the floods in the State during the month of September, 1995 together with the number of persons died and houses, damaged due to said floods; and

(b) the total financial loss caused to the cities due to the floods during the period as referred to in part (a) above ?

राज्य मन्त्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी):

(क) 25- 9- 95 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य के 16 जिलों में 2840 गांव सितम्बर 1995 में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 2,22,078 मकान क्षतिग्रस्त हुए तथा 167 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

(ख) इस बाढ़ के कारण शहरों में हुए वित्तीय नुकसान का अभी अफुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि अभी तक डी०सी० साहेबान की तरफ से पूरी रिपोर्ट नहीं आई है जो नुकसान हमने दिखाया है, पूरी- रिपोर्ट आने पर इससे अधिक नुकसान होने का अंदाजा है।

प्रो० राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने 6745 गांवों में से 2840 गांवों को बाढ़ से प्रभावित हुआ बताया है। इसमें तकरीबन 42,43 प्रतिशत देहात बाढ़ की चपेट में आये हैं। शहरों में हुए नुकसान का 100 करोड़ रुपये बग अंदाजा ई और कुल 1425 करोड़ रुपये का नुकसान फसलों का और दूसरा आंका है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन 2840 गांवों में क्या वे गांव भी शामिल हैं जहां पर बाढ़ का पानी तो नहीं गया लेकिन अधिक वर्षा होने और 2 तारीख न भूकंप के झटके आने के कारण नुकसान हुआ है? अध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगढ़ तहसील में 10 गांव ऐसे हैं जहां पर इस भूकंप के कारण हरिजन बस्ती की आबादी के जो कच्चे मकान थे, वे इह गए। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे नुकसान की लिस्ट भी इन्हीं गांवों में शामिल है या अलग से है?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी: अध्यक्ष महोदय, बाढ़ और वर्षा का जो प्रकोप आया, उससे प्रभावित होकर मकानों को क्षति हुई। ये सारे अनुमानित गांव 2840 है जहां पर इस तरह की क्षति हुई है। सभी का कम्पलीट रूप से सर्वे करवा लिया गया है और सभी प्रभावित लोगों को मुआवजा देंगे।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी श्री राम बिलास शर्मा जी को बताना चाहूंगा कि महेन्द्रगढ़ के 60 गांव इससे प्रभावित हुए हैं तथा 2849 मकान गिरे हैं, जिनका मुआवजा दिया गया है।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, बाढ़ से 2840 गांव प्रभावित हुए हैं और 2,028 घर डैमेजड हो चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वे इन्टीरियर विलेजिज, जहां अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया है, क्या वे इसमें शामिल हैं? इसके साथ मैं यह पूछना चाहूंगा कि आज तक बाढ़ से जो नुकसान हुआ है, उसके बदले में सरकार ने क्या राहत दी है, जैसे कि बाढ़ के कारण मरने वाले लोगों के परिवारों को कितनी राशि दे चुके हैं या और क्या-क्या राहत उनको दी गई है? बाढ़ के कारण लोगों के वरों, खेतों या दुकानों आदि के नुकसान के बदले में आज तक सरकार कितनी राहत दे चुकी है?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी: अध्यक्ष महोदय, जहां तक फसलों, दुकानों और मकानों आदि के नुकसान का ताल्लुक है, यह पूरा नुकसान तो सर्वे करवाने के बाद ही पता लगेगा। अभी कुछ आबादी ऐसी है जहां पर पानी खड़ा है, वहां पर अभी नुकसान का सर्वे नहीं करवाया जा सका है। जहां तक फसल की बात का संबंध है, अभी खेतों में 4-4, 5-5 फुट पानी खड़ा है, इसलिए इनका भी सर्वे नहीं किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, जितना नुकसान हुआ है, उसके लिए सर्वे के बाद सरकार के नियमानुसार तथा हिदायतों के मुताबिक प्रभावित लोगों को पेमेंट की जाएगी। बाढ़ के कारण जो मर गए हैं, उनके परिवारों को 50-50 हजार रुपये के हिसाब से अदायगी करवा दी है। जो रिपोर्ट बाढ़ में आई है कि एक-दो आदमी डूबने के कारण मर गए या करवा

लगने के कारण मर गए हैं, उनको भी 50 हजार रुपये के हिसाब से सनी परिवारों को सहायता दी जाएगी।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मेरे सवाल का जवाब अधूरा रह गया। मैंने इनसे स्पष्ट पूछा था कि कुल कितना पैसा बाढ़ राहत कार्यों के लिए दिया गया है और कितने लोगों को बाढ़ का कम्पनसेशन दिया गया। जो लोग मारे गए हैं, उनमें से क्या कुछ लाग या परिवार रह गए हैं जिनके मुआवजा नहीं दिया गया, वे कितने परिवार हैं? स्टेट खजाने से कितना पैसा इस कार्य के लिए दिया गया है और जिन लोगों को कम्पनसेशन दिया गया है, उनका नम्बर क्या है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, दो दिन से बाढ़ के बारे में डिस्कशन चल रही है और 15- 20 मिनट के बाद मैंने इस डिस्कशन का जवाब देना है। मैं पूरी तफसील के साथ सारे फ़ैक्ट्स बताऊंगा कि सर्वे के मुताबिक कितने लोग बाढ़ से अफ़ैक्टिड हुए हैं और कितना कम्पनसेशन दिया गया है। 23.65 करोड़ रुपया नैचुरल कैलेमिटीज के लिए बजट में रखा गया था, जिसमें से 2/ 3 पैसा भारत सरकार देती है और एक तिहाई पैसा स्टेट गवर्नमेंट का होता है। हालांकि बजट में 23.65 करोड़ रुपये इसके लिए रखे गए थे लेकिन हम अब तक 29 करोड़ रुपयेकी राशि रिलीज कर चुके हैं। सभी जिलों के डी०सी०को हिदायतें जारी की हुई हैं कि उन्हें जितना भी पैसा चाहिए, उसके लिए फ़ौरन इत्तलाह करें ताकि पैसा रिलीज करके लोगों की सहायता के लिए दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, इस बारे तफसील से आगे इनको बता देंगे।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह जानना चाहता हूँ कि नम्बर आफ पर्सनन बताने में क्या दिक्कत है? (विधन) अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि हम इतना पैसा डी०सीज० को भेज चुके हैं लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया कि डी० सीज० को डिपार्टमेंटवाइज कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा कैटेगोरिकली बह सवाल है कि अफैक्टिव लोगो को कितना पैसा दिया जा चुका है और कहां कितना पैसा खर्च हुआ है? अगर पैसा खर्च नहीं हुआ तो कितना पैसा खर्च नहीं हुआ है तथा डिस्ट्रिक्टवाइज नम्बर आफ पर्सनज कितना है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पैसा रिलीज किया है वह बता दिया है, ये अपना माईण्ड थोड़ा सा एप्लाइ करे। 29 करोड़ रुपये जो अभी हमने रिलीज किए हैं उसके खर्च की लिस्ट हमारे पास नहीं आई है। जब हमारे पास लिस्ट आ जाएगी तभी तो सरकार बता पाएगी। (विधन) अध्यक्ष महोदय, ज्यों— ज्यों मान आ रही है, त्यों त्यों हम मदद भेज रहे हैं। तकरीबन 177 लोग मारे गए हैं और हमने 50 हजार रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से हर जिले के डी०सी० को भेज दिए हैं और बहुत सी जगहों पर पैसे दे दिए गए हैं।

Allotment of Plots to SCs and BCs

•1234 Shri Daryao Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to slate whether there is any scheme to allot the plots to the persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in village Chhuchhakwas in Jhajjar Tehsil, if so, the details thereof ?

राजस्व मन्त्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी): जी हां। प्लाट आबंटन हेतु पात व्यक्तियों की पहचान के लिए किए गए तीसरे सर्वेक्षण के अनुसार गांव छुछकवास, तहसील झज्जर, जिला रोहतक में 49 पात्र व्यक्ति 40 अनुसूचित जाति, 7 पिछड़ी जाति तथा 2 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पाये गये हैं।

श्री दरियाव सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हू कि प्लाटों के आबंटन के लिए क्या इन्होंने पटवारी को हिदायतें दी थी कि किस तरह से सर्वेक्षण किया जाए? क्या पटवारी ने पैसे खाए हैं और जिन्होंने 150 या पांच सौ रुपए दिए हैं, उनको ही मकानों का आबंटन किया गया है?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्लाटों के आबंटन के लिए पूछा है और कहा है कि पटवारी ने 150 से पांच सौ रुपए तक लिए हैं। अगर ये चार-पांच आदमियों से इस बारे में ऐफेडॉवट दिलवा दें तो हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

Desilting of Canals

1203 Prof. Chhattar Singh Chauhan : Will the Minister for Irrigation be pleased to state the details of the amount spent on the desiking and maintenance of Canals in each circle of Irrigation Department in the State during the period 1992 to-date ?

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) : The Circlewise details of the amount of expenditure incurred on the tie-silting and maintenance of canals during the period 1992 to-date, is given in the attached statement.

STATEMENT

Statement showing Circle-wise Expenditure Incurred on Desilting and Maintenance of Canals during the year 19 92-93, 1993 -94, 1994.95, 1995 to date

Sr. No.	Name of Circle	1992-93			1993-94			1994-95			1995 to date		
		Desil- ting	Main- tenanc e	Total	Desil- ting tenan ce	Main- -	Total	Desil- ting	Main- tenanc e	Total	Desil- ting	Main- tenan cy.	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	BWS, Circle-I, Hisar	50.83	75.14	125.97	43.99	54.60	98.67	141.27	63.29	204.56	7.95	66.21	74.16
2.	BWS, Circle-II, Hisar	19.72	20.53	40.25	15.11	48.91	64.02	31.66	62.81	94.47	16.66	38.29	49.95
3.	BWS, Circle, Sirsa	13.63	28.01	41.64	14.55	47.54	62.09	24.24	69.32	93.56	13.93	49.76	63.69
4.	BWS, Circle, Kaithal	29.78	145.47	175.25	16.14	62.84	78.98	30.86	75.36	106.22	8.63	43.81	52.44

5.	SYL, W.S. Circle, Ambala	2.32	81.69	84.01	2.38	32.46	34.84	1.60	63.67	65.27	1.18	24.32	25.50
6.	J LN, W.S. Circle, Narnaul	2.44	26.50	28.94	3.71	40.00	43.71	2.09	19.40	21.49	2.16	11.36	13.52
7.	JLN, W.S. Circle, Rewari	7.49	28.66	36.15	1.10	23.14	24.34	0.92	15.61	16.53	-	3.54	3.54
8.	LWS, Circle, Bhiwani	6.53	12.00	18.53	8.89	13.88	22.77	2.06	7.40	9.46	0.50	2.95	3.45
9.	YWS, Circle, Bhiwani	8.85	10.30	9.15	16.00	3.82	21.82	51.18	5.17	56.45	18.25	3.098	22.23.
10.	YWS, Circle, Rohtak	22.81	55.41	78.22	27.01	41.86	68.87	47.51	31.57	79.08	21.84	10.25	32.10
11.	YWS, Circle, Yamuna Nagar	4.03	14.04	18.07		6.79	6.79	4.00	27.78	31.79	4.02	58.50	62.5
12.	YWS, Circle, Karnal	14.53	29.93	44.46	20.91	19.47	40.38	37.53	21.35	58.88	30.18	46.66	76.84

13.	YWS, Circle, Faridabad	6:86	7.82	14.68	8.03	13.03	1.06	6.60	35.58	42.18	1.60	0.25	1.85
14.	YWS, Circle, J ind	3.40	12.19	15.59	5.60	24.10	9.80	24.20	35.00	59.20	16.09	12.01	28.10
15.	YWS, Circle, Delhi	6.70	-	6.70	3.35	-	3.35	24.15	-	24.15		19.39	19.39
	Total	199.92	547.69	747.61	186.6 7	434.62	621.49	429.97	533.31	963.88	142.9 9	406.1 9	549 .28
	G rand Total	747.61 +	621.49	+	963.8 8	+	549.28	2881.6 6					

प्रो० छतर सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हम पिछने चार साल से लगातार हैट सकंल में इरिगेशन डिपार्टमेंट से प्रार्थना करते आ रहे है कि नहरों की डी-सिल्टिंग की जाए लेकिन वह नहीं हुई और जिस वजह से यह कहर आज हरियाणा पर पड़ा। अगर डी-सिल्टिंग हुई होती तो आज यह तबाही नहीं होती। मे इरीगेशन मिनिस्टर से पूछना चाहूंगा कि इन्होंने जो डिटेल दी है, उसमें ऐसा मालूम होता है कि उसमें कोई पोलीटीकल बात है। अध्यक्ष महोदय, भिवानी सर्कल, हिसार सर्कल, जींद जिला और दादरी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि भिवानी सर्कल को कितना पैसा दिया है। वहां पर सारी नहरें अटी पड़ी हैं। मिसाल के तौर पर हिसार में 1992-93 में 166 लाख रुपए 1993-94 में 162 लाख रुपए, 1994-95 में 289 लाख रुपए और 1995 में 124 लाख रुपए दिए हैं, जबकि भिवानी में, 1992-93 में 37 लाख रुपए, 1993-94 में 44 लाख रुपए और 1994-95 में 65 लाख रुपए दिए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इतनी कम राशि क्यों दी है? इसके क्या कारण हैं? अध्यक्ष महोदय, भिवानी जिले की नहरों की आठ साल से छंटाई नहीं हुई है। 1987-88 में चौधरी देवी लाल के समय में वह छंटाई हुई थी, उसके बाद नहीं हुई है और इस बात को इनका महकमा भी मानता है। अध्यक्ष महोदय यह छंटाई सिर्फ कागजों में ही हुई है, सारे पैसे को चूना लगा है। वास्तव में हरियाणा में

नहरों की डी-सिल्टिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या ये बताएंगे कि इतने कम पैसों से नहरों की छंटाई हो सकती है?

चौधरी जगदीश नेहरा: स्पीकर सर, इन्होंने जो यह कहा है कि भिवानी जिले में पैसा कम का है ओर दूसरी जगहों पर ज्यादा पैसा लगा है यार पोलिटिकल बातें हुईं और कहीं पर भी नहरों में छंटाई नहीं हुई, ठीक नहीं है। इन्होंने यह भी कहा कि नहरों की छंटाई न होने की वजह से ही यह भयंकर बाढ़ आयी है, तो मैं इस बारे में दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह कि इस बार जो बारिश हुई, वह इतनी हुई कि हमारे पास जो पिछला रिकार्ड इस बारे में उपलब्ध है, उससे कई गुना ज्यादा बारिश इस बार हुई है। सर, अमूमन तो हरियाणा में 350 मिलीमीटर से लेकर 400 मीलीमीटर तक बारिश होती है लेकिन इस बार 5 सितम्बर को 1200 मीलीमीटर बारिश हुई जबकि हमारे पास पहला उपलब्ध रिकार्ड 750 मिलीमीटर से 800 मिलीमीटर तक का है। इस बार उपलब्ध रिकार्ड से तीन गुना ज्यादा बारिश हुई है अरि इसी वजह से यह बाढ़ आयी। स्पीकर सर, घग्गर नदी में इस बार एक लाख 52 हजार क्यूबिकस पानी आया, इतना पानी कभी नहीं आया। इसी तरह से मारकण्डा नदी में 83 हजार क्यूबिकस पानी आया जो पिछले सौ सालों में इस नदी में इतना पानी कभी नहीं आया था। टांगडी नदी में 41 हजार क्यूबिकस पानी इस बार आया जबकि इससे पहले इतना पानी कभी नहीं आया। इसी प्रकार से यमुना नदी में 5 लाख 36 हजार क्यूबिकस

पानी आया जो पिछले सौ सालों में दूसरी बार इतना ज्यादा पानी आया है। इस बार तीन चार बार बारिश बहुत तेज हुई। जखेड़ा भी इस बार आया और ऐसा अन्दाजा है कि इस बार कहीं कहीं पर भूकम्प भी आया। इस तरह से सर, जो पानी घमार नदी की तरफ जाना था, वह नहीं जा सका और यमुना में भी ड्रेन न० आठ, दो और 6 का पानी यमुना के ओवर फलों की वजह से नहीं जा पाया। इन नदियों में पानी बहुत ज्यादा होने की वजह से पचास पचास मील लम्बी और दस दस फुट ऊंची पानी की गी ट की शीट बन गयी और आगे चलकर यह हीट भिवानी में लिफ्ट के एरिया में लगी। सर, यह तो नैचुरल कैलेमिटी हुई जिसका रिकार्ड अभी तक भी हरियाणा में नहीं मिलता। जो हमारे पास रिकार्ड उपलब्ध है और जो सुना गया है, उसके अनुसार 1666 में इस तरह का भूकम्प और इतनी ज्यादा बारिश हुई थी और तभी के जगह पर थेड बने। हुए है। सर, इस यार 500 से लेकर एक हजार उगल तक बारिश हुई। इस बारिश ने इस बार जानवरों को और मनुष्यों को पटक-पटक कर मारा है और जो थेड यमुना एवं घग्गर नदियों के हैं, वह 1666 के ही हैं। स्पीकर सर, मेरे कहने का भाव यह है कि हमारे जो विपक्ष के भाई हैं, उनको ही इस बाढ़ की चिन्ता नहीं है, सरकार को भी इसकी उतनी ही चिन्ता है और इस बाद के आने में सरकार का ही दोष नहीं है क्योंकि यह तो एक नैचुरल कैलेमिटी है। इस तरह की बाढ़ तो इस सैंचुएरी में एक बार ही आयी है। लेकिन जो इन्होंने सवाल किया है कि डी-सिल्टिंग और मैंटीनेसं नहरों की नहीं करवायी गयी, तो मैं

कहना चाहूंगा कि ऐसी बात नहीं है। इन्होंने यह भी कहा कि भिन्न भिन्न तरीकों से जो पैसा लगाया गया, वह भी ठीक नहीं लगाया। तो सर, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि हरियाणा में टोटल नहरें 1370 के करीब हैं और ड्रेन करीब 401 हैं। इतने। सारी नहरें और ड्रेनें एक साथ एक साल में ठीक नहीं हो सकती क्योंकि इतने पैसे का प्रावधान ही नहीं है। ये तो फेज वाइज ठीक होती हैं, यानी एक बार तीस चालीस को और दूसरी बार फिर इतनी ही नहरों और ड्रेनों को ठीक कराया जाता है। जहां जहां पर इनको ठीक करवाने की ज्यादा जरूरत थीं, वहां पर ठीक किया गया है। इनकी यह नहीं सोचना चाहिए कि सरकार भिवानी के खिलाफ है। ये हर बार कह देते हैं कि भिवानी में कुछ नहीं हुआ लेकिन सरकार के मन में इस तरह की कोई बात नहीं है। जहां जहां दिक्कतें हैं, वहां उनको ठीक करने के लिए प्रयत्न किए गए हैं और आगे भी हम प्रयत्न करेंगे। मैंने इस बारे में आकड़े भी दिए हैं। हम नहरों के बीच में से मिट्टी एवं जाला निकालकर उनको ठीक कराते हैं।

प्रो० छतर पाल सिंह: स्पीकर सर, ये स्पीच क्यों दे रहे हैं। सप्लीमेंटरी का जवाब सप्लीमेंटरी की तरह से ही दिया जाना चाहिए। (शोर एव व्यवधान)

Mr. Speaker : Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर।

Imprisonment to Police officers/officials

***1206 Shri Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any officers/officials of Police Department have been convicted and sentenced to Jail by the Supreme Court of India during the year, 1995 for Contempt of Supreme Court/ filing of false affidavit in the Apex. Court, if so, the names thereof, togetherwith the action taken or proposed to be taken against them?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): सर्वश्री अनिल डाबरा, आई०पी०एस ०, शाम लाल गोयल, आई०पी०एस० तथा राजेन्द्र सिंह निरीक्षक नं० 45/एच के न्यायालय की अवमानना हेतु सर्वोच्च न्यायालय जरा दिनांक 2-5- 95 को क्रमशः 2, 3 और 3 महीने की साधारण कैद की सजा दी गई थी। उन्हें 2- 5- 95 से निलम्बित किया गया था। उनकी सजा की अवधि पूरी होने पर उन्हें उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही पर बिना किसी प्रभाव के बहाल किया गया था। इन तीनों अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

Opening of College in the State

***1214. Shri Azmat Khan :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a College at Hathin in district Faridabad; if so, the time by which the said College is likely to be opened ?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना): जी नहीं, प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

Supply of Ganga Water to Haryana State

***1232. Shri Zile Singh :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether any proposal was sent to the Central Govt. for getting water of Ganga River to the State of Haryana; if so, the details thereof together, with the action taken thereon by the Central Govt. ?

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा):

(क) हां श्रीमान जी, गंगा नदी का पानी प्राप्त करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा था।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग ने यह कह कर प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया कि कोई फालतू पानी उपलब्ध नहीं है।

Agricultural Land Affected by Floods

***1228. Prof. Ram Bilas Sharma :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total area of agricultural land affected by floods in the State during the month of September, 1995; and

(b) the loss of crops in terms of rupees, caused by the floods in the area as referred to in part (a) above ?

राजस्व मन्त्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी):

(क) 25- 9- 95 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार सितम्बर, 1995 में आई बाढ के कारण राज्य में 17.86 लाख एकड़ कृषि भूमि प्रभावित हुई है

(ख) फसलों को हुई अनुमानित क्षति लगभग 1425 करोड रुपये है।

Providing of Emergency Service in Jhajjar Hospital

***1235. Shri Daryao Singh :** Will the Minister for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide 24 hours casualty services in the Civil Hospital, Jhajjar ?

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदा मन्त्री (बहन करतार देवी): यहाँ पर अलग से आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, झज्जर में 24 घण्टे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Loan given by H.S.I.D.C.

265. Dr. Ram Parkash : Will the Minister for Industries be pleased to State—

(a) the districtwise names and addresses of the persons to whom loan has been advanced by HSIDC during the period from April, 1991 to date togetherwith the detail of amount thereof: and

(b) the number of persons out of those referred to in part (a) above belonging to Ssheduled Castes and Backward Classes ?

उद्योग मंत्री (श्री ए ०सी ० चौधरी): (क) तथा (ख) सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

1- 4-95 से 15- 7- 95 तक दिये गये अवधि ऋण (टर्म लोन) की सूची

क्रमांक	नाम एवं पता	दी गई राशि	संस्थापक का नाम (रुपये लाखों में)	क्या एस० सी०/एस० टी०/बी० सी० द्वारा स्थापित किया गया
1	2	3	4	5
	फरीदाबाद			
1	वी ०सी ०एस० इन्टरप्राइजिज प्रा ० लि०, गांव निमका,	54.31	श्री डी ०पी ० वशिष्ट	नहीं

	होडल,फरीदाबाद ।			
2.	एस०एन०एस० लेबॉरेटेरीज लि०, दिल्ली मथुरा रोड, गांव पिरथला, तहसील पलवल, जिला फरीदाबाद ।	20.49	श्री विपिन कुमार सिंगल	नहीं
3	दिपक इंडस्ट्रीजलि० 14/7 मथुरा रोड, फरीदाबाद ।	30.43	श्री एम ०आर० दगा	नहीं
4.	सुपर सीलस इंडिया लि० मथुरा रोड, फरीदाबाद ।	201.28	श्री कमल तलवार	नहीं
5.	सतारवायर लि०, 21/4 मथुरा रोड, बल्लभगढ ।	38.91	श्री एस०आर ० गुप्ता	नहीं
6.	अर्पणा प्रिंट पैक प्रा ० लि० 23- 1, डी ०एल०एफ० इंडस्ट्रियल एरिया, फरीदाबाद ।	95.00	श्री डी ०के० महेश्वरी	नहीं

7.	आर्डशर ट्रैक्टरस लि०, 39, इंडस्ट्रियल एरिया, फरीदाबाद ।	108.00	श्री विक्रम पाल	नहीं
8.	ई०सी०ई० इंडस्ट्रीज लि० गांव निमका, जिला फरीदाबाद ।	150.00	श्री आर ०एन ० जजु	नहीं
9.	शिवालिक प्रिंटस प्रा ० लि ०, 1297, सेक्टर 15, फरीदाबाद ।	34.97	श्री वी ०के० जिंदल श्री महिन्द्र सिंह	नहीं
10	हिन्दुस्तान लेदर एक्सपोर्टस लि०, फरीदाबाद	98.00	श्री गुरचरण सिंह	नहीं
11	सुपर सीलस इंडिया लि० नजदीक बदरपुर बार्डर, मथुरा रोड, फरीदाबाद ।	19.45	श्री राकेश जैन	नहीं
12	गुप्ता मशीन टूल्ल (प्रा ०) लिमिटेड, प्लाट नं० 24 फरीदाबाद ।	126. 50	श्री मोहन गुप्ता	नहीं

13	टलबरोस आटोमोबाइलज कम्पोनेंटस लिमिटेड 74, सेक्टर 6, फरीदाबाद।	32.28	श्री राजीव कपूर	नहीं
14.	तोशी आटो इंडिया प्रा० लिमिटेड 12/2 मथुरा रोड, फरीदाबाद।	97.22	श्री डी ०के० जैन	नहीं
15	इंडियन एल्यूमिनियम केबल्स लिमीटेड, 12/1, माइल स्टोन, दल्ली मथुरा रेल, फरीदाबाद।	38.28	श्री एस ०एस० भूवानियां	नहीं
16	डल्कान टैक्सटाईलज लिमिटेड, एच०एस० आई ०डी ० सी ०, इंडस्ट्रियल एस्टेट, फरीदाबाद।	124.70	श्री एस०एस ० सिंगल	नहीं
17.	खेमका कटेनरस लिमिटेड, 287, सेक्टर	150.00	श्री शिव	नहीं

	24, फरीदाबाद ।		खेमका	
18.	प्रेम सन्त एम्बरोयडरी लिमिटेड, 17/6 मथुरा रोड, फरीदाबाद ।	67.00	श्री रमेश मल्होत्रा	नहीं
19	ओरियन्ट स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 20/1, मथुरा रोड, फरीदाबाद ।	27. 60	श्री पी ०के० राजगरिया	नहीं
	कुल	1514.42		
	गुड़गांव			
1	सपना सेरमिक्स (प्रा०) लिमिटेड, उद्योग विहार, गुड़गांव ।	11.00	श्री वी०डी० अग्रवाल	नहीं
2	हरटरोन कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, 244-245 उद्योग विहार, गुड़गांव ।	19.72	श्री सुरजीत मलिक	नहीं
3	रिशब फूडस प्रोडक्टस,	3.77	चौ० श्याम	नहीं

	रोज-का-मेव, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुड़गांव।		सिंह	
4.	अनेक्सो इंजीनियरिंग, प्रा० लिमिटेड, उद्योग विहार, गुड़गांव।	150.50	श्री रमेश कपूर	नहीं
5.	पशुपति टेक्नोफैव लिमिटेड, रोज-का -मेव गुड़गांव।	29.35	श्री राजन गुप्ता	नहीं
6.	लेसर लैम्पस (हरियाणा) लिमिटेड, प्लॉट नं० 10 सेक्टर 18, मारुति इंडस्ट्रियल कम्पलैक्स, गुड़गांव।	10.00	श्री डी०के० जैन	नहीं
7.	इनोवेटिव टैक पैक, रोज-का मेव, गुड़गांव।	150.00	श्री के सायजी राव	नहीं
8.	क्यु० एच० तलब रोज लिमिटेड 400 उद्योग बिहार, गुड़गांव।	49.75	श्री नरेश तलवार	नहीं,

9	वाटिका रिसोर्टस लिमिटेड फार्म हाऊस सोहना, जिला गुड़गांव।	16.24	श्री अनिल भल्ला	नहीं
10	माल्ट कंपनी इंडिया (प्रा०) लिए खांडसा रोड, गुड़गांव।	123.26	श्री पी० के० जैन	नहीं
11	सन्दार लोकिंग (प्रा०) लिमिटेड उद्योग बिहार, गुड़गांव।	72.30	श्री जयन्त डाबर,	नहीं
12	क्लासिक डायल्स (प्रा०) लि०, 367 फेज 2, उद्योग विहार, गुड़गांव।	82.22	श्री एस० सी० जैन	नहीं
13	रघुबीर मशीनरी लिमिटेड नरसिंगपुर जयपुर हाइवे, गुड़गांव।	130.92	श्री रघुबीर प्रसाद	नहीं
14	चावला एंटरप्राइजिज लिमिटेड प्लाट नं०14,	53.60	श्री के० एस० चावला	नहीं

	सेक्टर 18, मारुती इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स, गुडगांव।			
15.	ओ० के० प्ले इंडिया लिमिटेड 17, रोज-का-मेव, इंडस्ट्रियल एस्टेट, सोहना, जिला गुडगांव।	108. 81	श्री राजन हाण्डा	नहीं
16	परासा इलक्ट्रॉनिक्स लि०, 249-सी, उद्योग विहार, फेज- 4, गुडगांव।	102.20	श्री शरद कपूर	नहीं
17	वलसपन पोली बटन लि० 2/1 ब्रहमपुर रोड, खण्डसा 38 कि० मी०, नैशनल हाई-वे, गुडगांव।	20. 50	श्री अंजनी गोनका	नहीं
18.	गबस पोलीबलैकस लि०, 2/2 ब्रहमपुर रोड, खंडसा, 38 कि०	80. 64	श्री अंजनी गोनका	नहीं

	मी ० नेशनल हाईवे, गुडगांव।			
19.	फोनिक्स फारमासुटिकलस लि०, रोजकामेव, गुडगांव।	50.00	श्री ओ० के० क्रमिक	नहीं
20.	रिसन सिमेंट लिमिटेड, गांव, सुनैरी, सब तहसील तावडू, जिला गुडगांव।	2.78	श्री राकेश जैन	नहीं
21.	बरुनी सेन्ट इन्टरनेशनल लिमिटेड, 260, उद्योग बिहार, फेज- 1, गुडगांव।	49.88	श्री अनुज बोडर	नहीं
22.	एक्स० ओ० संटमपींगस लिमिटेड, उद्योग बिहार, गुडगांव।	47.90	श्री नरेश तलवार	नहीं
23	भुरजी सुपर टैंक इंडस्ट्रिज लिमिटेड, उद्योग विहार,	109.50	श्री के० एस० भूरजी	नहीं

	गुड़गांव ।			
24.	परफैक्ट पैन प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नं०-527, फेज- 5, उद्योग विहार, गुड़गांव ।	86.00	श्री अशोक कुमार	नहीं
25.	नारायण ज्वैलस इन्टरनेशनल लिमिटेड, 39- 40 उद्योग विहार, फेज- 4, गुड़गांव ।	56.00	श्री अमृत नारायण	नहीं
26	नीटक्स इंडिया लिमिटेड, एच० एस० आई० डी ० सी ०, उद्योग विहार, गुड़गांव ।	50.80	मिस दिप्ती श्री वास्तवा	नहीं
27	विमल मोलडरस लिमिटेड, उद्योग विहार, फेज- 4, गुड़गांव ।	115.00	श्री अबनेस बतरा	नहीं
28.	मारुती सिनटेक्स	85.00	श्री वेद मेहता	नहीं

	(इंडिया) लिमिटेड, मारुती इंडस्ट्रियल कम्पलैक्स, गुडगांव।			
29.	विनायक जक्कार्ड लि०, 216, उद्योग बिहार, गुडगांव।	12.73	श्री संदीप अग्रवाल	नहीं
30	ग्लोबल इंडस्ट्रिज लिमिटेड पो० ओ० दमदमा, सब तहसील सोहना, जिला गुडगांव।	140.00	श्री आर० पी० सिंह	नहीं
31.	टेक्नो वेसलैस लि० रोज-का-मेब, गुडगांव।	65.60	श्री कल्याण दत्त राय	नहीं
32	जीवन क्लोरा लि० गांव हरचंदपुर, निमीत, तहसील सोहना, जिला गुडगांव।	30.00	श्री जे० के० जैन	नहीं
33	सर्वप्रिया इंडस्ट्रिज प्रा० लि० 29. कि० एम०	106.00	श्री मदन जिंदल	नहीं

	स्टोन, दिल्ली-जयपुर हाईवे, गुड़गांव।			
	कुल	2162.46		
	यमुनानगर			
1	प्रकाश सट्रिप्स (प्रा ०) लि० देवी भवन बाजार, जगाधरी-135003।	74.59	श्री जे ० पी ० गोयल	नहीं
2.	शक्तिमान सिमेंट लि० पुलिस स्टेशन के पीछे, 31, इंडस्ट्रियल एरिया, यमुनानगर।	66.95	श्री अश्वनी कुमार	नहीं
3.	ममता सिमेंटस क० (प्रा ०) लि० गोबिंदपुरा, यमुनानगर।	26.24	श्री संजय शर्मा	नहीं
4	अडवांस सिमेंटस लिमिटेड मार्फत कृष्णा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, छछरोली रोड, जगाधरी।	20.00	श्री प्रभात चंदा	नहीं

5.	कमल इंजीनिरिंग लि० 56-इंडस्ट्रियल एस्टेट, पो० बा० नं० - 51, यमुनानगर।	17.28	श्री अनिल कुमार पद	नही
6	आर० डी ० एक्सटरुजंस लि० वी ० पी० ओ० उधमगढ़, छछरौली रोड, जगाधरी- 135003	80.70	श्री प्रेम एस० गर्ग	नहीं
	कुल:	285.76		
	अम्बाला			
1.	हरियाणा निटरों केम लि० गांव, मनका, पी० ओ० रामगढ़, जिना अम्बाला।	115.64	श्री संजीव आहलूवालिया	नहीं
2.	गोल्डन लेमिनेटस लि० इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकुला।	132.06	श्री जगदीश गुप्ता	नहीं
3	कृष्ण कन्हैया मिल्क फुडस लि०, साहा,	140.41	श्री अरुण	नहीं

	अम्बाला ।		गुप्ता	
4	नितिका सिमेटस (प्रा०) लि० गांव जसपुर, तहसील नारायणगढ (अम्बाला)	33.00	श्री दीपक कुमार गुप्ता	नहीं
5	ए० एम० औयलस एंड फैटस (प्रा ०) लि० गांव अलीपुर, पंचकुला ।	150.00	श्री अशोक मोहन बंसल	नहीं
6	अम्बाला सिमेंटस लि० 5204, पहली- मंजिल, डी ० सी ० रोड, अम्बाला कैण्ट ।	20.00	श्री सुनील चंद्रा	नहीं
7.	पोलो होटलस लि० नजदीक घग्घर पुल, पंचकुला ।	120.00	श्री विकास पाल गर्ग	नहीं
8.	पारड कैम लिमिटेड 45 -इंडस्ट्रियल एरिया, फेज- 2, पचकुला ।	94.00	श्री अश्वनी सोनी	नहीं

9.	गोल्ड लेमिनेटस लि० 214, एच० एम०टी० इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज- 1, पंचकुला।	74.50	श्री आई० डी ० कस्तोज	नहीं
10	पवन एग्रो फूडस लि० गांव खरावली, (कालका) जिला अम्बाला।	40.00	श्री रमेश गुप्ता	नहीं
11.	स्वास्तिक एग्रो ऑयल लि० 7वां कि ० मी ० माईल स्टोन, गांव व तहसील बलरा, हिसार रोड, अम्बाला शहर।	140.10	श्री एन० के० जैन	नहीं
12	यूनी रोयल टैक्सटीइलस लि० 406, फेज- 2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकुला।	152.80	श्री अरविन्द महाजन	नहीं
13.	पाम रफिया लि०, गांव कोना, नजदीक पिजौर, जिला	99.00	श्री आर० एस० सन्धु	नहीं

	अम्बाला ।			
	जोड	1302.51		
	सोनीपत			
1	रोबा टैक्सटाइलस लि०, गांव बिडाना जिला सोनीपत ।	46.00	श्री रवीन्द्र गर्ग	नहीं
2	ज्योति आयल इंडस्ट्रीज लि० भालगढ रोड सोनीपत ।	44.90	श्री विजय अग्रवाल	नही
3	पिकनिक टडिया लि०, जी०टी रोड, पानीपत ।	150.00	श्री एम० सी० वर्मा	नहीं
4.	ज्योति वनस्पति एण्ड बलाइड इंडस्ट्रीज लि०, भालगढ रोड, सोनीपत ।	150.00	श्री विजय अग्रवाल	नहीं
5.	भाबनी पिगमेंटस लि०. खोक होडा, जिला सोनीपत ।	30.00	श्री ए० एल० गर्ग	नहीं

8	इन्डो एशियन भसगेर लि०, जी ० टी० रोड, मुरथल।	182.50	श्री वी० पी० महेन्द्र	नही
	जोड़	602.40		
	पानीपत			
1	अतर स्पीनर्ज (प्रा०) लि०, इंडस्ट्रियल एरिया, पानीपत।	148.98	श्री डी० पी० जैन	नही
2.	गाबा ओवरसीज लि०, संजय चौक के पीछे, जी० टी ० रोड, पानीपत।	145.50	श्री राजेश गाया। श्री अनिल-गाबा	नहीं
3.	हरियाणा औदौनिकस लि०, चुलकाना रोड, समालखा, जिला पानीपत।	143.50	श्री अनिल सरुप	नहीं
4	उत्तम टैक्सटाईल्ज (प्रा ०) लि०, 84वां कि० मी० स्टोन, जी० टी० रोड, सिवाह,	22.90	श्री रघुनन्दन गुप्ता	नहीं

	पानीपत ।			
5.	एस० के० कोटेक्स लिमिटेड, जी० टी० रोड, पानीपत ।	204.00	श्री राजेन्द्र गर्ग	नहीं
5.	के० के० स्पीनर्ज 99वां मील पत्थर, गंजगड, जी० टी० रोड, पानीपत ।	99.91	श्री बसंल	नहीं
7	गाबा होमटेक्स लि०, संजय चौक, जी० टी० रोड, पानीपत ।	88. 30	श्री राजेश गामा	नहीं
8.	महालक्ष्मी स्पीनर्ज लि० बरसत रोड, पानीपत ।	119.00	श्री एम० पी० जैन	नहीं
9	वीर वर्धमान लि० जी० टी० रोड, पानीपत ।	115.06	श्री विजेन्द्र कुमार जैन	नहीं
10	डिवाइन स्पीनर्ज लि० 28वां मील पत्थर, गांव चिदाना, पानीपत ।	56.00	श्री विनोद भाटिया	नहीं
11	ढिल्लो कूल ड्रिंक्स एंड	150.00	श्री के० एस०	नहीं

	बिवरेजिज लि० गांव अलीअसगर पुर, पानीपत ।		ढिल्लो	
	कुल	1291.13		
	रिवाडी			
2	हरियाणा सूरज मानटिंगस लि०, 96वां मील पत्थर, दिल्ली-जयपुर रोड, बावल, जिला रिवाडी ।	150.00	श्री मुकेश कुमार अग्रवाल	नहीं
2	पशुपती स्पीनिंगस मिल्ज लि०, गांव कपरीवास, जिला रिवाडी ।	129.50	श्री रमेश कुमार जैन	नही
3.	बाबा रूपा दास स्थीनिंगस एंड वीविंग लिमिटेड, गांव डनजीमस, जिला रिवाडी ।	150.00	श्री संदीप भटोटिया	नही

4.	गरुवा क्ले प्रा० लि० गांव जलियाबास, जिला रिवाडी।	44.65	कैप्टन आर० एस० सिंधु	नहीं
5.	ए०जी० आर० स्टील स्ट्रीप्स लि० धारूहेरा, रिवाडी।	39.00	श्री राजेश जैन	नहीं
6.	चेतक स्पीनटैक्स लि० 7वां मील पत्थर गढ़ी बोली, रिवाडी रोड बिकानपुर, ब्लॉक बावल, जिला रिवाडी।	48. 00	श्री जी ० एस० अग्रवाल	नहीं
6.	हेनन इंडिया लिमिटेड गांव सालावास, मरेन्द्रगढ।	60.00	श्री अनिल अग्रवाल	नहीं
	कुल	621.15		
	हिसार			
1.	अरावली पाईपस लि० 130 अर्बन ऐस्टेट-2, हिसार।	134.00	श्री विनोद के० बंसल	नहीं

2.	जी० के० टैक्सटाईल्ज लि० 1667 अर्बन एस्टे - 2, हिसार।	67.00	श्री पंकज गुप्ता	नहीं
3	हिसार स्पीनिंग मिलज लि० गांव डाबरा, जिला हिसार।	147.86	श्री तरनोकी नाथ गर्ग	नहीं
	कुल	368. 86		
	जीन्द			
1.	के० सी० टैक्सटाईल्ज लि० दिल्ली रोड, जींद।	130.00	श्री एस० के० गोयल	नहीं
2.	बी० आर स्टीनटैक्स लि० पटियाला रोड, नरवाना।	150.00	श्री मुकेश गर्ग	नहीं
	कुल	280.00		
	सिरसा			
1.	सुन्दर दास सेतिया स्पीनिंग मिलज लि०	138.04	श्री राकेश अग्रवाल	नहीं

	दिल्ली रोड, सिरसा।			
2.	जगदम्बै पेपरशस इंडस्ट्रीज (प्रा०) मि० बेगु रोड, सिरसा।	272.75	श्री रमेश गोयल	नहीं
3.	जय लक्ष्मी स्पीनिंग मिल्ज गांव मोरीवाला, जिला सिरसा।	150.00	श्री तोती लाल श्री दिवेन्द्र गुप्ता	नही
4.	भाखड़ा एगो इंडस्ट्रीज लि० रानिया रोड, सिरसा।	100.00	श्री सदीप आहूजा	नही
	कुल	660.79		
	रोहतक			
1.	जोडिएक सिमेंटस (प्रा०) लि० हिसार रोड, रोहतक।	29.40	श्री आर० के शर्मा	नहीं
2.	चौधरी पोलीफोटरस माडर्न इंडस्ट्रियल एस्टेट, बहादुरगढ, रोहतक।	150.00	श्री अनिल चौधरी	नही

3	सोहना सिमेंटस लि० नजदीक गांव कामरिया, रोहतक।	39.83	श्री जितेन्द्र प्रकाश बेरी	नहीं
4.	आरती सोलवक्स लि०, रोहतक रोड, बहादुरगढ।	62.00	श्री अनिल गर्ग	नहीं
6	मौदगिल फाईबरस (प्रा०) लि०, 58 मील पत्थर, दिल्ली रोहतक रोड, गंधारा, रोहतक।	145.00	श्री सुरेन्द्र मोदगिल	नहीं
6.	सिंगल स्ट्रीप्स लि०, सांपला रोहतक रोड, रोहतक।	57.00	श्री शंकर सिंगल	नहीं
7.	अकान इलैक्ट्रानिक्स (प्रा ०) लि०, गांव जाखोदा, रोहतक रोड, बहादुरगढ।	68.09	डा० के ० सरीन	नहीं
8.	आर० एम० प्लाईवुड लि०, जीद रोड, रोहतक।	85.50	श्री रमेश कुमार	नहीं

9	बराइटर हौजरो लि० रोहतक रोड, बहादुरगढ ।	82. 85	श्री एस० एस० चमारिया	नहीं
	कुल	719. 67		
	करनाल			
1.	करनाल मिल्क फूडस लि० 134 वां मील पत्थर, पो० बा ०, नं० 155, करनाल ।	94.00	श्री जी ० सी० गुप्ता	नहीं
2	तन्ना एग्रो इंपक्स लि०, राय पुरा रोड, घरौंडा, जिला करनाल ।	133.52	श्री दिपक तन्ना	नहीं
	कुल	227.52		

(ख) हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति/पिछडे वर्ग से सम्बन्धित उद्यमियों द्वारा कोई भी इकाई स्थापित नहीं की गई ।

शोक प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही आगे चलने से पहले मुझे एक शोक प्रस्ताव पेश करना है। श्री सुरजीत सिंह मजोठिया, पूर्व केन्द्रीय रक्षा उप मंत्री के 27 सितम्बर, 1995 को हुए दुखद निधन पर यह सदन गहरा शोक प्रकट करता है। 85 वर्षीय श्री मजोठिया योग्य सांसद, शिक्षाविद तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे अनेक सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से संबंधित थे। उन्होंने भारतीय सेना में काम किया। वे 1952 से 1965 तक लोक सभा के सदस्य रहे। उनके निधन से देश एक कुशल राजनीतिज्ञ, योग्य सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जो शोक प्रस्ताव रखा है, मैं अपनी ओर से और आनी पाटों की ओर से उसका समर्थन करता हूँ। सुरजीत सिंह जी मजोठिया हमारे बहुत सीनियर लीडर थे। राजनीति में और समाज में उनका एक प्रमुख स्थान रहा है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उन्होंने सेना में काम किया, रक्षा मंत्रालय में काम किया, ऐसे व्यक्ति के चले जाने से हमें बेहद दुख है। मैं अपनी ओर से अपनी पार्टी की ओर से उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। इसके साथ-साथ यदि हाउस की इजाजत है तो जो प्रस्ताव पहले दिन पेश करने से रह गया था, जैसा कि पहले भी हमने प्रशासनिक व दूसरे अधिकारियों, जिन्होंने स्टेट में बढ़िया

काम किया है, उन लोगों को संवेदना प्रकट की थी, वैसे ही विजय कुमार जो, रिटायर्ड आई०ए०एस० आफिसर के बारे में करना चाहते हैं। विजय कुमार डी०सी० रह चुके हैं। वे कैसर से पीड़ित थे और भगवान को प्यारे हो गए। वे एक ईमानदार, निपुण प्रशासनिक अधिकारी थे। उनके चले जाने से हमें बड़ा दुख है। हम उनके परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं।

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दि हाउस ने जो शोक प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और उस के साथ-साथ लीडर आफ दि अपोजीशन ने श्री विजय कुमार के बारे में कहा है, उसकी ताईद करता हूँ। श्री विजय कुमार बहुत ईमानदार और कर्मठ अधिकारी थे। सदन के पहले दिन यह बात मिस हो गई थी। ऐसा ईमानदार व्यक्ति जिसने इतनी लगन से काम किया हो, उनका नाम भी इसमें ऐड कर लिया जाए।

चौधरी भजन लाल: इस नाम को ऐड करने में हमें कोई ऐतराज नहीं है।

प्रो० राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्रीखवक्ती जी ने शोक प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। प्रो० संपत सिंह जी ने भी ठीक कहा है। सदन के पहले दिन यह शोक प्रस्ताव नहीं रखा जा सका था। श्री विजय कुमार जी बहुत ही ईमानदार आफिसरों में से थे। रिटायर होने के बाद वे शराबबंदी

के आदोलन में जोर शोर से लग गए थे। उनके निधन से हमने एक ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी खोया है। मैं उनके निधन पर दुख का इजहार करता हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

Mr. Speaker : I also associate myself with the feelings expressed in the House on the sad demise of Sardar Surjit Singh Majithia and Sh Vijay Kumar IAS Officer and request the Hon'ble Members to observe two minutes

(The Sahha then stood in silence for two minutes as a mark of respect to the memory of the departed souls).

I will convey thy feelings of the House to the members of the bereaved families.

मन्त्री परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: अब मुख्य-मन्त्री जी मोशन अंडर रूल 84 पर बोलेंगे।

(इस समय मुख्य मन्त्री जी बोलने के लिये खड़े हुए)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, कल 21 मैम्बर्ज ने हरियाणा की मौजूदा सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव दिया था कि राज्य में कांस्टीच्युशनल मशीनरी बिल्कुल फेल हो चुकी है। कानून और कांस्टीच्युशन की कोई कदर ही नहीं रही है ओर आज आपको पता ही है कि हरियाणा पुलिस में लोगों का विश्वास ही नहीं रहा है। जिस ढंग से पुलिस को सरकार इस्तेमाल

कर रही है, जैसे आज एक सवाल के जवाब में यह ताकि लोगों का विश्वास बिल्कुल इस सरकार पर नहीं रहा है। कितनी बार लोगों को सी० बी०आई० की शरण लेनी पड़ी और कई ऐसे मामलों में पुलिस अफसरों को सजा भी हुई है। हमारे उस अविश्वास प्रस्ताव का क्या बना?

श्री अध्यक्ष: सम्पत सिंह जी, आपने यह नोटिस कितने बजे दिया था?

प्रो० सम्पत सिंह: कल रात को 9 बजे दिया था, अब तक साढ़े 13 घण्टे हो गये हैं।

Mr. Speaker : Please take your seat. I quote the relevant 'rule 74 in this regard which is as under

"Every Notice required by the rules shall be given in writing addressed to the Secretary and shall be delivered at the Assembly Office. If it is delivered between 10 a.m. and 3 p.m. on a day when the office is open, it shall be treated as delivered on that day. If it is delivered at any later time open any ability, it shall be treated as delivered, on the day on which the of next. opens. A notice communication Which is not legibly written may, and if it is not signed by the member sending it, shall be rejected."

So the notice given by you is under-consideration.

Prof. Sampat Singh : Sir, the no-confidence motion is taken **up** for discussion immediately. (Interruptions). For how much time, it is under consideration ?

श्री अध्यक्ष: आपको यह पूछने की आवश्यकता नहीं है।
(शोर)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, यह फैसला आपने ही लेना है। (शोर) You have every right to fix the time for discussion, but you are to take the decision.

Mr. Speaker : It is under consideration.

प्रो० सम्पत सिंह: यह दूसरे, बात है कि आप डिस्कशन के लिये कितना टाईम अलाट करते हैं। (शोर) इसका तो आपको पूरा अधिकार है, स्पीकर सर। यह आपका प्रैरोगेटिव है। (शोर) लेकिन इसके बारे में फैसला तो आपको अभी ही करना है।

डा० राम प्रकाश: स्पीकर साहब, मुझे भी बोलने का समय दिया जाए। (शोर)

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, आपको हमने बोलने की इजाजत नहीं दी है। (शोर) आप यूँही खड़े होकर बोलना शुरू कर देते हैं, आप बैठिए। (शोर) पहले आप चेयर से बोलने की परमिशन लें, तब बोले। (शोर)।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, जब हमारा सरकार पर विश्वास ही नहीं का तो इस हाउस का अगला काम कैसे हो सकता है। पहले तो आपको नो-कांफीडेंस मोशन का फैसला करना पड़ेगा। (शोर) इसीलये पहले आप नो-कांफीडेंस मोशन को टेक आ करें। यह मेरी रिकवैस्ट है। स्पीकर सर, आपने ठीक

फरमाया कि हमारा यह नोटिस अगले दिन दिया माना जाएगा, हमें कोई एतराज नहीं। आप इस की आज ही दिया मान लें लेकिन इसको अभी ऐसी वक्त टेक अप करें। (शोर) जब एक बार नो—काफीडैन्स मोशन आ गया है तो पहने उसका फैसला होगा, तब अगला काम होगा। जब हमारा इस सरकार पर विश्वास ही नहीं रहा तो अगला काम कैसे से हो सकता है? पहले डस मोशन का जवाब आ जाए, इसका फैसला हो जाए कि हाउस का विश्वास इस मौजूदा सरकार पर है या नहीं है। उसके बाद ही आगे की कार्यवाही होनी चाहिये।

Dr. Ram Parkash : Mr. Speaker Sir, I seek your permission to quote Rule 65, which is mentioned at page 41 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Legislative Assembly.

The Rule says—

"(1) A motion expressing want of confidence in, or disapproving the policy in a particular respect of a Minister or the Ministry as a whole, may be made, subject to the following restrictions, namely :-

(a) leave to make a motion must be asked for after questions and before the business on the list for the day is entered upon ;

(b) the member asking for leave just before the commencement of the sitting of the day leave with the Secretary a written notice of the motion which he proposes to

make सर, रूल के मुताबिक नोटिस हम पहले ही दे चुके हैं। इन दोनों रिस्ट्रिक्शंस के मुताबिक इसको आज लिया जा सकता है। तीसरी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस पर कोई डिविजन भी नहीं होती। जो दो रिस्ट्रिक्शंस हैं वे सिर्फ यह हैं कि क्वेश्चन आवर के बाद और बिजनैस लेने से पहले। नोटिस के बारे लिखा है "just before the commencement of the sitting." जो लिख कर देना था कह 21 सदस्यों ने दे रखा है और उस पर 21 सदस्यों के दस्तखत हैं। उसके बाद आप हाउसे में पूछेंगे कि क्या 18 सदस्य उसका समर्थन करते हैं? अगर करते हैं then it has to be discussed and it will have to be taken. मैं समझता हूँ कि जिस मन्त्रिमंडल के अन्दर अविश्वास का प्रस्ताव आ जाए, उसे अगला बिजनैस करने का हक नहीं होता। (शोर) इसीलिये ये जो दो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उस पर हम आपकी रूलिंग चाहते हैं कि क्या यह नोटिस इनकंडीशनल को पूरा करता है या नहीं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। श्री सतबीर सिंह कादयान बोलेंगे।

श्री सतबीर सिंह काययान: स्पीकर साहब, कल हमने एक एडजर्नमेंट मोशन दिया था। उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमने वह मोशन दे रखा है तो सरकार को कोई और कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। इसलिये उस पर बोलने का हमें मांका मिलना चाहिये। उसके अलावा मैंने कल पानीपत शूगर मिल के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष: कादयान साहब, आप बैठिए।

चौ० बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कुछ परम्पराएं हैं। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मेरी आपसे हम्बल सबमिशन है कि आप हाउस को 15 मिनट के लिये एडजर्न कर दें और इस मामले पर विचार कर लें। (शोर)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, हाउस को एडजर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, हाउस की कार्यवाही नहीं चल रही है इसलिये आप हाउस को 15 मिनट के लिये एडजर्न कर दें। आप 15 मिनट में इस बारे में फैसला करके फिर हाउस को चला लें। (शोर)

श्री अध्यक्ष: चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी क्या आपने अपना प्वायंट बता दिया है? (शोर)

चौ० बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैंने अपना प्वायंट कहाँ कह लिया। (हंसी)

श्री अध्यक्ष: अब कह दें।

चौ० बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी किन्हीं मान्यताओं पर, किन्हीं कनवैनशंस पर फक्शन करनी है।

उनमें यह मान्यता भी सबसे जरूरी है कि सरकार को हाउस का विश्वास प्राप्त रहे। इसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में निभाना पडता है। मैं यह बात लीडर आफ दि हाउस को नहीं बताना चाहता, आपको यह बात इसलिये कहना चाहता हूं कि पिछले 13 साल से मैं भी इस हाउस का सदस्य हूं और मैंने पार्लियामेंट में भी पांच साल देखे हैं। ज्यो ही कभी नो-कांफीडेंस मोशन हाउस में लाया जाता है तो परम्परागत तरीके से लीडर आफ दि हाउस इस को कंसीड करता है और हाउस का बाकी का सारा बिजनैस बंद करके नो कांफीडेंस मोशन को टेकअप किया जाता है। मैं आपके जरिए लीडर आफ दि हाउस को याद दिलाना चाहता हूं कि 1991 से 1995 के बीच जब दो बार नो कांफीडेंस मोशन आया था तो आपने अपनी छाती ठोक कर यह कहा था कि मैं हाउस का सारा काम बन्द करके पहले नो कांफीडेंस मोशन को टेक अप करना चाहता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इतने लम्बे समय दे मुख्य मंत्री हैं। आप कुछ तो परम्पराओं का ख्याल रखो। कुछ तो इन बातों को मान्यता दो जिन पर यह प्रजातान्त्रिक आधार टिका हुआ है। आप मौका दो ताकि यह पता लगे कि पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स का आप में विश्वास प्राप्त है या नहीं। स्पीकर साहब अगर मोशन आर्डर में है तो इसे एडमिट करें और अगर आर्डर में नहीं है तो भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की मान्यताओं को नही निभाएंगे तो वह ठीक नहीं होगा और पौने दो करोड़ हरियाणा की जनता के साथ न्याय नहीं करेगे, तो हाउस के सामने यह बात आएगी कि सरकार

के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है और सरकार उसको स्वीकार नहीं करती और न ही उस पर बहस करवाती है। इसलिए स्पीकर साहब, मैं आप से कहूंगा कि आप बुद्धिजीवी आदमी हैं आपका भी बहुत लम्बा लैजिस्तेचर का कैरियर है, आप मान्यताओं को निभायें।

चौधरी भजन लाल: अलग महोदय, कल सदन ने एक बात की यूनानीमसली एग्री किया था कि दो दिन फ्लड पर बहस हो जाए और कल दो दिन पूरे हो गए। रात को नौ बजे तक आपने सेशन चलाया और एक एक मैम्बर को बोलने का मौका दिया। जब मैं इनकी बातों का जवाब देने के लिये खड़ा हुआ तो चौधरी बंसी लाल और चौधरी सम्पत सिंह जी ने कहा कि आप कल ठीक 10.30 बजे बाढ़ के बारे में जो मुद्दे उठे हैं, उनका जवाब दें और आज जितने मैम्बर बोलने वाले रहते हैं उनको बोलने दें। ये बहुत सीनियर लीडर हैं। चौधरी सम्पत सिंह जी ही बस के अन्दर सारा समय बैठे रहे। आज 10.30 बजे जवाब देने की बात तय हो गयी थी। इस बाढ़ की स्थिति पर पूरे दो दिन बहस चली। चूँकि आज मुझे जवाब देना था इसलिये इन्होंने रात लिख कर दे दिया और मुझे ऐसे समय पर नहीं बोलने दिया जबकि जबकि बहुत जरूरी था। कल भी इन्होंने यही किया था कि मैं जवाब न दे सकूँ, टालने की कोशिश की और आज भी इनकी वही कोशिश है। अगर कल मैं जवाब दे देता तो सैंटर की आखें और कान हरियाणा की तरफ अधिक खुलते। आज फिर ये नहीं चाहते कि मे जवाब दे सकूँ जबकि आज केन्द्र में 4.00 बजे बाढ़ के बारे

में कैबिनेट मीटिंग होनी हैं। इनकी हमदर्दी हरियाणा के प्रति नहीं है। मेहरबानी करके मुझे अपना जवाब देने दीजिए और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो जायेगी। बाढ़ की डिबेट के बाद फौरन हम नो कांफीडेंस मोशन पर डिस्कशन के लिये आपको इंचायट करेगे। पहले हम विश्वास लेंगे और फिर उसके बाद कोई सरकारी कार्य करेंगे लेकिन मेहरबानी करके बाढ़ पर जो दो दिन बहस हुई है, उस पर बोलने दीजिए।

बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर कर, सदन में नो-काफीडेन्स मोशन आया—जैसा कि आपने बताया कि रात के 9— 10 बजे सरकार के खिलाफ नो-काफीडेन्स मोशन दिया है। Sir, you need the time to form your opinion on it. Speaker, Sir, Prof. Sampat Singh has not read sub-rule 2 of rule 65. You have to form the opinion and you need time for it. जैसा कि सम्पत सिंह जी ने कहा कि आया इस पर तुरन्त बहस हो इस बारे में मैं आपको रूल्ज आफ प्रौसीजर एण्ड कण्डक्ट आफ लिजनैस का रूल का भाग दो पढ कर सुनाता हूँ उसमें लिखा है। "If the Speaker is of the opinion that the motion is in order he shall read the motion" So Sir, as per this sub-rule, you have to still form your opinion. You will take your own time. पिछले साल 15 तारीख को नो-कांफीडेंस मोशन सरकार के खिलाफ आया था और अगले दिन यानि 16 तारीख को उस पर बहस हुई थी, न कि उसी दिन, जैसा अब आप चाह रहे है, इसलिये मैं आपसे पूछता हूँ कि You will get your time to form the opinion on this motion,

only then it can be discussed. If you think it is proper and the Government is prepared, as the Chief Minister has assured, you can proceed with this motion. (Noise & Interruptions.)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने रूलज दो का कुछ भाग पढ़कर सुनाया। इसी रूल को मैं पढ़ कर सुनाता हूँ। इसमें साफ लिखा है—

"(2) If the Speaker is of the opinion that the motion is in order he shall read the motion to the Assembly and shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places, and if not less than eighteen members rise accordingly, the Speaker shall intimate that - leave be granted and that the motion will be taken on such day, not being more than ten days from the day, on which the leave is asked, as he may appoint "

स्पीकर साहब, सवाल यह नहीं कि इस पर डिस्कशन कब होगी। डिस्कशन की बात तो बाद में आती है। पहला सवाल तो इस मोशन के एडमिशन का है। इसमें यह नहीं लिखा कि इस के एडमिशन के लिये समय चाहिये। 18 मैम्बरों की तरफ से लिख कर दिया जाना चाहिये, वह हमने लिख दिया है। हमारा कइना तो यह है कि पहले यह नो काफीडैन्स मोशन मूव हो जाए और एडमिट हो जाए, उसके बाद फिर ये जवाब वे देंगे।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि वे पांच साल पार्लियामेंट में रहे हैं, उससे ज्यादा और लम्बा तज्जूर्या सियासी तौर पर मेरा है। (विधन)

चौ० वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट में यह प्रैक्टिस है कि अब अविश्वास प्रस्ताव दिया जाता है तो वह ऐसे नहीं आता। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का दिन तय होता है कि बहस फलां तारीख को होगी। स्पीकर सर, मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार के खिलाफ जो प्रस्ताव आया है आप इसको आज एडमिट कर लिजिए, लेकिन इस पर बहस कल होगी। (विधन)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मुख्य मंत्री जी को इस पर कोई एतराज नहीं है, इसलिये मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप इसको आज एडमिट कर लें। (विधन)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, अगर इस पर आज डिस्कशन होगी तो मैं कल इसका जवाब दूंगा। इस पर जो डिस्कशन होगी मुझे उसका जवाब देना है। अविश्वास प्रस्ताव पर पहले डिस्कशन हो जाए तो पहले हम सदन का विश्वास हासिल करेंगे, उसके बाद ही कोई आगे की कार्यवाही करेंगे। (विधन)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मेरी सबमिशन है कि जैसे मुख्य मंत्री जी ने कहा है, सरकार पहले विश्वास का मत प्राप्त कर ले, आगे की कार्यवाही बाद में करेंगे, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। गवर्नमेंट आफ इण्डिया से मीटिंग है, वहां बाढ़ के

बारे में मुख्य मंत्री जी ने अपना पक्ष रखना है और गवर्नमेंट आफ इण्डिया से ऐड लेनी है। हाउसकी डिस्कशन का जवाब मुख्य मंत्री जी ने देना है। कल और परसों लम्बी डिस्कशन हो इसलिये आप हमारा मोशन एडमिट करें। बाबू पीड़ितों के लिये जो सहायता चाहिये, उस पर पहले डिस्कशन होनी चाहिये क्योंकि ऐसा करने से हाउस की प्रोसीडिंग्स में यह बात आ जाएगी कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया से हमें कितनी सहायता चाहिये। स्पीकर सर, मेरी सबमिशन है कि आप नो कांफीडेंस मोशन को आज ही एडमिट कर लें। (विघ्न एवं शोर) (इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिये खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष: पहले मुझे इसके बारे में बताने दीजिए। (विघ्न एवं शोर) सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न एवं शोर)

Prof. Sampat Singh : Whether No Confidence Motion is being admitted. Sir ? (interruptions).

Mr. Speaker: Please take your seat. You have already said enough. सम्पत सिंह जी, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है (विघ्न) आप अपनी सीट पर बैठें। सभी लोग अपनी सीटों पर बैठें, पहले मुझे अपनी आब्जर्वेशन देने दीजिए।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, आप पहले मेरा सुझाव सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसमें सुझाव की जरूरत नहीं है, आप सभी अपनी सीट पर बैठें। इसमें पहली बात तो यह है कि इस मोशन की कल 10 बजे से 3 बजे के बीच दिया जाना चाहिये था। रूल्ज के मुताबिक वह कल आना चाहिये था लेकिन आपने जो दी है, वह आज 10 बजे समझी जाएगी।

11.00 बजे

In 2nd part of Practice and Procedure of Parliament book, written by Shri M.N. Kaul & Shri S.L. Shakhdar, it is mentioned—

"The Speaker is vested with the power of deciding whether motion is in order or not. He may not bring a notice before the House, This is not properly worded on any other ground considered sufficient by him, or he may bring it before the House after objectionable matter if any, has been deleted therefrom or the notice has been suitably edited."

यह डिस्क्रीशन स्पीकर की है। 15-9-83 को जो नोटिस आफ नो-काफीडेंस मोशन दिया था, उसकी स्थिति भी ऐसी ही थी। A notice of motion of no-confidence in the Council of Ministers Haryana was received from Shrimati Chandrawati and Sarvshri Verender Singh, Mangal Sein and Nihal Singh, M.L.As. on the 15th September. 1983 and its decision was kept for the observation and consideration of the Speaker. और 16 तारिख को उन्होंने उसका जबाब दिया था।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरी सप्त-मिशन है कि यह जो आपने 15-9-83 का जिक्र किया है, उस वक्त मैं भी इस हाउस में बीरेन्द्र सिंह जी के साथ था। हर नो-काफीडेंस मोशन की पोजीशन एक सी नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष: यह तो हमने देखना है कि यह रूल के मुताबिक है? अगर आप कुछ लिखें कर पिछले कल 10 बजे से 3 बजे तक, दे देते तो आज इस पर बहस हो सकती थी लेकिन यह लेट आया है जिस वजह से हमने इसको अभी देखा नहीं और आज यह सेशन चल रहा है।

प्रो० सम्पत सिंह: सर, आपने किताब के मुताबिक देखा है लेकिन हमने शाम 9 बजे उसे सैक्रेटेरियट पहुंचा दिया था। यह नहीं हो सकता है 'कि इतना सीरियस मैटर हो और आपने न पडा हो। अध्यक्ष महोदय, यह नो-काफीडेंस मोशन हैं, कोई और मोशन नहीं।

श्री अध्यक्ष: अगर यह इन-बार्डर है तो जैसा कि चीफ-मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम इसको कल की कार्यवाही में लगाएंगे तो कल आयेगा।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, आप आज इसको एडमिट तो कर ले और यह विदइन-आर्डर है।

श्री अध्यक्ष: हमने इसको अभी देखा ही नहीं है तो एडमिट कैसे कर लें?

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, सारा हाउस इस विषय में कह रहा है और आपको इसे देखना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: यह तो हमें देखना है कि यह कैसे होगा।

Prof. Sampat Singh : When Leader of the House agrees and all the opposition members agree, then it means the whole House agrees.

Mr. Speaker : We have to see whether it is in order or not ? (Interruptions)

सिचाई मन्त्री मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। जैसा कि आपने किताब का हवाला दिया और व्यवस्था में प्रैक्टिस भी है कि अन्यार 10 बजे से 3 बने तक इनका लिखा हुआ यह आता तो आप उसे आज कंसीडर करेंगे। कल हाउस सवेरे साढे नौ बजे से रात नौ बजे तक चला है। It means the motion which you have accepted has been given at 10.00 A.M. today और 11.03 बजे के बाद यह हुआ है। (Interruptions).

Prof. Sampat Singh : How he is speaking ? He does not deserve to be a Parliamentary Affairs Minister. These words***** should be expunged from the proceedings of the House, Sir.

श्री अध्यक्ष: नेहरा जो ने जो शब्द कहे हैं इनको कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

चौधरी जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब यह था कि यह गलत एलायंस है और इन्होंने जो मुद्दा उठाया है, उसका मक्सद यह है कि ये हमारी बात नहीं सुनना चाहते। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर इन का लिखा हुआ कल 10 बजे से 3 बजे तक आया होता तो ही आप इसको आज कंसीडर कर सकते हैं।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, it has already been decided that the Leader of the House will reply on the motion raised under rule 84, after the Questions Hour. I have already called upon the Chief Minister to reply on the debate.

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आप बड़ी तेजी से पढ़ने में लगे हुए हैं लेकिन आपका ध्यान हमारी तरफ नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ लेकिन आप हमारी बात को सुन ही नहीं रहे हैं। (शोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यहां से उठकर भागना है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आपने एक बात कहा है कि मेरे पास तीन बजे के बाद यह ना-कांफिडेंस मोशन आया है। मैं जानना चाहूंगा कि जब विधान सभा इन-सेशन हो तो क्या इसके लिए टाईम की कोई पाबन्दी है? रात को 9 बजे के बाद भी हाउस तो चल ही रहा था... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका यह मोशन रात को दस बजे आया है। It is being examined by the office.

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: लेकिन आपने यह रिसेव तो किया है। जब लीडर आफ दी-हाउस मान रहे हैं, सारा हाउस मान रहा है तो आप कहते हैं कि मुझे पता नहीं है। आपने ऐडवोकेट जनरल साहब को यहां पर बुलाया है तो क्या यह गलत परम्परा नहीं है? क्या इससे पहले भी कभी ऐडवोकेट जनरल हाउस में आया है? क्या आपने इसे बाद पर डिस्कशन करने के लिए बुलाया है? आप अपने पद की गरिमा को तो कम से कम बरकरार रखें। (शोर)

श्री अध्यक्ष: आपका यह मोशन दस बजे आया है।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: क्या उस समय हाउस इन सेशन नहीं था? अध्यक्ष महोदय, है

Mr. Speaker : I have already given my ruling.

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अगर यह मोशन 9 बजे के बाद आया है तो 9 बजे के बाद भी विधान समा तो सेशन में ही है। आपको अपने पद की गरिमा को बनाकर रखना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह मोशन सेशन के बाद आया है।

चोधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आप तो रोजाना नये नये कानून बना रहे हैं, नयी प्रथाएं बना रहे हैं लेकिन आप ऐसा न करें, क्योंकि आप एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं जिसका इतिहास लिखा जाएगा और आपकी तस्वीर टांगी जाएगी तथा जब दूसरे लोग आएंगे तो वे कहेंगे कि
..... अध्यक्ष महोदय, हम हाउस के मैम्बर हैं और हमें बोलने का अधिकार है। (शोर एवं व्यवधान) हम इस बात को नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर आज हम विपक्ष में हैं और हमारी स्ट्रैन्थ कम है तो आप हमें बोलने से नहीं रोक सकते। (शोर) हमारा बोलने का अधिकार है। आप विपक्ष के ।
.....

श्री अध्यक्ष: जो भी चौटाला साहब बोल रहे हैं, उसको रिकार्ड न किया जाए।

चोधरी ओम प्रकाश चौटाला:

चोधरी जगदिश नेहरा: स्पीकर सर, मेरा प्यांयट आफ आर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

चोधरी ओम प्रकाश चौटाला:

श्री अध्यक्ष: हम इस मोशन को पहले ऐग्जामिन करेंगे और जैसा सी ० एम० साहब ने ऐश्योर किया है, हम इसको कल टेकअप करेंगे।

चौधरी जगदीश नेहरा: स्पीकर सर, जब आपने एक बार अपनी रूलिंग दे दी तो आप उसी के हिसाब से हाउस की कार्यवाही चलाएं।

श्री अध्यक्ष: कार्यवाही तो यही है कि अब सी ० एम० साहब बोलें। (विधन)

चौधरी भजन लाल: चौटाला साहब आप सुनिए तो। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय,
.... (शोर)

चौधरी भजन लाल: मैं चेयर के आदेश से ही खड़ा हूँ। (विधन)

श्री अध्यक्ष: ऐसा है कि मैंने आपको यह पढ़कर सुनाया है। अगर तीन बजे के बाद कोई मोशन दिया जाएगा तो वह आज ही के लिए समझा जाएगा। (शोर एवं व्यवधान) चौधरी साहब जो कह रहे हैं, यह 'रिकार्ड' न किया जाये।

प्रो० सम्पत सिंह: सर, मेरी सबमिशन है।

श्री अध्यक्ष: मैंने अपनी रूलिंग दे दी है। आप बैठिए।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने उसको पढा नहीं। 27-9-95 को 8.45 पी ० एम० पर

आपके सैक्रेटेरियट ने इसे रिसीव किया है जब हाउस इनसैशन था, आपका सैक्रेटेरियट बंद नहीं था। जब छुट्टी हो, बंद हो तो आप कह सकते हैं कि मोशन इतने बजे दिया होगा। (हाउस चल रहा था। उस टाइम अगर आपको मिल गया, इसका मतलब यह है कि । स्पीकर सर, हैल्दी ट्रेडीशनज आप डालिये। । जो बात हमारी सही है, मोशन आर्डर में है इसलिए इसको आप ऐडमिट करें।

श्री अध्यक्ष: अब मुख्यमंत्री जी बोलेंगे।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय,... (शोर एवं व्यवधान)

चौ० बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं कोई 20 बार खड़ा हुआ हू। क्या आप इतना डिस्क्रिमनेशन कर सकते हैं? Speaker. Sir, I tried to catch your eyes so many times but you have ignored me every time (Noise & Interruptions).

Mr. Speaker : No, please take your scat. Now I have allowed the Chief Minister to speak. (Noise & Interruptions).

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जिस किस्म की भाषा का प्रयोग किया, वह बड़ा भारी निंदनीय है। ऐसी बात से हाउस के अंदर हम सब का सर शर्म से झुक जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

डा० राम प्रकाश: अध्यक्ष महोदय (शोर)

श्री अध्यक्ष: राम प्रकाश जी, आपकी यह आदत गलत है, आप बिना 'मतलब खड़े होते हैं? दूसरों को तो आप कायदे कानून बता प्ले हैं और खुद कायदे कानून तोड़ रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आप हमें कह सकते हैं। हम आपकी चेयर का ऐहतराम करते हैं लेकिन आप ट्रेजरी बेंचिज के लोगों को भी कह सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपका फैसला तो कोट होना है और रहती सृष्टि तक रहना है। यह तो चार महीने के हैं। आपकी तस्वीर छपेगी, आपने तो इस चेयर की गरिमा को बरकरार रखना है। आपको यह नहीं कहना चाहिए कि 10 बजे मेरे पास मोशन आई है। आपके सैक्रेटेरियट ने रिसीव किया है। जब विधान सभा इनसैशन हो होता है तो सीकर का सैक्रेटेरियट इनवर्किंग होता है। ये लोग जो मन में आए कह दें लेकिन हमें भी लोगों ने चुनकर भेजा है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मुझे तो इनकी बातों पर रहम अपता है। जवाब उसे दिया जाता है जिसके पास जवाब को समझने की शक्ति हो। ये कहते हैं कि 4 महीने की तो बात है। चार महीने के बाद तो श्रीमान जी, आप नहीं आएंगे। अगर आप अगली बार एम० एल० ए० भी बनकर आ जाए तो मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगा। (शोर एवं व्यवधान) (इस समय बहुत से मैम्बर बोलने के लिए खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष: साहेबान, आप सभी बैठिये। (शोर) ऐसा है, मैंने पहले ही अपनी रूलिंग दे दी है और वह यह है कि 10 से 3 बजे तक यह रूलज के अनुसार मोशन देना चाहिए और अगर तीन बजे के बाद दिया जाता है तो इसको अगले दिन दिया गया माना जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस बारे में स्पीकर का अपना ओपीनियन है, उसको ही इसका फैसला करना है कि क्या प्रोपर्टी वरडिड है या नहीं है। इसको डिसाइड करने का हक केवल स्पीकर का है। जहां तक 10 बजे के बाद की बात है, हाउस अभी सेशन में है, हमने इसका फैसला करना है। जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि अमर सीकर की ओपीनियन में यह मोशन इन आर्डर है तो आप इस पर बहस करवा लें। चूंकि इस वक्त हाउस सेशन में है, इसलिये मैं इसका जवाब आपको कल कवैश्चन आवर के फौरन बाद ही दूंगा। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: नहीं जी। (शोर)

Mr. Speaker : You cannot force me to give any decision just now.

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं और साथ में इस हाउस के सभी मैम्बर्ज साहेबान से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर इन का नो-कॉन्फिडेंस मोशन इन आर्डर है या नहीं भी है, उसमें अगर कोई कमी रह गई है तो भी मेहरबानी करके आप उसे इनसे ठीक करवा लीजियेगा। (शोर) हम आपसे हाथ जोड़ कर विनती करते हैं कि आज सदन

उठने से पहले आप इस बारे में कल के लिये अनाउसमैन्ट कर दें और कल ये बाजे लें, हम इसका जवाब दे देंगे। हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। हम अपना सारा सरकारी काम काज बाद में करेंगे। आज मैंने मोशन अंडर रूल 84 की डिबेट का जवाब देना है। उसके लिए मैं हाउस से इजाजत चाहूंगा कि इसका मैं जवाब दे दूं। आप आज हाउस उठने से पहले कल के लिये इस बात की घोषणा कर दें।

श्री अध्यक्ष: अगर रनका मोशन इन आर्डर हुआ तो एडमिट होगा। अगर उसमें कमी हुई तो उसे ठीक करवा के एडमिट कर लेंगे। जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि आप इस पर कल बहस करवा ले (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: स्पीकर साहब, आपने शायद इसको देखा नहीं है। एडवोकेट जनरल साहब भी आए हुए हैं। मैं किसी दूसरी रात पर नहीं जाना चाहता। मैं मानता हूं कि आपने नहीं देखा होगा, लेकिन यह तो एक अहम मुद्दा है। आप पहने हाउस को एडजर्न करें और फिर इसको लोनली एग्जामिन करवाएं, उसके बाद हमें बताइए कि यह एडमिट होने के काबिल है या नहीं है। इसकी एडमिशन पहले होगी, बहस के लिये आप जो चाहे समय निर्धारित कर दें, हमें कोई एतराज नहीं है। यह आपका अधिकार है लेकिन नोटिस आफ नो-कांफीडेंस जब आ जाता है तो सब से पहले उसकी एडमिशन जरूरी है। इसलिये आप हाउस को एडजर्न कीजिये और इसको लीगली एग्जामिन करवाइये। आप

अपने सलाहकारों से पूछिये और बड़े वकीलों को बुला लीजियेगा। हम लीडर आफ द हाउस की अनाऊसमेंट को नहीं मानेंगे। एशोरेन्स आपको हाउस में देनी होगी। आप इस हाउस को एडजर्न कर, इसको एग्जामिन करवाए और इसका पहले फैसला कीजियेगा। एडमिशन अब हो जाए, उसके बाद आप डिबेट के लिये फैसला करें।

श्री अध्यक्ष: चौटाला साहब, आप बैठिये। इसके लिये आप मेरे चौम्बर में 1 बजे के लगभग आ जाएं। अगर ग्रह प्रोपर्टी वरडिड नहीं भी होगा तो भी आपसे ठीक करवा लिया जाएगा उसके बाद यह एडमिट होगा। (शोर) कोई कभी जती होगी तो आपसे ठीक करवा लेंगे।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: स्पीकर साहब, आप हाउस को पहले एडजर्न कीजिये और एग्जामिन करवा लीजियेगा। एडमिट होने के बाद आप जो भी तारीख डिबेट के लिये देना चाहें, दे दे। (शोर) आप अपने चौम्बर में चले जाएं, साथ ही एडवोकेट जनरल को ले जाएं। आप सलाह करलें और इस बीच हाउस को 15 मिनट या आधे घण्टे के लिए एडजर्न कर दें।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इतनी अश्योरेंस देने के बाद भी इनका यह रवैया है। ये अब तक तीन बार अविश्वास का प्रस्ताव ले कर आए हैं, तीनों बार इनको पटका गया। फिर ये भाग जाते हैं। जब हमने कह दिया कि आपका अविश्वास प्रस्ताव

मन्जूर है और उस पर कल डिस्कशन होगी, कल हम फिर आपको पटकेगे। (शोर)

श्री अध्यक्ष: आपके जो लीडर हैं, जिन्होंने दस्तखत कर रखे हैं, उनमें से दो व्यक्ति अभी मेरे चौम्बर में चलें, इस बीच डिप्टी स्पीकर साहब चेयर पर आ जाएंगे।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: जब तक इस मोशन पर कोई फैसला नहीं लिया जाता, तब तक कोई कार्यवाही नहीं होगी।

चौधरी भजन लाल: कार्यवाही एक मिनट के लिए भी बन्द नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष: हाउस एडजर्न नहीं होगा, मेरी गैर हाजिरी में डिप्टी स्पीकर साहब चेयर पर बैठेंगे।

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, अब बात नैरो डाउन हो गई है। मुख्य मन्त्री जी ने मान लिया कि इसको एडमिट करेंगे और इस पर कल बहस करा ली जाएगी। इतनी देर में तो मुख्य मन्त्री जी का आधा जवाब आ जाना था। आप इसको एडमिट कर लें और कल बहस हो जाएगी। मुख्य मन्त्री जी ने बात मान ली है, मैं इस पर कोई आपत्ति नहीं समझता। इतनी देर में इनका आधा जवाब आ जाता।

जन सवास्थ्य मन्त्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी): स्पीकर साहब, चौधरी बंसी लाल जी ने जो सुझाव दिया है, उस पर गौर

करने वाली बात है। आपने पहले ही कह दिया है कि यदि इसकी वर्डिंग ठीक होगी तो आप इसे एडमिट करेंगे। ये कहते हैं कि पहले एडमिट करें। कल भो इनका यही रवैया था। आज तक किसी भी अधिवेशन में इन्होंने सही बात सुनने का कष्ट नहीं किया और न अब सुनना चाहते हैं। ये बाढ़ का बहाना बना कर अपनी राजनैतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मुख्य मन्त्री जी को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए। ये सिर पर चढ़ते जा रहे हैं, किसी की औकात नहीं समझते। (शोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आप ऐसा करें कि इस मामले के बारे में एक बजे हाउस में आ कर अनाउंस कर दें। अगर इनके मोशन में कोई कमी होगी तो उसे पूरा करवा लें। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी ही इस बात को करो, इस बात को हम नहीं मानेंगे। आपकी रूलिंग आ गई है कि आप इसे एग्जामिन करेंगे। ह नहीं हो सकता कि आप इसका फैसला अभी करें। आप इसको एग्जामिन करें और अगर कोई कमी है तो इनसे ठीक करवा लें। हम भी कहते हैं कि आप इसको एडमिट करें, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कानून के मुताबिक करें। किसी के दबाव में आ कर कोई अनाउंसमेंट नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है कि हमने यह देख लिया है 'कि यह प्रस्ताव परोपर फोर्म में है and it is admitted यह कल की लिस्ट औफ बिजनैस में लिया जाएगा। इसको कल दिनांक 29-9-1995 को बहस के लिए मूव किया जाएगा। (व्यवधान)

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष: अब प्रदेश में आई बाढ़ पर हुई बहस का जवाब मुख्य मन्त्री जी देंगे।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस हाउस में बाढ़ के बारे में दो दिन से माननीय सदस्यों की तरफ से बहुत ही धुंआधार तकरीर की गई है। यह बात ठीक है कि प्रदेश के अन्दर यह जो फलड आया इससे जितनी बरबादी हुई चुँ शायद उतनी बरबादी पिछले 100 सालों में भी नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय कभी आपको इतनी बरबादी देखने को नहीं मिली होगा। प्रदेश के अन्दर बहुत भयंकर बाढ़ आई और उससे प्रदेश का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। किसानों की फसलों का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। हरिजनों और दूसरे भाईयों के मकान गिर गए। पशु मर गए। इस बाढ़ के कारण हरियाणा प्रदेश का बहुत बुरा हाल हो गया। प्रदेश का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां पर बाढ़ के कारण नुकसान न हुआ हो। माननीय सदस्यों की बातें सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी। अध्यक्ष महोदय, अपोजीशन का भी एक रोल होता है। अगर अपोजीशन न हो तो भी कोई अच्छी बात नहीं है। अपोजीशन का होना भी उतना हो जरूरी है जितना सरकारी बेंचिज का है लेकिन प्रदेश की इतनी भयंकर तबाही होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी राजनैतिक रोटियां सेकने की कोशिश की और इन्होंने कहा कि प्रदेश की यह तबाही कस सरकार को नअहलियत की वजह से, नासमझी की वजह से और

सरकार हारा ठीक काम न करने की वजह से हुई है। अपोजिशन के भाईयों ने इस तरह के इल्जाम सरकार पर मढ़ दिए। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूँ कि कहीं पर कोताही हो सकती है। हम यह बात नहीं कहते कि सरकारी अधिकारियों की तरफ से कोई कोताही

नहीं हुई है,। उनसे भी जरूर कही पर कोताई हुई है। हमने तीन चार अधिकारियों के सस्पेंड भी किया है। हमने सीनीयर आफिसर्ज डी ० सी ० और एस० पी० तक ट्रांसफर भी किए है। इस मामले को और भी जांच कराएंगे लेकिन अध्यक्ष महोदय, बाढ़ ने प्रदेश के अंदर जो कहर ढाया उसके बारे में इन्होंने कम बातें की और सरकार को जो बातें नहीं कहनी थीं वह कहीं। सरकार को पूरी तरह से डाउन करने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से पूरी कोशिश रही है कि प्रदेश के अन्दर किसी तरह से बाढ़ न आए। यदि बाढ़ आए तो उसका पहले इन्तजाम किया जाए। स्टेट का जो फ्लड कंट्रोल बोर्ड है उसने फरवरी के महीने में और जून के महीने में मीटिंगें की हैं। उन मीटिंगज में हमने डी ० सीज० और एस० पीज० के बुला कर यह कहा है कि जहां कहीं भी ड्रेन की सफाई करने की जरूरत है और नहरों की मुरम्मत करने की जरूरत है, वह जरूर करें और जहां कहीं भी बरसात का पानी आने की सम्भावना है उसको रोके और उसके लिए पूरा बन्दोबस्त करने की कोशिश करे ताकि प्रदेश में कहीं पर बाढ़ का पानी न आए। उन अधिकारियों ने जो भी,

पैसा मांगा था उनको वह दिया गया अध्यक्ष महोदय, यह कोई नैचुरल बाढ़ नहीं थी। कई दफा ऐसा होता है कि बरसात किसी एक एरिया में हो जाए, एक जिले में हो जाये, दो जिलों में हो जाए लेकिन 17 के 17 जिलों में पूरी बाढ़ आई है। कहीं की अधिक आयी है कहीं कम आयी है। कहीं पर तो इतनी बिनाशकारी बाढ़ आयी है जिसका वर्णन करना भी मुश्किल है। कहते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। आम तौर पर साल में 300-350 मिलीमीटर वर्षा आती है लेकिन इस बार इन दिनों में 1200 से ज्यादा मिलीमीटर वर्षा हुई। अध्यक्ष महोदय आखिर डेन्ज की पानी निकालने की कोई न कोई कैपेसिटी होती है। यादे उसमें कैपेसिटी से ज्यादा पानी आता है तो फिर पानी तो कहीं न कहीं जाना है। इसलिए कैपेसिटी से ज्यादा पानी लेने में से असमर्थ थी। इसलिए पानी नीचे जायेगा और जहां से रास्ता मिलेगा वही जायेगा वह यह नहीं देखता कि किसका खेत, मकान, शहर या गांव है। पानी ने तो अपना प्रभाव दिखाना ही है। उसको रोक नहीं सकते। जब यह घटना हुई तो मैं, कृषि मंत्री और पावर मन्त्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह, हम सभी ने हेलीकाप्टर से सारी स्टेट का सर्वेक्षण किया। फिर हवाई जहाज से किया। फिर तीसरी बार हेलीकाप्टर से सर्वेक्षण किया। हमने समय पर प्रधानमंत्री, भारत सरकार, वहां के कृषि मंत्री से बात की प्लानिंग मंत्री प्रणव मुखर्जी से बात की कि हरियाणा प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा मदद दी जाये क्योंकि हरियाणा प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा बाढ़ आयी है। आप जानते हैं कि स्टेट के साधन बहुत सीमित हैं। लेकिन

एक बात बड़े दुःख के साथ कहनी पड़ रही है कि इस दो दिन की डिबेट में इनकी तरफ से यह बात नहीं आयी कि भारत सरकार को हरियाणा प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए।

प्रो० सम्पत सिंह: कल हमने कहा था। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: आप कैसे कह रहे हैं कि हमने यह बात नहीं कही। कल कहां था कि भारत सरकार से ज्यादा से ज्यादा मदद ली जाये।

श्री अध्यक्ष: सम्पत सिंह जी ने कल कहा था।

चौधरी भजन लाल: यदि कहा था तो अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, श्री बलराम जाखड़, जो भारत सरकार में कृषि मंत्री हैं, जिनके नीचे यह बाढ़ का मामला भी आता है, मैं भी सेंटर में कृषि मंत्री रहा हूं और मुझे पता है कि कैसे मदद की जा सकती है किसानों की, गरीब लोगों की, आम आदमियों की, साधारण आदमियों की। जाखड़ साहब, चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला, राम सिंह, दूसरे मंत्री, हमारे चीफ सैक्रेटरी, एफ० सी० आर ०, प्रिंसिपल सैक्रेटरी आदि हम सब लोगों ने यह दृश्य देखा और देख कर हमारी आंखों में आंसू आ गए। इस टीम में सेंटर के एक सैक्रेटरी भी थे। सभी ने उस वक्त यह महसूस किया कि बड़ी भारी भयंकर आपदा हरियाणा पर आ पड़ी है और सभी ने कहा कि बाढ़ ग्रस्त लोगों की पूरी मदद करेंगे। प्रधान मंत्री जो ने जाखड़ साहब से कहा। प्रधान मंत्री ने भी कहा कि हम पूरी मदद

करेंगे। सैन्टर की एक 10 लोगो की टीम यानि सीनियर आफिसर्ज की टीम आयी। टीम ने भिवानी, रोहतक तथा अन्य जिलों का जहां पर भी वे जा सकते थे, जैसे जा सकते थे आये। जमीन के रास्ते से गये, हवाई सर्वेक्षण के रास्ते या पैदल चल कर जीप में बैठकर, ट्रैक्टरों में बैठकर, गए। इस टीम ने सब कुछ देखने के बाद कहा कि इतनी भयंकर बाढ़ हमने आज तक कभी किसी प्रदेश में नहीं देखी। उस टीम ने अपनी रिपोर्ट भी भारत सरकार को दी। टीम ने यह भी कहा कि अधिकारियों का इन्तजाम शानदार है, जहां कहीं भी वे गए, एडमिनिस्ट्रेशन भी रात दिन बाहू राहत कार्यों में जुटा हुआ है और ये श्रीमान जी कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया, पैसा खा गए, कमीशन खा गए, पैसा लूट लिया। अध्यक्ष महोदय, इनको सिवाय पैसा और कमीशन खाने के और कोई बात नजर ही नहीं आती क्योंकि ये खुद ऐसे रहे हैं। इन्होंने बंसी लाल जी को भी यह कह दिया कि नहर में कमीशन खा गए। अध्यक्ष महोदय, कमीशन खाने के अलावा इनको और कुछ नजर ही नहीं आता। जो जैसा आदमी खुद होता है, दूसरे भी उसको अन्धने जैसे ही नजर आते हैं। चौटाला साहब ने कमीशन खाने के अलावा और कुछ किया ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, हमें तो मर्यादा में रहना पडता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे राजनीति में आए एक लम्बा अर्सा हो चुका है अहर इतने लम्बे अर्से में मैंने कमी भी हार का मूंह नहीं देखा। हमेशा जात कर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इनके बाप के जोड़ का हूं। अपने बाप के जोड़ के पहलवान को ये "तू" कह कर बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आदमी को बोलते

समय इतना ध्यान तो रखना चाहिए कि वह किससे बात कर रहा है। मैं इतने लम्बे अर्से से राजनीति में हूँ और ये मुझे "तू" कह कर बात करें, हया यह ठोक बात है? इनको आन, चाहिए, जब भी ये बोलते हैं, 'तू' कह कर बात करते हैं। मेरे बेटे को तू कह कर बात करें तो कोई बात नहीं परन्तु इस प्रकार की बात मेरे लिए कहे इन्हें इसके लिए आनी चाहिए।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह व्यवस्था चाहूंगा कि क्या अनपार्लियामैटरी अल्फाज का इस्तेमाल इस प्रकर से किया जा सकता है? (विघ्न एवं शोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह तो रिकार्ड की बात है। (विघ्न)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आप इनसे कहिए कि ये सीमा में रह कर बात करें। अगर ये इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इससे तलबी पैदा होगी और कटुता बढ़ेगी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि आप इन्हें पाबन्द कीजिए कि ये अनपार्लियामैटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल न करें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: अनपार्लियामैटरी वर्डज की लिस्ट बनी हुई है। अगर उसमें इसे अनपार्लियामैटरी दिया हुआ होगा तो इसको एक्सपंज कर देंगे।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरे बेटे को ये "तू" कहें 'तो समझ में आता है, इनको भी मर्यादा में बोलना चाहिए। (विध्न) मैं चौधरी बंसी लाल जी को "तू" कहूं तो क्या बात जंचती है? (विध्न) अध्यक्ष महोदय, ये जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वह सबको पता है। अध्यक्ष महोदय, ये आपके बारे में किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इस प्रकार की अनपार्लियामैंटरी भाषा इस्तेमाल करने का इनको लाईसैस मिला हुआ है? (विध्न) अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इन लोगों के पता होना चाहिए कि किसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। (विध्न) अध्यक्ष महोदय, बाकायदा भारत सरकार भी तरफ से एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए और उन्होंने खुद सब कुछ देखा। हाई पावर्ड टीम आई, उसने भी देखा। उसके बाद माननीय प्रधान मंत्री जी से दो बार बात हुई और मैंने उन्हें सारी स्थिति के बारे में बताया मैं प्रधान मंत्री जी का अत्यन्त आभारी हूं। उन्होंने सहायता के लिए आश्वासन दिया है। नैचुरल क्लैमिटी के लिए 4 किशतों में, 3-3 महीनों में पैसा मिलता है परन्तु उन्होंने एक साथ 23.65 करोड़ रुपये की राशि दे दी और कहा कि जरूरत के मुताबिक खर्च करो, अगर और राशि की आवश्यकता होगी और भी दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, 4 दिन पहले प्रधान मंत्री जी से मीटिंग हुई। कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, प्लानिंग मंत्री और मैं, तथा हमारे चीफ सैक्रेटरी, हमारे फाईनैशियल कमिश्नर श्री जे० डी० गुप्ता, प्रिंसिपल सैक्रेटरी और भारत सरकार के फाईनैस सैक्रेटरी, एग्रीकल्चर सैक्रेटरी,

एक्स-पैंडिचर सैक्रेटरी, यानि सारे सेंक्रेटरीज उस मीटिंग में शामिल हुए। पूरा एक घण्टे तक, मीटिंग में मैंने पूरी तफसील के साथ, एक एक बात को विस्तार से बताया कि हमारी स्टेट में कितना नुकसान हो गया है। प्रधान मन्त्री जी से हमने कहा कि किसानों की करीब 1500 करोड़ रुपये की फसल बरबाद हो गई है। इस फसल का पूरा मुआवजा तो हम नहीं दे सकते लेकिन किसानों का जो बीज और खाद का नुकसान हो गया है, उसमें हमें कुछ मदद किसानों की करनी चाहिए और वह हम तभी कर पाएंगे, जब आप हमें मदद करेगे। हमने उनको बताया कि प्रदेश में 27 लाख एकड़ जमीन में पानी आ गया है और 18 लाख एकड़ की फसल तबाह हो गई है। अगर हम चार सौ रुपए पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा दें तो हमें आपके 72 करोड़ रुपया फौरी तौर पर देना पड़ेगा। हमारे यहां पर 80 हजार ट्यूबवैल्ज थे जो पानी में डूबने की वजह से खराब हो गए हैं। अगर हमें एक ट्यूबवैल पर पांच हजार रुपये देना पड़े तो इसके लिए 40 करोड़ रुपए चाहिए। आज धूप कम पड़ रही है, जब धूप ज्यादा पड़ेगी तो जिन मकानों में तरेड़ें आ गई हैं, वे गिर जाएंगे। जिन मकानों में तरेड़ें आई हैं, वे 2 लाख 22 हजार हैं और जो पक्के और कच्चे मकान गिरे हैं, वे कम से कम 3 लाख हैं। मैंने कहा पर मौके पर जाकर देखा है, मेरे साथ चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी भी थे। वहां पर जो बड़ी बड़ी हवेलिया थीं उनमें 4-4, 5-5 इंच मोटी तरेड़ें आ गई हैं। अगर हम उनकी, रिपेयर करवाएंगे तो पक्के मकानों के लिए 5 हजार और कच्चे मकानों के लिए अडाई हजार रुपये देगे। जो

मकान गिर गए हैं उनमें पक्को के लिए 10 हजार रुपए और कच्चे के लिए 5 हजार रुपए देंगे। हमारी एमरजेंट नीड 225 करोड़ रुपए की है और यह फीरी तौर पर जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्दिरा आवास और प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 10 लाख मकान बनने हैं। मैंने प्रधान मंत्री जी से कहा कि आप उनमें से 3 लाख मकान हरियाणा में बनवा दें। आपने जो साढ़े 14 लाख का नार्मज रखा है, उसमें से आप हमें 3 लाख मकान दे दें। इससे हम गरीब लोगों की मदद कर सकेंगे। इसी तरह से शहरों में जो दुकानों का नुक्सान हुआ है, वह लगभग 10 करोड़ रुपय का हुआ है। दादरी, भिवानी, रोहतक, बरवाला और जो भी बड़े-बड़े कस्बे शहरों जैसे हैं, उनको हम पैसा देगे। दरकी हालत देखकर रोना आता है। चाहे किसी भी चीज की दुकान थी, उस में लोगों का सामान सड़ गया है। लोग बाढ़ के पानी में बचने के लिए छतों पर चढ़ गए लेकिन छतों तक भी पानी पहुंच गया है। मैंने उनसे कहा कि शहरों में 12-12 फुट पानी आ गया है। अगर हम 25-25 हजार रुपये प्रति दुकानदार दें तो हमें इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए फौरी तौर पर चाहिए। पीने का पानी भी वहां पर खराब हो गया, उसमें सिवरेज का पानी मिल गया है, 'सिवरेज की सारी स्कीमें ठीक करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें 10 करोड़ रुपए फौरी तौर पर चाहिए। सारी सड़के और रेलवे लाईने भी बर्बाद हो गई हैं। कोई भी सड़क ठीक नहीं बचा है। 6 हजार किलोमीटर सड़के बर्बाद हो गई है। हमने प्रधान मंत्री जी से कहा कि हमें इसके लिए ज्यादा पैसा चाहिए और आप हमें 80 करोड़ रुपए सड़कों के

लिए दे दें। अध्यक्ष महोदय, हमने उन्हें कहा कि बिजली के सारे के सारे पावर स्टेशनों में पानी घुस गया है। बिजली के पोल गिर गए हैं और ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं। पेड़ गिरने से सारी लाईने खराब हो गई हैं, इनके लिए भी हमने 15 करोड़ रुपए फौरी तौर पर मांगे हैं। नहरों और ड्रेनज के लिए हमने 30 करोड़ रुपए फौरी तौर पर मांगे हैं ताकि उनकी सफाई ओर मुरम्मत हो सके, इनके बैक्स को ठीक किया जा सकै तथा पटरियों को बनाया जा संके। इसके लिए हमने भारत सरकार से तीस करोड़ रुपये मांगे हैं। इसी तरह से लोकल बोडीज के लिए हमने भारत सरकार से 25 करोड़ रुपया माना है क्योंकि शहरों में सिवरेज की हालत, गलियों की हालत बहुत खराब हो गयी है। इसी तरह से अस्पताल और दवाईयों के लिए भी हमने 25 करोड़ रुपया मांगा है। इसी तरह से वैटेनरी में पशुधन के लिए भी हमने उनसे पैसा मांगा है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आज एक भैस बीस हजार रुपये से कम में नहीं आती और दस या बारह हजार रुपये से कम में गाय भी नहीं आती। इस बाढ़ में भेड और बकरी जैसे छोटे छोटे जानवर भी बह गए क्योंकि वे तैर नहीं सकते थे। यानी बहुत ही भयंकर नुकसान पशुधन का हुआ है जिसके लिए हमने भारत सरकार से 11 करोड़ रुपये मांगे हैं। इसी प्रकार से सरकारी भवनों और दूसरी बिल्डिंगज के लिए हमने 20 करोड़ रुपये मांगे हैं। इसी तरह से जो सरकारी कर्जे ही उनको हम शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में बदलेने और उन कर्जों की वसूली ब्याज वसूली 6 महीने के लिए मुलतवी करेंगे ताकि लोग अगली फसल आने पर इन कर्जा

को आराम से दे सके। इसके लिए हमने भारत सरकार से तीस करोड़ रुपये मांगे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आज हे जगह पर पशुओं के चारे की बहुत दिक्कत है। सारी तूड़ी बर्बाद हो गयी है और बहुत बुरी हालत हो गयी है। इसलिए हमने भारत सरकार से इसके लिए दस करोड़ रुपये मांगे हैं।

चौधरी बंसी लाल: आप चारा लाने का प्रबन्ध कहां से करोगे?

चौधरी भजन लाल: पूरे देश के अन्दर जहां जहां भी चारा मिलेगा, हम वहीं से मंगवाएंगे। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, 2840 गांव पानी से बुरी तक से खराब हुए हैं। उन गांवों की गलियां खराब हो गयी हैं। अगर हम इन 2840 गांवों में से एक एक गांव को दो दो लाख रुपये भी देंगे तो हमें 57 करोड़ रुपये चाहिए। हमने भारत सरकार से इतने ही रुपये मांगे हैं। इसी तरह से हमने गाय के जो रिंग बांध हैं, उनको मजबूत करने के लिए एवं जो चौपाले बरबाद हो गयी हैं, उनके लिए हमने 30 करोड़ रुपये मांगें हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार लोगों को रोजगार देने के लिए, आप जानते हैं कि सब जगहों पर फसलें बरबाद हो गयी हैं। पहले तो फसलों की कटाई के दौरान गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी कमाकर खा लेता था लेकिन अब उसके पास कोई भी काम नहीं का। इसलिए हमने उनको रोजगार देने के लिए भारत सरकार से सौ करोड़ रुपये मांगें हैं। इसी तरह से जो पशु पर गए हैं, उनके लिए हमने दस करोड़ रुपये मांगें हैं। इसी प्रकार से

बाढ़ की वजह से जो 170 आदमी मारे गए हैं, उसके लिए हम प्रधान मंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने प्रधान मंत्री राहत कोष से प्रति व्यक्ति पचास हजार रुपये के हिसाब से चौक भेज दिए हैं और हमने वह चौक डी०सीज० को भेज दिए हैं ताकि उनके परिवार वालों को सहायता दी जा सकै।

चौधरी बंसी लाल: आप इसमें पचास हजार रुपये हरियाणा की तरफ से भी ऐस कर दो।

चौधरी भजन लाल: इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, रैवेन्यु का जो नुकसान हुआ है, सेल्ज टैक्स का जो नुकसान हुआ है, आबियाना का जो नुकसान हुआ है, कुल मिलाकर आप जानते हैं कि 1005 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसका जो टोटल जोड़ लगाया है, वह एक हजार चार करोड़ रुपये है, इस में से एक हजार पांच करोड़ रुपये हमने प्रधान माती जी से मांगें हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक एक चीज का जिक्र भी अभी यहां पर किया कि हमने प्रधान मंत्री जी के साथ मीटिंग में, इन इन चीजों पर इतने इतने रुपये मांगे हैं।

चौधरी बंसी लाल: आप इस राशि को दो हजार करीब रुपये कर लो क्योंकि एक हजार पांच करोड़ रुपये उस वक्त मांगे गए थे जब नुकसान का सही सदी अन्दाजा नहीं लगा था, अब तो काफी नुकसान हो गया है।

चौधरी भजन लाल: नुकसान तो प्रदेश के अन्दर दो हजार करोड़ रुपये का ही हुआ है। हमने उनको नुकसान की लिस्ट दे दी है। जैसे मैंने कहा लि 1500 करोड़ रुपये की फसलें बरबाद हो गईं तो वह सब उसी पैसे में आ गया वो हमने प्रधान मन्त्री से मांगा है।

श्री सतबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, 135 करोड़ रुपये सेल्ज टैक्स और मार्किटिंग फीस के भी जोड़ ले आपने थोड़ा जोड़ा है।

चौधरी भजन लाल: वह भी हमने जोड़ लिया है। अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं और बंसी लाल जी भी जानते हैं क्योंकि ये तो स्वयं मुख्य मन्त्री रहे हैं। भारत सरकार की भी अपनी मजबूरी होती है और स्टेट के बारे में तो आप जानते ही हैं कि उस के पास अपने कितने साधन होते हैं, लेकिन हमने फैसला किया है कि हम लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश करेंगे और भारत सरकार ने भी हमारी भारी सहायता करने का वायदा किया है। जैसा आप जानते हैं, जिन शहरों में फ्लड आ गया था, वहां आर्मी को फौरी तौर से भेजा। जहां-जहां हमने कहा, फौरन आर्मी भेजी। साथ में उन्होंने पानी में चलने की किशती, मोटर बोट, ही और बांध बांधने के लिए जहां-जहां भी हमने आर्मी मांगी, सभी जगह आर्मी आई। हमने उनसे कहा कि हमें इतने हेलीकॉप्टर चाहिए। ऐयर फोर्स को प्राइम मिनिस्टर

साहब ने आर्डर किश कि हरियाणा प्रदेश को जिस जिस सामान की जरूरत हो, चाहे वह किशितयों का हो.. (विघ्न)

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, आर्मी ने बड़ा ही सराहनीय काम किया है लेकिन आज जहां पानी खड़ा है। वहां रबी की फसल काशत होने के आसार नहीं हैं, उसके लिए बड़े बड़े पम्प खरीदकर चौधरी साहब, वह पानी निकाल दो ताकि रबी की फसल काशत हो जाए।

चौधरी भजन लाल: चौधरी साहब, मैं इसी बात पर आ पा हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमने इसी तरह से पूरा बन्दोबस्त किया है। छत्तर पाल जी, आपने जो बात कल कही थी, उसका जवाब भी दे देंगे।

प्रो० छत्तर पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, दो हजार करोड़ रुपये का नुक्सान हरियाणा प्राप्त के लोगों का हुआ है। कल भी भिन्न भिन्न क्लब अफैक्ट्रिड एरिया से बोलने वाले अनेक लोग थे जिन्होंने कहा कि इसके लिए रिसपौसिबल हरियाणा सरकार रही है। डीसिलटिंग नहीं हुई। क्या मुख्य मन्त्री जी इसके बारे में कोई इन्क्वायरी कमेटी बैठने का फैसला कर चुके हैं? यदि आप साफ हैं तो निश्चित तौर से यह फैसला करेंगे, यह हम समझते हैं।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि जिन अधिकारियों की शोले हमें फौरी तौर पर मिली, बाकायदा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई और जिन

अधिकारियों को वहां से बदला है, उन्की मामूली गलती थी, उन्में एक एस०ई० था। जिनकी ज्यादा गलती थी जैसे सिंचाई विभाग का एक एस०ई०, ऐक्सीयन, एस०डी०ओ०, उनको बाकायदा हमने सस्पेंड किया है और भी हम इस बात की जांच करेंगे कि किस अधिकारी का फाल्ट कहां है, उनके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात बड़े दुःख के साथ कहनी पड़ती है कि बार-बार श्री छतर सिंह चौहान बोलते हैं, खड़े हो जाते हैं। राम भजन जी अग्रवाल बैठे हुए हैं, हम भिवानी जिले में गए। चौधरी बंसी लाल जी वहां बैठे हैं, मेरे से पहले न चौधरी बंसी लाल जी वहां गए थे, न कोई और लीडर वहां गया था। हम गए यहां से, हमने बाकायदा सारे मंत्रियों को, सारे एम०एल०एज०, सब एम०पीएज० की ड्यूटी लगाई कि आप मौके पर जाएं और लोगों का हालमें-हाल ले। लोगों की मुसीबत में शामिल हों। हमारे सारे मंत्री और एम०एल०एज० अपने अपने क्षेत्रों में रहें और लोगों के बीच में जाकर जो भी लोगों की मदद वे कर सकते थे, इस दुख की घड़ी में, वह मदद करने की कोशिश की। इसी तरह से सारे सीनियर आफिसर, चीफ सैक्रेटरी से लेकर सारे सैक्रेटरीज, हैड आफ दि डिपार्टमेंट्स, राबको फील्ड में भेजा। फील्ड में, एक-एक जिले में, जहां ज्यादा बाढ़ आ गई थी, वहां एफ०सी० आर० रैंक के अफसर मौके पर थे। कमिश्नर, डी०आई०जी०, आई०जी० आदि भी सब मौके पर थे ताकि कानून और व्यवस्था भी ठीक रहे और जो लोग मदद कर सकते हैं, वे भी पूरी मदद करें। रात दिन छह-छह फूट पानी में खड़े यकर हमारे अधिकारियों ने बहुत

शानदार काम किया है, अगर मैं उनकी सराहना नहीं करूंगा तो अपने फर्ज से कोताही करुगा।

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, जब मैंने दो तारीख को भिवानी शहर का दौरा किया तो सारा शहर पानी के अन्दर डूबा पड़ा था। भिवानी शहर में घरों के अन्दर चार-चार, पांच-पांच फुट पानी खड़ा था (शोर)

चौधरी भजन लाल: जब बाद पूरी तरह से नहीं आई थी, आप तब वहां पर गये होंगे?

चौधरी बंसी लाल: भिवानी के अन्दर 25 व 26 अगस्त को बाढ़ आ चुकी थी और दो तारीख को, जब मैं वहां पर गया तो वहां की हरिजन बस्तियों में चार पांच फुट पानी भरा पडा था। वहां के हस्पताल के पास चार चार फुट पानी था गौर हम लोग ट्रैक्टर में बैठकर गये थे। (शोर)

चौधरी भजन लाल: बंसी लाल जी, मैं आपको औलाहना नहीं देता हूं। मुझे तो जो लोगों ने बताया है, वही बता रहा हूं। (शोर)

चौधरी बंसी लाल: लोग तो पता नहीं आपको क्या कुछ कहते होंगे। (शोर) मैं करता हूं कि मैं भिवानी में मुतवातर गया लेकिन न आपके डी० सी० वहां पर थे, और न ही वहां के पुलिस कप्तान ही वहा मिले। उनका आपस मे कोई कोआपरेशन ही नहीं

है। आपस में उनकी स्पीकिंग टर्मज ही नहीं है। अगर उनका आपस में सहयोग होता तो शहर को ऐसी हालत न होती। (ओर)

प्रो० छत्तर पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा कि मैंने एस०ई० और एक्सीअन को सस्पैन्ड कर दिया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की है (शोर)

श्री अध्यक्ष: छत्तरपाल जी, यह कोई कवेश्चन आवर नहीं है। आप इस तरह से बीच में इंटरुप्ट न करें। आप बैठिये। (शोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हम भिवानी में गये। मैं इनको बताता हू कि इन्होंने हमारे साथ वहां पर क्या करवाया? (शोर) जरा सुनने की हिम्मत करिये। अध्यक्ष महोदय, इन्हें इस तरह से बीच में इंटरुप्ट नहीं करना चाहिए। यह बड़ी सीरिअस डिबेट हो रही है, कोई मजाक की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था कि हम भिवानी में रूख सिचुएशन का जायजा लेने के लिये गये। लाला राम भजन जी और छत्तरपाल सिंह जी भी वहां होंगे, मुझे दिखाई तो नहीं दिये। पता नहीं कहीं खड़े होंगे। बड़े-बड़े अधिकारी लोग भी हमारे साथ थे। इन के वहां के 70,80 या शायद 90 लड़के होंगे, जिन्होंने हमारे खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिये। भजन लाल मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। मेरी गाड़ी तो थोड़ी सी आगे निकल गई थी। उन बच्चों ने हमारे ऊपर पत्थर फेंके जिससे हमारे कुछ अफसरों को चोटें आईं। यह कितना शर्म की बात है इन लोगों के लिये कि इन्होंने

यह सारी लीला रची। वहां के लोगों ने इन के इस काम को बड़ा कंडम किया। इनका लज्जा आनी चाहिये। लोगों ने कहा कि सी०एम० आये, मन्त्री आये हमारे इस हल्के की सुध लेने के लिए और आप लोगों ने उन पर पथराव किया? वे लोग तो सरकार की तरफ से हमारे लोगों की मदद के लिए आए हैं और आप लोगों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करवाया है। हम आपके इस ऐक्शन को कंडम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, फिर आप ही बताए कि ये लोग किस मुंह से यहां खड़े होकर बोलते हैं। क्या यह इनके बोलने का तरीका है? राम भजन जी, आप तो जिम्मेवार लोग है। आप लोगों का यह कर्तव्य बनता था कि आप उन्हें ऐसा करने से रोकते। पर ये लोग खुद मिलकर यह करवा रहे थे। अगर यह बात झूठ हो तो यह कह कप, हम इस्तीफा देकर घर चले जाएंगे। इस तन से हम तो सभी शहरों में बारी बारी गये हैं और लोगों के साथ पूरी हमदर्दी से उनके सारी बातें सुनी और फलड की स्थिति का जायजा लिया और राहत कार्यों के लिए पूरे प्रबन्ध करने को कहा।

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, भिवानी में जो कुछ हुआ, वह सब अन-फारचूनेट था ओर मैं उसको कंडम करता हूं। मेरा इतना ही कहता हूं कि अगर मुख्य मन्त्री महोदय गाड़ी रोककर लोगों की दो मिनट बात सुन लेते तो ऐसी सिचुएशन अराइज हो न होती। अगर आपके अधिकारियों ने प्रोपरली सहानुभूति से कार्य किया होता तो यह सिचुएशन अराइज न

होती। जहां तक केसिज रजिस्टर्ड होने का सम्बन्ध है, वह तो शायद रजिस्टर हो चुके हैं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन अगर ये गाड़ी खड़ी करके लोगों की बात सुन लेते और कह देते कि मैं पूरा प्रबन्ध करूंगा तो ऐसी बात नहीं होनी थी।

12.00 बजे

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, वे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। यदि वहां के एम०एल०एज० मुझे इशारा कर देते कि गाड़ी रोक कर बात सुन लें तो मैं गाड़ी रोक लेता। मैं डरने वाला नहीं हूँ। बनारसी दास गुप्ता को जब ने गोली मरवाई थी, तब भी सब से पहले वहां भजन लाल ही गया था।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: स्पीकर साहब, अनर्गल बात की जा रही है। हाउस को गुमराह किया जा रहा है। आप एफीडैविट लिख कर दें कि ओम प्रकाश मैं बनारसी दास गुप्ता को गोली मरवाई थी। इस केस का अदालत में फैसला हो चुका है। मुजरिम को सजा हो चुकी है, इसलिए इन्होंने जो बात कही है, वह एक्सपंज की जाए।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, बनारसी दास गुप्ता ने कोर्ट में ब्यान दिया था कि चौटाला के इशारे पर मुझे गोली मारी गई।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: वे भी आप जैसे ही हैं। अध्यक्ष महोदय, इसे एक्सपंज करवाया जाए। ये गलत ब्यानी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बनारसी दास गुप्ता का अदालत में ऐसा कोई ब्यान नहीं आया। ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं। अदालत में उस केस की सजा का फैसला हो चुका है और मुलजिम को सजा भी मिल चुकी है जो वह काट रहा है। इसलिए ये लफज एक्सपंज किये जाएं।

चौधरी भजन लाल: गुप्ता जी ने कोर्ट में यह कहा था कि मुझे गोली ओम प्रकाश चौटाला के ईशारे पर मारी गई। अगर उस व्यान की कापी हमें मिल गई तो कल को वह दिखा देंगे।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री कह रहे हैं कि ओम प्रकाश 307 का मुलाजिम है। इन्होंने कहा कि मैंने बनारसी दास गुप्ता को गोली मरवाई है। आप रिकार्ड से चौक कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: जो मुख्य मन्त्री जी ने अपने मुंह से कहा था, वह एक्सपंज किया जाता है। जो बनारसी दास जी की कोर्ट में व्यान देने की बात है, वह रिकार्ड में रहेगी।

प्रो० छतर सिंह चौहान: स्पीकर साहब, आदरणीय मुख्य मन्त्री जी वहां पर 12 तारीख को गए। उससे पहले भिवानी के विधायक लाला राम भजन जी ने 10 तारीख को मुख्य मन्त्री जी को टैलीफोन किया था कि भिवानी की यह हालत है। भिवानी डूबा

जा रहा है। शहरों और देहातों की भी बहुत बुरी हालत है। आपके जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, वे इन-एक्टिव हैं और वे देहात में नहीं गए। मुरम मन्त्री जी ने कहा कि मैं इस पर कार्यवाही करूंगा। इन्होंने उनको कहा कि आप मेरे से फिर बात करना। उसके बाद 11 तारीख को फिर उन्होंने चीफ मिनिस्टर के रेजीडेंस पर फोन किया। वहां से पता लगा कि मुख्य मन्त्री जी बाथ रूम में हैं, नहा रहे हैं या पूजा कर रहे हैं। वे सारा दिन इन्तजार करते रहे। हम उनको बताना चाहते थे कि हम किस दुख की घड़ी में से गुजर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर आज छाती ठोक कर कहते हैं कि सरकारी अधिकारियों ने लोग की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्पीकर साहब, मैं यह बात यौन औथ कहता हूँ कि रौंद गांव आज भी 8-8 फुट पानी में डूबा हुआ है। मिश्री और जइवी गांव भी 8-8 फुट पानी में डूबे हुए हैं। आज तक उन गांवों में इनका डी० सी० नहीं गया है। स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब औन औथ यह कह दें कि क्या उन गांवों में कोई सरकारी अधिकारी या कोई कर्मचारी गया है? उन गांवों में कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं गया और सरकार की तरफ से उन गांवों के लोगों की कोई मदद नहीं की गई। स्पीकर साहब, 12 तारीख की बात है, भिवानी के लोगों ने कोशिश की कि चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, उनसे मिल कर गणप,। दुख की बातें बतानी चाहिए लेकिन लोगों को चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने नहीं दिया गया। जो लोग धरने पर बैठे थे, वे चीफ मिनिस्टर साहब को बताना चाहते थे कि आज भिवानी की क्या हालत है।

आज भिवानी में 9 फुट पानी खड़ा है। चीफ मिनिस्टर साहब भिवानी गए और इनसे लोगों को मिलने नहीं दिया गया। चीफ मिनिस्टर साहब उदारता दिखाते और वहां पर खड़े होते और लोगो की बातें सुनते।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ये सारी बातें अपनी स्पीच में कह दी थीं।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान: आपने वहां पर खड़ा होना मूनासिब नहीं समझा और कह दिया कि लोगों ने पत्थर फेंके।

चौधरी भजन लाल: यह आप ही बता दें कि लोगों ने पत्थर फेंके हे या नहीं? (शोर)

प्रो० छत्तर सिंह चौहान: किसी ने कोई पत्थर नहीं फेंका। आप अपनी विफलताओं को छिपा रहे हैं। (शोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, फ्लड के दौरान हमने लोगों की हर तय से मदद कर ने की केशिश की। अध्यक्ष महोदय, जब 1988 में फ्लड आया था, उस समय मेरे सामने बैठ भाईयों की सरकार थी। उस फ्लड मे जो कोई पाई मर गया था, उसके इन्होंने 10- 10 हजार रुपए दिए थे और आज ये कहते है दो लाख रुपए दिए जाने चाहिए। (शोर)

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि बाढ़ के दिनों में जिस

अर्से में लोगों को बिजली नहीं दी गई, रमा उसैके बिल माफ होंगे?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो भी मुद्दे उठाए, हैं, उन सभी का जवाब दूंगा। बंसी लाल जी, इस बारे में भी आपको बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय, जो लोग 1993 में मरे थे, उनको हमने 50- 50 हजार रुपए दिए और आज भी हम 50- 50 हजार रुपए दे रहे हैं। इन्होंने उस समय पक्के मकान गिरने पर लोगों को 1200 और कच्चे के 600 रुपए दिए गए थे।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: उस समय सीमेंट का थैला 118 रुपए का था और आज 160 रुपए में मिल रहा है। स्पीकर साहब, पंजाब के स्वर्गीय मुख्य मंत्री सरदार बेअंत सिंह ने फलड आने से पहले एक हजार रुपया प्रति एकड के हिसाब से मुआवजा तय किया था। आप 1988 की तुलना में आज कह रहे हैं, उस समय खाद का एक थैला 180 रुपए का था, आज उसका कितना रेट है? (शोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने उस समय पक्के मकान गिरने के 1200 रुपए प्रति मकान के हिसाब से दिए थे लेकिन हमने 10 हजार रुपए प्रति मकान के हिसाब से लोगों के देंगे और पाच हजार रुपए पक्के मकानों की। मुरम्मत के देंगे। इसके अलावा, कच्चा मकान गिरने के पांच हजार रुपए और उसकी रिपेयर के 2500 रुपए देंगे। जो भैस और गाय मर गई है, उसैके

लिए भैंस के पांच हजार रुपए और गाय के 4 हजार रुपए देंगे। इसी तरह से भेड बकरियों के लिए 1500— 1500 रुपए दिए हैं।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: सूअर के मरने पर कितना मुआवजा देग?

चौधरी भजन लाल: आप बता देना आपने कितने सूअर पाले थे और उनमें से कितने मर गए। आपको भी पैसा दिलवा देंगे। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, सारी स्टेट में बहुत भयंकर तबाही हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि हरियाणा प्रदेश में 2840 गांवों में बाढ़ का पानी आया और टोटल 22 लाख एकड़ जमीन बाढ़ के पानी के नीचे आई, जिसमें से 18 लाख एकड़ जमीन की फसल बाढ़ के पानी से बह गई है। इसके अलावा 29 लाख आबादी बाढ़ के पानी के नीचे आ गई मकानों के बारे में भी बताया है कि तीन लाख मकान गिर गए। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बाकायदा एक टीम के माध्यम से राशन, मिट्टी का तेल, खाने की चीजें या दूसरो सुविधाएं लोगों को दीं। स्पीकर साहब, यहां पर यह बात भी आई कि जो राशन बांटा जा रहा था, उसमें पर्ची हमारी डाल दी गई। इस बारे में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि सरकार ने बाकायदा पूरी टीम तैयार करके इंसानों के लिए दवाईयां, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था आदि टीम के यू की है।

चौधरी बंसी लाल: मुख्य मन्त्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीन्द में एक रघुनाथ मंदिर है। वहां लोगों को जो खाना उस मंदिर की तरफ से दिया जा जा था, उसमें वहां की रैडक्रास ने आकर अपनी मोहर लगा दी। यदि आप चाहे तौ बेशक इस बात की जांच करवा लें कि ऐसा हुआ है या नहीं।

चौधरी भजन लाल: ऐसा आपकी पार्टी ने किया होगा।
(विघ्न)

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, हमने तो बाकायदा दवाइयां, खाने की चीजें आदि लोगों को मुहैया करवाई हैं। यह सारा काम हमने पोलिटिक्स से हटकर किया है।

चौधरी भजन लाल: अच्छा किया। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पशुओं को जहां बीमारी का डर था, वहां पशुओं को टीके लगवाए हैं। स्टेट में ऐसी कोई जगह नहीं रही जहां पर पशुओं के टीके नहीं पहुंचे हों। टीम ने दिन रात काम किया ता कि पशुओं में बीमारी न फैले।

चौधरी बंसी लाल: यह बात ठीक है, हमने भी पता किया है, टी के लगे हैं। अब एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पशुओं को गलघोटू और पानी में खड़े रहने से जो खुर ओर नुंह आ जाता है, वह टीके नहीं लगे। कृपया मेहरबानी करके ये टीके भी जल्दी से जल्दी लगवा दें।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, स्टेट के अन्दर 98 लाख पशु हैं ' इनमें से 62 लाख 72 हजार 64 पशुओं को टीके लगाए जा चुके हैं। इसी तके से मुंह आने के टी के एक लाख लगे अउर पेट में कीड़े पड़ने व खुर आदि आने के 4 लाख 80 हजार टीके लगाए गए। जहां जहां पर पानी उतर रहा है, वहां पर पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए पूरी टीम तैयार की हुई है ताकि गलधोटू आदि की बीमारी न फैले।

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, एक बात में यह भी नोटिस में लाना चाहता हूं कि जो बारिश का' पानी खड़ा है, वह हरा हो गया है और पशु उसको पी रहे हैं। उसमें क्लोरिन व दूसरी दवाई डाली जाये ताकि पशुओ में हैजा आदि न फैले। पशु जो पानी पिएंगे उसका असर फिर आदमियों पर भी पड़ेगा जिससे पीलिया आदि फैलने का डर है।

श्री राम भजन अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, भिवानी में 50 गाय एक साथ मारी गई हैं, क्या उन लोगों को भी कुछ राहत दी जाएगी ((शोर)

कवर राम कल सिंह: साथ ही आप यह बता दें कि वे गायें कैसे भरी हैं। बारिश के कारण अनाज सड गया था और बाहर डाल दिया गया था जिसमें दवाई पड़ी थी। उसको उन गायों ने खा लिया जिस कारण उनकी मृत्यु हुई। यह खबर भी अखबार में आयी थी।

प्रो० छतर सिंह चौहान: वहां पर बड़ी भारी चिन्ता है, मुझे पता नहीं कि क्या कारण है परन्तु 15-20 गायें एक ही दिन में मरी हैं। हो सकता है किसी बीमारी के कारण ही मरी होंगी। क्या इन लोगों को कोई राहत सरकार देगी?

चौधरी भजन लाल: बाढ़ की वजह से जो पशु मरे हैं, जैसे भैंसों के लिए 5000 रुपए प्रति भैंस के हिसाब से मदद जरूर दी जाएगी। हालांकि पूरी मदद तो नहीं हो सकती लेकिन फिर भी कितनी मदद सम्भव हो सकती है, वह सरकार जरूर देगी। (विधन)

प्रो० छतर सिंह चौहान: एक ही दिन में इतनी गायें मर जाएं, यह बहुत— चिन्ता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे संबंधित मिनिस्टर से कह कर इन्क्वायरी करवाएं कि इतनी गायें मरने का क्या कारण था? (विधन)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हमने हर विभाग से टीमें भेजी हैं। चीफ सैक्रेटरी के साथ दो मीटिंग हो चुकी हैं और उन्हें हिदायतें हैं कि जिस जगह जिस चीज की जरूरत हो, फौरन भेजें। जितने पैसे की मांग जहां से आए, वह फौरन रिलीज किया जाए। लोगों को पूरी मदद करने की हमने कोशिश की है। सारी स्टेट के अन्दर जो पम्प लगे हुए हैं, सिंचाई विभाग के जो पम्प हैं, उनसे काम हो स्ट्रा है ओर

जे। पब्लिक हैल्थ के 700 के करीब पम्प लगे हुए हैं उनसे सभी जगहों से पानी निकाला जा रहा है। (विधन)

प्रो० सम्पत सिंह: क्या हर जिले में पम्पों से पानी निकाला जा पा है? (विधन)

चौधरी भजन लाल: जिन जगहों से मांग आ रही है वहां से पानी निकालने का हम प्रबन्ध कर रहे हैं। (विधन)

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्य मन्त्री जी डिस्ट्रीक्टवाइज पम्पों की बकेअप बता सकेंगे कि ब्रेकअप क्या है?

चौधरी बंसी लाल: जी हां, भिवानी जिले में 35 पम्प पब्लिक हैल्थ के और 28 पम्प इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं। (विधन) अध्यक्ष महोदय, मैं डिस्ट्रीक्टवाइज भी बता देता हूं भिवानी में 78, हिसार में 83, जीन्द में 115, कैथल में 106, रोहतक में 200, सोनीपत में 200, अम्बाला में 26, फरीदाबाद में 33, गुड़गांव में 40, नारनौल में 8 पम्प लगे हैं। (विधन)

श्री बलवन्त सिंह मायना: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मुख्य मन्त्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि 200 पम्प जो रोहतक में बताए हैं, क्या वे रोहतक शहर में हैं या सारे रोहतक जिले में हैं?

चौधरी भजन लाल: ये पम्प इरिगेशन के हैं जो शहर और गांवों में चल रहे हैं और पब्लिक हैल्थ के शहरों में हैं।

श्री बलबन्त सिंह मायना: इनमें से कितने पम्प चल प्ले हैं?

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, पम्पों ने से जो डी-बाटरिंग हो रही है, प्लास्टिक के लिफाफे उसमें बड़ी भारी रुकावट डाल रहे हैं, क्या इस बारे सरकार कुछ कर रही है या इन पर पाबन्दी लगाने के बारे में सरकार का कोई विचार है? (विधन)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जिले के आकड़े हैं।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी: इसमें इलैक्ट्रीसीटी और डीजल पम्प कितने-कितने हैं? श्री बलबन्त सिंह मायना: अध्यक्ष महोदय, नेंने जो पूछा है उसकी जानकारी तो दें।

चौधरी भजन लाल: आप बैठ जाएं। हम आपका जवाब भी दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्राईवेट संस्थाओं का धन्यवादी हूँ जिन्होंने हमारी अपील पर बाढ से धिरे लोगों की मदद की है और हमने भी उनको कपड़े भेजे हैं।

प्रो० राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मन्त्री जी ने माना कि सामाजिक संस्थाओं ने और प्राईवेट संस्थाओं ने सबसे पहले लोगों के पास जाकर उनकी मदद की है। उसमें राष्ट्रीय संस्थाएं, हिन्दू परिषद, आर्य समाज और जितनी भी पार्टियां जैसे एस०जे०पी०, बी०जे०पी० आदि थीं, इन्होंने वहां पर जाकर उन लोगों की सहायता की है। मैं मुख्य मन्त्री जी से

यह कहूंगा कि ये उन सबके नाम तो नहीं ले पाएंगे, इसलिए ये एक लिस्ट बनाकर उन सभी संस्थाओं आदि का धन्यवाद कर दे।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने यही तो किया है। मैं इसलिए मो उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी अपील पर आगे आकर बार से थिरे लोगों की मदद करी है। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रावती: अध्यक्ष महोदय, मदद तो सब ने करी है। उसमें कांग्रेस पार्टी ने भी करी है, कई संस्थाओं ने मदद करी है। उन संस्थाओं में गांवों के भी लोग हैं जिन्होंने मदद करी है। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मुख्य मन्त्री जी कह रहे हैं कि हमने अपील की है और बाद में इन्होंने अपनी बात सुधार ली कि सबने मिलकर अपील की है।

चौधरी भजन लाल: सभी ने मिलकर आपने नहीं ककी है, ऐसा मैंने नहीं कहा है।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, सभी लोगों ने बिना कास्टीज्म को मद्देनजर रखते हुए लोगों की मदद की है। जहां तक

मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि इन्होंने अपील की है, आप इस बारे में रिकार्ड देख लें, अगर इन्होंने एक बार से ज्यादा अपील की हो। इनकी जो अपील है, वह पंजाब केसरी में छपी थी कि पंजाब केसरी मुख्य मन्त्री के फंड में सहायता क्यने वाले का नाम छापेगा। लेकिन लोगों ने इनको पैसा नहीं दिया क्योंकि लोग इनको इसके लिए फिजिबल(योग्य) नहीं समझते हैं, उनका इन पर विश्वास नहीं है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी ने जो 'फिजिबल' वाली यात कही है, मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या कह रहे हैं। पंजाब केसरी अपने हिसाब से काम करता है। हमने पंजाब केसरी से नहीं कहा कि आप हमारे लिए चन्दा इकट्ठा करो। लेकिन हम उनके आभारी हैं कि वे एक लाख रुपये खुद हमें लेकर गए। इसलिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। मैंने तो यह पेपर में ही पढ़ा है कि उन्होंने लिखा है कि हरियाणा में भयका बाढ़ आ गयी है, इसलिए चन्दा इकट्ठा करके सहायता करनी चाहिए। हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि चन्दा कम आया था या लोगों ने हमारी अपील पर कम मदद तो है, ठीक नहीं है। हमने सबसे अपील की थी कि यदि आप मदद दे सकते हैं तो अवश्य दे। हम तो आपसे भी कहते हैं कि हमने जो आपको बीस या चालिस लाख रुपए दिए हैं, वह आप फलड के लिए दे दो।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, हमने वह पैसा महीं लिया है।

चौधरी भजन लाल: लेकिन सरकार ने तो सबको पैसा दिया है, अगर आपकी इजाजत हो तो हम उस पैसे को पलट के एरिये में लगा दें। (विधन)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, जो पैसा एम०एल०एज० की डिस्क्रीशन पर दिया गया है और जो प्रोपोजल सभी एम०एल०एज० ने बनाकर देनी थी वह तो टाईम बाउंड थी कि इतनी इतनी तारीख को आप अपनी अपनी स्कीम्ज भेज दें। सर, वह सारी स्वीम्ज तो सरकार के पास जा चुकी है। जिन गांवों में यह पैसा माना है, उनको अनाउंस किया जा चुका है और सरकार की तरफ से भी अनाउंस किया जा चुका है। कि चालीस चालिस लाख रुपए उनके डिस्क्रीशन पर सरकार छोड़ती है। सर, पहले वाला पैसा तो आलरेडी ही स्कीम्ज में जा चुका है लेकिन ये कहते हैं हैं कि अब हम वह पैसा पलड के लिए दे दें। आप हमें चालीस चालीस लाख रुपए और दे दो तो हम वह पैसा पलड के लिए दे देगे। (विधन)

सिचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा): अगर आगे और पैसा आपको मिल गया तो क्या आप पलड के लिए दे देंगे?

प्रो० सम्पत सिंह: वह पैसा हम फलड के लिए दे देंगे। (विधन) लेकिन हम यह पैसा आप लोगों को नहीं देंगे।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरे कह।ए का मतलब यह है कि जहां जहां पर जरूरी था वहां पर हमने मोटर बोट, किशतियां एवं लोगों को राशन महुवाने की पूरी कोशिश की है। इसी तरह से श्रीमान ओमप्रकाश चौटाला जी ने यहां पर बोलते हुए कह दिया कि लोग तो बाढ़ में मर रहे थे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आप छत्तर पाल सिंह को बीच में हो बोलने से रोकिए, वरना फिर वही पहले वालो कार्यवाही करनी पड़ेगी।

प्रो० छत्तर पाल सिंह: स्पीकर सर, मुख्य मन्त्री महोदय ने चालीस चालीस लाख रुपये की चर्चा की है

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? इनके हाउस का कायदा सिखाना चाहिए (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आप इनको बीच में बोलने से रोकिए।

प्रो० छत्तर पाल सिंह: स्पीकर सर, सस्कार ने सभी एम०एल०एज० को बीस बीस लाख रुपए दिए थे। हमने सरकार को अलग अलग काम करवाने की लिस्ट बनाकर दी थी लेकिन सर, मेरी कांस्टीच्यूएंसी में सिर्फ 9.5 लाख रुपए ही अब तक लगे हैं बाकी कोई पैसा कहा पर नहीं लगा है। सर, सरकार ने जो पैसा एम० एल० एज० की डिस्क्रीशन पर छोडा है, कि वह अपनी मर्जी से अपनी कांस्टीच्यूसी में काम करवा सकता है, लेकिन इस प्रोपोजल को लागू करने के लिए तो कंडीशन है।

श्री अध्यक्ष: छत्तर पाल सिंह जी, आप अभी बैठिए यह बोलने का का औकड़यंन नहीं है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला जी ने बोलते हुए कहा कि भजन लाल का बेटा रैड बिशप में एक तरफ तो जन्म दिन की खुशी मना रहा था और दूसरी तरफ बा टू से लोग मर रहे थे तथा दो हजार लोगों की वहां कर पार्टी थी। वहां पर लोग शराब मांग रहे थे ओर शराब दी जा रही थी।। अध्यक्ष महोदय, 13 तारीख को वाकई में उसका जन्मदिन था। उस दिन जब मैं पूजा पाठ करने नीचे आया तो मैंने देखा कि पंचकूला के तीन सौ या चार सौ लोग कहा पर खड़े थे और चन्द्रमोहन को मुबारकबाद दे रहे थे। मैं तो उस दिन दिल्ली चला गया था लेकिन बाद में मैंने पता किया कि वहां पुर चार बजे एक ऐसी पार्टी थी जिसमें बेसहारा लोगों को कपड़ा बांटा जाना था। लेकिन ये तो सबको अपने जैसा ही समझते हैं, चाहे कोई भी मरा पड़ा रहे, लेकिन इनको तो केवल अपना अपना ही चाहिए कि इनके कुछ भी दे दो। अध्यक्ष महोदय वहां पर कोई भी पार्टी नहीं थी, कोई फंक्शन नहीं था। वहां एक ऐसा फंक्शन था जिसमें ब्लड डोनेशन की बात थी और शाम को गरीब लोगों को कपडा बाटने की बात थी किन्तु ये तो उसको भी पार्टी कहते हैं। (विघ्न)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक रिकार्ड की चीज बता रहा हूं। मैं अपनी बार को पुनः दोहरा ही नहीं रहा हूं बल्कि जोर देकर कह रहा हूं कि 13 तारीख को

बी ०आर० वशिष्ट नाम का एक वेयर हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन था, उम्रका मियाद खत्म हो रही थी और उसने मुख्य मन्त्री के साहबजादे को राजी करने के लिए ब्लड डोनेशन का ढोंग रचा था। अगर ऐसा नहीं था तो मुख्य मन्त्री का बेटा स्वयं इस हाउस में बैठा है, वह बताए कि क्या इसने ब्लड दिया या नहीं दिया? अध्यक्ष महोदय, उसके बाद जो नया के०सी० पैलेस का मालिक पवन बलेचा है, वह वेयर हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनना चाह रहा था, उसने रैंड बिशप के भवर दो हजार लोगों की पार्टी की थी। अध्यक्ष महोदय, वहां पर शराब ही नहीं चली, बल्कि अब मैं हाउस के अन्दर ओन ओथ कह रहा हूं कि वहां पर लड़कियों का डांस भी हुआ है, लड़कियां नचायी गयी है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो बाढ़ से लोग मर रहे है और दूसरी तरफ ये लड़कियों का डांस करवा रहे हैं। यह एक रिकार्ड की बात है कि ये वहां पर लड़कियां नचा रहे थे। स्पीकर सर, आप रिकार्ड मगवा कर देखिए। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल: स्पीकर सर, मैं इनका इस बात का चौलेंज कबूल करता करता हूं। आप हाउस की कमेटी बना दें और वह कंमेटी इस बात की इंक्वायरी कर ले रात 8 बने लड़कियां नाचने के वक्त मेरा बेटा अगर वहां होता तो मैं इस्तीफा दे दूंगा या ये इस्तीफा दे दे। (शोर एवं व्यवधान) मैं कहता हूं कि होटल में डांस रोज होते होंगे, सारी रात डांस होते होंगे लेकिन इस बात की मेरी ठेकेदारी नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: आपके बेटे के जन्म दिन की पार्टी के मौके पर डांस चले है। (शोर)

चौधरी भजन लाल: इस बात पर नहीं चले हैं। (विघ्न)
मेरा बेटा तो छः बजे शाम घर वापस आ गया था।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: स्पीकर सर, इस पार्टी की पेमन्ट उन्होंने की है जो वेयरहाऊसिंग कापोरेशन के चेयरमैन बनना चाहते हैं, उन्होंने दी है। आप इंकवायरी करा लें। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल: स्पीकर सर, ये कहते हैं कि चेयरमैन, चयरमैन को बने हुए 8 महीने हो गए हैं, कितनी गलत बात ये कहते हैं? तीन साल के लिए चेयरमैन बनता है। आपकी तरह से थोड़ी कि बिना एम ० एल० ए० बने पैसा लेकर मंत्री बना दो। ऐसा काम भजन लाल नहीं करता।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: स्पीकर सर, उन्होंने कहा है कि बिना एम० एल० ए० पैसे लेकर मन्त्री बनाया है, क्या यह जायज बात है? आज यह बात हाउस की प्रोसीडिंग में आएगी और अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति का ये जिक्र कर रहे हैं, (शोर एवं व्यवधान) वह आज की कांग्रेस का, पार्लियामैन्ट का मैम्बर है। क्या इन्होंने पैसे लेकर टिकट दिया है, क्या उस व्यक्ति को पैसे लेकर बनाया है? (शोर एवं व्यवधान) इस तरह से जो जी में आए, कह देते हैं, यह कोई तरीका थोड़ी है? कांग्रेस की पार्लियामैन्ट की टिकट उसको आपने पैसे लेकर दी है? (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, टिकट हाई कमान देता है और वह आदमी कांग्रेस में था, उसे टिकट दी है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, प्राईम मिनिस्टर जिसके बुलावे पर आता हो और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी जिसके नीचे पटक दी जाती हो, उस व्यक्ति के मुतल्लक यह कहा जा रहा है। चीफ मिनिस्टर नीचे फर्श पर पड़े हुए हैं और वह पार्लियामैन्ट का मैम्बर जो कांग्रेस टिकट पर जीतकर गया, वह प्राइम मिनिस्टर के बराबर बैठा है, उस व्यक्ति को क्या पैसे लेकर टिकट दिया था। यह इनकी केडेबिलिटी है, यह हालत है यह नरसिंहा राव से पूछिए? (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल ही गलत और बेबुनियाद बात इन्होंने कही है। आप हाउस वी एक कमेटी बना दें यह बात साबित हो जाए तो ये इस्तीफा दे जाए या मैं दे दूंगा। इंसान को ठीक बात कहनी चाहिए। जैसी आदमी की शकल हो, वैसी बात करे? अगर आदमी के हाथ पांव ठीक न हो तो बात तो ठीक करे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: ऐसी बात न कहें, प्लीज।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आप इनको रोकिए चौटाला साहब, आप क्यों पर्दे खुलवाते हो, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको।

चोधरी ओम प्रकाश चौटाला: यह शक्लें कहा से आई हैं, कैसे आई हैं, यह भी मैं आपको बताऊंगा।

श्री सतबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, इनकी कांग्रेस पार्टी का प्रैजिडेंट आज का प्रधान मन्त्री एम० पी० नहीं था, जब वह प्रधान मन्त्री बना। बोली किस- किसने कितने कितने पैसे लिए, बताओ आप?

चोधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री पैसे प्रधान मन्त्री बन गया। सारी पार्टी ने सर्वसम्मति से उनको चुना। इनके पिता श्री ने भी यह कहा कि सबसे बढिया अक्षर कांग्रेस में कोई व्यक्ति है तो वह पी० वी० नरसिहा राव हैं। (विधन) अध्यक्ष महोदय, सारी कांग्रेस पार्टी का राव साहब के बारे में युनैनीमस फैसला था। माइनारिटी की सरकार होते हुए भी कितना शानदार काम उन्हीं ओं सरकार का चलाया है और चला रहे हैं और देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। ऐसे बढिया आदमी के बारे में वह यह जो कह रहे हैं, इनकोआनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अभी चर्चा में इन की तरफ से भाग लेते हुए श्री मान ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा कि आज हरियाणा के अन्दर प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। साथ में कहा कि जमीदारों से बिल भी गलत ले लिये और प्राईवेट संस्थाओं से बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सामान लिये गया था। अभी तक तो कुछ हुआ भी नहीं और प्रशासन के खिलाफ इन्होंने कितनी कितनी बातें कह

दीं। मैं कहता हूँ कि हरियाणा के प्रशासन पर तो इन्हें गर्व होना चाहिए (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: पैकेट खूराक के लोगों में बांटे गये। जो रिलीफे दो गई लोगों को उसकी तीन लाख की तो, जीन्द में रेड क्रॉस की पर्चियां निकली हैं जोकि समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से हैं। (शोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल गलत बात कह रहे हैं। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: स्वयं गुप्ता जी ने उन समाज सेवी संस्थाओं को इस के लिये मजबूर किया और वहां पर झगड़ा भी हुआ। व कहने लगे कि नहीं हम आपको नहीं देंगे हम अपने लैवन पर ही सहायता भेजेगे। पर्चियां जगह जगह निकली हैं। (शोर)

वित्त मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता): चौटाला साहब, कुछ तो सच बोला करो। (शोर)

चौधरी भजन लाल: सच तो ये तब बोलें जब सच बोलने का इनको पता हो। (शोर) गलत बोलते हुए कभी उन्होंने मसानी ब्रांच के बारे में कह दिया और कभी बंसी लाल जी के ऊपर इलजाम लगा दिया। चौटाला साहब, यह मसानी ब्रांच तो आपके पिता श्री के वक्त में बनी थी। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: हमारे वक्त में यह लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये बनी थी लेकिन उसके शटर भी आप आज तक नहीं लगा सके। (शोर) अगर उस वक्त इसके शटर लग गये होते तो आज 20-25 गांवों का नुकसान न होता। इससे पहले अधिवेशन में भी यह बात चली थी, आप दोनों ही पूर्व मुख्य मंत्री यह कह रहे थे कि मसानी नदी कोई है नहीं मसानी ब्रिज कोई नहीं है ओर इसीलिए वह शटर नहीं लगाये गये जब कि इसके लिए लोगों की मांग थी। अगर वे शटर लग पाते होते तो रिवाड़ी जिले के जो 30 गांवों हैं। उनकी तबाही नहीं होनी थी। आपके अपने मंत्री ने ही यह कहा था कि हमारा नुकसान हो गया। उस पानी से तो नुकसान की बजाये लाभ मिलना था, पर सरकार की नाएहलीयत की वजह से यह नुकसान हुआ है। (शोर)

चौधरी भजन लाल: स्पीकर सर, इन्होंने जो जो बातें कही. उनका कोई सार नहीं है, इनकी इन बातों का मैं जवाब दूंगा। ये किसी सच बात को तो कह नहीं सकते। (शोर) अध्यक्ष महोदय, पानी निकालने का जहां तक सम्बन्ध है, उस बारे में चौधरी बंसी लाल जी ने बिल्कुल सही जवाब दिये है। मैं उनकी तारीफ किये बगैर नहीं रह सकता।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: जिसकी आप तारीफ करोगे उसका बेड़ा ही बैठ जाएगा।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, कभी तो ये कह देते, हैं कि भजनलाल बंसी लाल से मिला हुआ है और कभी बंसी बाल जी बोलेगे कह देंगे कि भजन लाल ओम प्रकाश चौटाला से मिला हुआ है। (शोरे)

प्रो० छत्तर पाल सिंह: आप खुद ही इस तरह की बातें बनाते रहते हो (शोर)

चौधरी भजन लाल: छोड़ो स्पीकर साहब,
....जो बिना आपकी इजाजत के बोले तो उसको ही कहना पड़ेगा (शोर)

प्रो० छत्तर पाल सिंह: (शोर)

चौधरी भजन लाल: मैं पिता हुआ किसी से नहीं हूँ। झगड़ा इनका आपस का है। अब बंसी लाल जी तो कहते हैं कि मेरी सीटें फालतू आएंगी और ये कहते हैं कि मेरी फालतू आएंगी। झगड़ा 17 जमा 7 यानी 24 सीटों को है मैं— कहता हूँ कि 24 नहीं बल्कि दोनों की मुश्किल से 20 सीटें आएंगी। अब सवाल यह है कि बीस में से मैजोरटी में ज्यादा कौन लेगा? इसके अलावा और कोई झगड़ा नहीं है।

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, अच्छी बात यह होगी कि मुख्य—मन्त्री जी एक तो हमें यह बताएं कि जे० एल० एन० की कैपेसिटी जो 32 सौ क्यूसिक की थी आज 12 सौ क्यूसिक रह गई है, उसको कब तक ठीक करवाया जाएगा हांसी ब्रांच की

कैपेसिटी 56 सौ क्यूसिक की थी जो आज चार हजार क्यूसिक रह गई है। नरवाना ब्रांच पंजाब में करीब 50 कि० मी० है, उसमें सिमेंट भरने से उसकी कैपेसिटी चार हजार क्यूसिक की बजाए हमें पंजाब से तीन हजार क्यूसिक पानी मिलता है। इसके अलावा जो पेडू सड्कों पर कटे पड़े हैं, उनके कब तक उठा दिया जाएगा? एक बात यह है कि जिस अर्से में बिजली बन्द रही, उसके बिल किसानों को न दिए जाएं। आज जगह जगह नहरें कटी पड़ा हैं। पीने का पानी काले दो महीने तक कहीं से नहीं आएगा। जो नहरें कटी पड़ी हैं, उनका इलाज किया जाए। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर का प्रबन्ध कब तक हो जाएगा? अब आगे सर्दी आएगी, उसके लिए आप गरीब आदमियों के लिये प्रबन्ध करें। गरीब लोगों के बच्चों को दूध देने का भी प्रबन्ध करें।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने अच्छी बातें कहीं हैं। इन्होंने कहा कि एक तो मास्टर प्लान बनाना चाहिए। मैं इनको बढ़ाना चाहता हूँ कि पूरा मास्टर प्लान हमने पहले ही बना लिया है। उसके लिए बाकायदा चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है। वह मास्टर प्लान हमारी अकेली स्टेट से काम नहीं करेगा। उसमें बाकायदा राजस्थान और पंजाब को भी शामिल करना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहां पानी राजस्थान और पंजाब से ही आता है। हम ठीक तरीके से मास्टर प्लान बनाएंगे ताकि राजस्थान और पंजाब के पानी को रोका

जाए वह हरियाणा में न आए? ऐसा करने के बाद हमारी प्लानिंग ठीक होगी। हम इन बारे में चीफ मिनिस्टर लैवल और मिनिस्टर लैवल पर उनसे बात करेंगे। हम चाहते हैं कि भविष्य में बाढ़ न आए। फिर आपने पूछा कि पानी कब तह निकल जाएगा। हमारी कोशिश यह होगी कि 15 अक्तूबर तक पानी जरूर निकल जाए। मैं समझता हूं कि अगर 15 अक्तूबर तक सारा पानी न निकला तो 75 परसेंट खेतों की पानी जरूर निकाल देंगे। हमारी कोशिश होगी कि 31 अक्तूबर तक सारी स्टेट में कहीं भी पानी न रहे।

चौधरी बंसी लाल: आप एक कमिटेमैन्ट कर दें कि 31 अक्तूबर तक सारा पानी निकाल देंगे।

चौधरी भजन लाल: ठीक है, हम 31 तक टोटल पानी निकाल देंगे सिवाए उन-जगहों के जो झील की तप बनी हुई हैं या नीची हैं। झील की तरह से कोई जगह हो उसको छोड़ कर बाकी सभी जगहों का पानी 31 अक्तूबर तक निकलवा दिया जाएगा। हम किसानों की अगली फसल बुआएंगे और उसके लिए बीज और खाद का बंदोबस्त करेंगे। किसानों को ब्राकायदा बीज और खाद सबसीडाइस्ज रेट पर मुहैया कराएंगे और कैंश की बजाय इन-काइड भी देंगे।

चौधरी बंसी लाल: 80 हजार के करीब ट्यूबवैल्ज बाढ़ के पानी में बैठ गए, क्या आप नए ट्यूबवैल्ज लगाने के लिये किसानों को कर्जा देंगे?

चौधरी भजन लाल: अगर भारत सरकार ने फालतू पैसा दिया तो 'जरूर देंगे, लेकिन पांच हजार रुपए रुपए जरूर देंगे।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अगर इस बात के लिये आप पूरी तरह से तैयार हैं कि 31 अक्तूबर तक चम्पा चम्पा जमीन से बाढ़ का पानी निकाल दिया जाएगा और रबी की फसल की बुआई हो जाएगी तो ठीक है क्योंकि इसी बात को ले कर हरियाणा प्रदेश में बहुत से लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हाउस का एक माननीय सदस्य भी मरण व्रत पर बैठा हुआ है। उनका सिर्फ यही कहना है। किसानों की खरीफ की फसलें खराब हो गई हैं, बरबाद हो गई हैं लेकिन रबी की फसलों की मुकम्मल तौर पर बिजाई हो जाए। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने यकीनी तौर पर यह कहा है कि ये 31 अक्तूबर तक सब का सारा पानी निकलवा देंगे तो मेरा आपसे निवेदक है कि हाउस की तरफ से उन लोगों को सामूहिक तौर पर यह कहा जाए खि जो मरण व्रत पर बैठे हैं, कि आप अपना व्रत तोड़ दे, सरकार 31 अक्तूबर तक बाढ़ का सारा पानी निकलवा कर किसानों की रबी की फसल बुआ देगी। अध्यक्ष महोदय उनके प्राण बचाना जरूरी है। इस हाउस के एक सम्मानित सदस्य भी मरण व्रत पर बैठे हैं।

चौधरी भजन लाल: न तो उनके कहने से कोई बात सरकार करने वाली है और न ही उनके कहने से सरकार का पाया हिलने व ला है।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाल: वह लोग हरियाणा प्रदेश के लोगों के इन्ट्रस्ट में अपने प्राणों की बाजी लगा कर, एक अच्छे काज के लिये मरण व्रत पर बैठे हुए हैं। आज सरकार कहती है कि सरकार किसान की रबी की फसल बुआएगी तो हाउस को उन्हे यह कहने में क्या ऐतराज है कि सरकार रबी की फसल की बुआई कराएगी इसलिये आप अपना मरण व्रत तोड़ दें? इस हा उस के एक सम्मानित सदस्य भी मरण व्रत पर बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, यह आपकी भी और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उस माननीय सदस्य को यह बात कही जाए और उनक मरण व्रत से उठाया जाए।

चौधरी भजन लाल: आप जा कर बता दें, हाउस कोई बात नहीं कहेगा।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: आप इस बात पर कायम हैं कि 31 अक्तूबर तक बाढ़ का सारा पानी हरियाणा प्रदेश के गांवों से निकाल दिया जाएगा तो हा उस को यह बात कहने में क्या आपत्ति है। उनके यह बात कही जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, हाउस का एक माननीय सदस्य मरण व्रत पर बैठा है, उनको मरण व्रत से उठाने के लिये कोई रास्ता निकाला जाए।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, किसानों के कर्ज की वसूली भी अगली फसल तक के लिए मुलतवी कर दी है।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इस हाउस के एक सम्मानित सदस्य के प्राणों को बचाने के लिये कोई रास्ता जरूर निकाला जाए।

श्री अध्यक्ष: चीफ मिनिस्टर साहब ने अश्योंरैन्स दी है, आप उनको जा कर बता दे और उनको जूस पिला कर उठा दें।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, इसमें सवाल किसी पोलिटिकल पार्टी का नहीं है, सवाल इस हाउस के एक माननीय सदस्य का है। जो मरण व्रत पर बैठे हुए है धीर पाल जी भी इस हाउस के सम्मानित सदस्य हैं। उनक मरण सत पर बैठाने का किसी का इशारा नहीं है। जब उन्होंने सारे प्रदेश में बाढ़ के कारण हुई तबाही को अपनी आंखों से देखा तो वे भावुक हो कर मरण व्रत पर बैठ गए। उन्होंने सोचा कि कल को इन लोगों का क्या होगा क्योंकि लोगों का सब कुछ तबाह हो गया। इन बातों को देखते हुए वह विवश हो कर मरण व्रत पर बैठ गए। आज उनको मरण व्रत पर बैठे आठवां दिन है। स्पीकर साहब उनका वेट घटता जा रहा है और आज उनकी स्थिति चिंताजनक है। स्पीकर साहब, आप हाउस के कस्टोडियन हैं अच्छा यह एम० एल० ए० है। वह हमारी बात मही मानता। सरकार उनको आश्वासन दे। (शोर) यदि सरकार आश्वासन नहीं देती तो आप हाउस के कस्टोडियन हैं, आपका वह मैम्बर है, एक मेम्बर की जान को खतरा है। आप अपनी तरफ से अपील कर दे। (शोर)

श्री अध्यक्ष: आप साइड ट्रैक न करें, सी० एम० साहब क्त जवाब देने दो।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, आप कह सकते हैं, आपकी बात वे मान सकते हैं। (शोर) याद कोई पोलिटिकस वाली बात होती तो हम फिर आपसे क्यों यह रिक्वेस्ट करते कि आप उनसे भूखहड़ताल से उठने की अपील करें? स्पीकर साहब, आप हाउस के कस्टोडियन हैं। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, लगता है कि मानबता हुई। समाप्त हो गई है। ये आपको कुछ सुझाव देंगे, आप उसको कानून मान लेगे। मेरी प्रार्थना है कि उनकी जान को खतरा है। आपके परिवार का वह सदस्य है उसकी जान खतरे में है। (शोर)

बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): यहां पर पानी को निकालने के बारे आश्वासन देने की बात है। बाकायदा गवर्नमेंट ने कुमिटमेंट की है कि हर कीमत पर साड़ी की फसल बूआएंगे। चौधरी सम्पत सिंह जी ने कहा कि वे भावना में बह गये थे, यदि इनको उनकी इतनी चिन्ता है तो सम्पत सिंह जी उनक उठा दें और खुद भूख हड़ताल पर बैठ जाएं। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, आनरेबल मिनिस्टर इस मसले को बहुत लाईटली ले रहे हैं। इनको इतना लाईटली ना ले। आज उनको भूखहड़ताल पर बैठे हुए 8वां दिन हो गया है।

उस आदमी न घूम घूम कर सारे हरियाणा को देखा और जब यह महसूस किया किं वाकई बाढ के कारण हालत बहुत खराब हैं तो वे इसी बात से परेशान होकर भूखहडताल पर बैठे हैं कि सरकार इन आदमियों की अधिक से अधिक सहायता करे। हम कोई पोलिटिकल बात यहां पर नहीं कह रहे। (शोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: मुख्य मन्त्री जी ने पानी निकालने का आश्वासन दे दिया प्रौ० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, आप पोलिटिकल पार्टीज से ऊपर हैं। जब आप इस सीट पर आ गए हैं तो आपका किसी पार्टी से कोई लशाव नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप उनसे अपील करें कि वे भूखहडताल पर से उठ जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या आप अपील कर चुके हैं सम्पत सिंह जी?

प्रौ० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, हम तो बार बार अपील कर चुके हैं। हमने तो भूख हडताल पर बैठने से पहले कहा था कि आप इतना बड़ा कड़ा कदम न उठाएं। लेकिन वे हमारी बात नहीं मान रहे। वे सारे हरियाणा प्रदेश के हित के लिए भूख हडताल पर बैठे हैं। आप अपील करें तो शायद व मान जाएं। आपका वह मैम्बर है, स्पीकर साहब, सरकार अपील नहीं करती तो आप कर्पास करें कि वे भूख हडताल से उठ जाएं। (शोर) हमारे एक मैम्बर की जान को खतरा है। आप आलि करें, इसमें आपकी प्रैसटीज का कोई सवाल नहीं है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ये रोहतक में चौधरी धीरपाल सिंह जी भूख हड़ताल पर बैठा बता रहे हैं। रात के 9 बजे ये अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत करवाते हैं। जब वह यहां पर है तो भूख हड़ताल पर कैसे है? (शोर) अध्यक्ष महोदय., ऐसा लगता है कि या तो ये दस्तखत फर्जी हैं या वे भूखहड़ताल पर नहीं हैं। (विधन एवं शोर)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये दस्तखत रोहतक जा कर करवा कर लाए हैं। (विधन एवं शोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हाउस को गुमराह किया है। चौधरी धीरपाल सिंह जी के दस्तखत जाली हैं, ऐसा प्रतीत होता है। (विधन एवं शोर)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, रोहतक जा कर उनसे दस्तखत करवाए गए हैं। ये इस बात को झूठ माने, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? (किन एवं शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, वे आमरण अनशन पर हैं, यह सही बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये तो हर बात को तौडू-मरोड कर कहने के आदी हो गए हैं। (विधन एवं शोर) यह एक मैम्बर की जिन्दगी का सवाल है।

श्री अध्यक्ष: यह कागज मेरे पास है। इस पर चौधरी धीरपाल जी के दस्तखत सीरियल नं० 3 पर हैं। आम तौर पर जब

कहीं दस्तखत होते हैं तो जो लोग बैठे होते मैं, वे सीरियलवाइज दस्तखत करते हैं। उस लिहाज से उनके दस्तखत या तो पहले नम्बर पर करवाए जाने चाहिए या लास्ट में होते। (विघ्न एवं शोर)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मेरा प्यायंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी का बात करते हुए अपना स्थान आपकी तरफ न जा कर, कहीं और चला जाता है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्यायंट आफ आर्डर नहीं है, आप बैठें। (विघ्न एवं शोर) पहले आप बैठिये (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मन्त्री जी ने ओपन आफर की है कि धीरपाल सिंह जी के ये दस्तखत जाली हैं। आप चा हें तो इस था में इन्कवायरी करवा लें, सारे फ़ैक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। स्पीकर सर, ये चौलेन्जबाजी की बात नहीं है। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि ऐसा लगता है कि या तो ये दस्तखत फर्जी हैं या वे भूखहड़ताल पर नहीं हैं। चौधरी धीरपाल जी के दस्तखत लिस्ट में या तो पहले नम्बर पर होने चाहिए थे या फिर सब से लास्ट में होने चाहिए थे। (विघ्न एवं शोर)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि उनके दस्तखत तीन नम्बर पर क्यों नहीं हो सकते हैं। स्पीकर सर, नम्बरिंग के हिसाब से नम्बर एक पर चौधरी ओम प्रकाश

चौटाला जी के दस्त-खत हैं, नं० 2 पर मेरे दस्तखत हैं और नम्बर तीन पर चौधरी धीर-पाल सिंह जी के दस्त-खत हैं जो रोहतक जा करवाए गए हैं। इसके बाद बाकी मैम्बरज के दस्त-खत हैं, इसमें क्या दिक्कत आ गई है? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: हम कब कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता?
(विघ्न)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी जो कहते हैं, उस पर हमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि इनकी तो यह आदत है लेकिन (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको यह दिखाया है कि सीरियल नं० 3 पर चौधरी धीरपाल सिंह जी के दस्त-खत हैं। दस्तखत कनविन्स करवाने के लिए करवाए जाते हैं। वैसे मेरा यह अन्दाजा है कि या तो उनसे दस्तखत पहले करवाए जाते या लास्ट में होते, लेकिन बीच में दस्तखत होने का मतलब यही है।

Prof. Sampt Singh : * • • * * *

*

श्री अध्यक्ष: आपका क्या मतलब है? It is not politics
(Interruptions)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आप जज हैं, अन्प आबजैक्शन नही कर सकते हैं। आप जज हैं इसलिए आप फ़ैसला कर सकते हैं। (विघ्न एवं शोर)

13.00 बजे

श्री अध्यक्ष: आपके कहने से कुछ नहीं होगा। (शोर एच व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह: यह पोलिटिक्स नहीं चलेगी। (शोर एक व्यवधान)

(इस समय बहुत से मैम्बर बोलने के गिरा खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष: इसमें जो दस्तखत हैं, इन में श्री धीरपाल जी के दस्तखत तीसरे नम्बर पर हैं।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह कंटम्पट आफ स्पीकर है, इनको इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह: आप क्या कार्यवाही करना चाहते हैं? आप जो कार्यवाही करना चाहते हैं, कर लें।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हम गैर कानूनी तरीके से इस हाउस का नहीं चला देंगे। आप जो कार्यवाही करना चाहते हैं, आप करें। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल:अध्यक्ष महोदय, ये जो इन्होंने फर्जी साइन किये हैं.... (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, ये कोई फर्जी साईन नहीं हैं और न ही ये हमें सीधे बोल सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपने जो मंशा व्यक्त की है, वह आपको वापस लेनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ये जिस तरह से जोर-जोर से बोल रहे हैं, क्या इस तरह बोलने से काम चलेगा? (शोर एवं व्यवधान) यह इन का बोलने का ठीक तरीका नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह जो इन्होंने दस्तखत वाली बात कही है कि उसके दस्तखत नहीं है, यह एक मैम्बर की इन्सल्ट है।

श्री अध्यक्ष: मैंने यह नहीं कहा कि ये दस्तखत उनके नहीं हैं इस बारे में तो दस्तखत मिलाने से ही पता चलेगा। लेकिन सवाल तो यह है कि उनके तीसरे नम्बर पर दस्तखत कैसे हैं? आम तौर पर ऐसा होता है कि जो आदमी हाजिर नहीं होता, उसके दस्त-खत या तो शुरू में होते हैं या आखिर में होते हैं और इसके अलावा इस कर 27 तारीख पड़ी हुई है। हो सकता है आप वहां पर जाकर करवा लाए हों लेकिन दस्तखत के लिए क्या कोई व्यक्ति बीच में जगह छोड़ता है?

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमने बीच में जगह नहीं छोड़ी है।

चौधरी जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं और आप भी इनको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, यह ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगर ये हाजिर होते तो अलग बात होती, लेकिन जिस तरीके से यह दस्तखत हुए हैं तो आप यह बताए कि इसमें फर्क क्या, पड़ गया?

चौधरी जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायट आफ आर्डर है। इनका जो बोलने का रवैया है और जो ये हालात पैदा कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। जिस तरीके से ये बात कह रहे हैं, हम उसके कंडम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, धीरपाल जी भी भूखहड़ताल पर बैठे हैं और यहां पर उनके दस्तखत तीसरे नम्बर पर है। इससे शंका पैदा होती है। दूसरे ये जिस तप से स्पीकर साहब आपसे बात कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नेहरा साहब, आप बैठिए। (विधन) मैं आपसे यह पूछ रहा हू कि इससे आपका क्या मतलब है? यह नो कॉन्फीडेंस मोशन तो एडमिट हो क्या है, अब इससे आपका क्या ताल्लुक है? (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह: सर, आपको मैं बताना चाहता हूँ

डा० राम प्रकाश: स्पीकर सर, फेरा प्यायंट आफ आर्डर है। (शोर)

श्री अध्यक्ष: आपसे कौन पूछ रहा है? आपको बोलने की इजाजत नहीं है, आप बैठिए।

डा० राम प्रकाश: स्पीकर सर, मेरा प्यायंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष: जो भी रामप्रकाश जी बोल रहे हैं, उसको रिकार्ड न किया जाए। (शोर)

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, 17 मैम्बर यह हैं और चार दूसरे हैं। इसलिए उनके बिना तो 21 मैम्बर हो ही नहीं सकते। (शोर)

डा० राम प्रकाश:

श्री अध्यक्ष: इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए। इनकी तो बार बार खड़े होकर बोलने की आदत है। ये, बगैर इजाजत के ही खड़े हो जाते हैं। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंह: सर आपने मुझसे ख्याल पूछा है और मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ बोलूँ। मेरा तो सर, सर कहकर गला सूख गया है। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मेरा भी प्यायंट आफ आर्डर है। मेरा एक सुझाव है और मुख्य मन्त्री जी से तथा सारे हाउस से एक प्रार्थना भी है कि धीरपाल जी शरीफ आदमी हैं, उनके चार-चार लड़कियां हैं और वे अभी अनमैरिड हैं, इसलिए

उनकी जगह पर अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और सम्पत सिंह हड़ताल पर बैठ जाएं तो ज्यादा अच्छा है। मेरी इनसे प्रार्थना है कि ये उनको उठा दे और खुद वहां जाकर बैठ जाएं।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: इनका सुझाव तो ठीक है कि हमने बच्चे पालने हैं लेकिन बहिन चन्द्रावती तो इस मामले से बरी हैं। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, आपने मुझसे कहा कि इस बात का आपको क्या ऐतराज है। मैं अपना ऐतराज रजिस्टर्ड इसलिए करवाना चाहता हूँ क्यों कि आपने डा० साहब की बातों को तो रिकार्ड से निकलवा दिया। मेरा ऐतराज यह है कि मुख्य मंत्री जी को यह कैसे पता लगा कि धीरपाल सिंह के ये दस्तखत हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि हाउस की कार्यवाही भी काफ़ीडेंशिएस नहीं है और आपके सैक्रेटेरिएट की कांफ़ोडेंशिएल बातें भी इन तक पहुंचती हैं। इसका मतलब तो यही है कि सैक्रेटेरिएट की इन्होंने सी० आई० डी० से धिरवा रखा है, इसलिए इस बात को जितना कंडैम किया जाए, थोड़ा है। सर, यह आज की ही बात नहीं है, जब से ओमप्रकाश चौटाला जी हाउस में आए हैं, उसके बाद से हर मोशन पर धीरपाल जी नं० तीन पर ही साईन करते हैं लेकिन जब चौटाला साहब हाउस में नहीं थे, तब वे नं० 2 पर साईन किया करते थे। आप हमारे पिछले किसी भी मोशन का रिकार्ड उठाकर देख लें। हर मोशन पर उनके नं० तीन पर ही साईन मिलेगे। हमने इस बारे में अपना एक डैकोरम बना

रखा है इसलिए स्पीकर सर, जो शंका सरकारे व्यक्त कर रही है, वह करे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। इनको तो पोलिटिक्स खेलनी है तो खेलें, हमें कोई ऐतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष: सम्पत सिंह जी, मैं तो भ्रम में नहीं पड़ा। यह सारा मामला देखकर ही तो हमने ऐडमिट किया था। अब आप क्या कहना चाहते हैं? यह तो प्वाइंट ही नहीं था, प्वायंट तो आपका दूसरा था। (शोर एवं व्यवधान) आपकी बात अब हो ली है।

प्रो० सम्पत सिंह: नहीं हुई सर।

श्री अध्यक्ष: कैसे नहीं हुई? (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी जगदीश नेहरा: स्पीकर सर, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नेहरा साहब, आप बैठ जाइए। सम्पत सिंह जी आप कुछ कहना चाहते हैं?

प्रो० सम्पत सिंह: सर, मैंने अपना प्वाइंट आफ आर्डर अभी ककलुड नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष: आपका ऐम क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं?

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि मुख्य मंत्री तथा अन्य ट्रैजरी बेंचिज के सदस्यों का यह कहना है

कि हस्ताक्षर का कम इस प्रकार होना चाहिए था आदि आदि। होना यह चाहिए था कि जैसे उन्होंने अपनी राय दी थी, इसका मतलब यह है कि इसलिए मेरा कहना यह है कि आप

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से एक-एक, डेढ़ डेढ़ घंटे तक ये हाउस की प्रोसीडिंग को स्टाल कर रहे हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़हा है कि आपके खिलाफ बड़े नावाजिब ढंग की भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं, चौट करते हैं, धमकियां देते हैं, बेइज्जती करते हैं, यह हाइली कंडमनेबल है। यही अकेली पार्टी नहीं है। यहां दूसरी, रूलिंग पार्टी भी है, विकास पार्टी भी है, बी ० जे० पी ० भी है, तिवाड़ी के लोग भी बैठे हैं।

एक आवाज: यह पार्टियां तो आपसे मिली हुई है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: आप इनको कह रहे हैं कि ये मिले हुए हैं। कितनी इरिलेवैट बात करते हो। आपको आनी चाहिए। विपक्ष के लोगों को कहते हो कि ये मिले हुए हैं, यह बात अनटौरेबल है। सीकर सर, मैं चाहता हूं कि इनको रोल जाना चाहिए। आगे से इनका कोई इन्तजाम होना चाहिए ताकि इस तरह की लैंग्वेज ये इस्तेमाल न करें। (शोर एवं व्यवधान)

अध्यक्ष द्वारा निरूपण—

सदन में मर्यादा बनाये रखने सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon'ble members, we all here are to serve our masters, the electorates. They are very closely watching our conduct and deliberations. I owe it to the House that the discussions are held in a free and frank manner and are not interrupted on trivial and irrelevant grounds. This I wish to ensure to the best of my ability and I am open for suggestions from senior Legislators and even from others to ensure the achievement of this object but I do expect the members should also observe the high standard of conduct which helps to maintain the highest traditions of this House, and raise its dignity. I, therefore, appeal especially to the Leaders of all the parties and various groups in this House that they should ensure that our deliberations are conducted in accordance with the spirits of the rule and members of their parties or groups to maintain decorum; decency and discipline in the House.

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष: अब चीफ मिनिस्टर साहब अपना जवाब पूरा करें।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर सर, 5-7 मिनट में मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: स्पीकर सर, हम चेयर की ओर अबकी पूरी रिसपेक्ट करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस आरे बखेडे में आप से जो बात की गई थी उस पर गौर करें। आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं। इस हाउस का एक सम्मानित सदस्य

हरियाणा प्रदेश के लोगो के इन्ट्रैस्ट के लिए मरण व्रत पर बैठा है। हम आपसे कह रहे हैं कि जब सरकार की तरफ मे आश्वासन दिया जा रहा है कि 31 अक्तूबर तक सारे हरियाणा प्रदेश का पानी निकाल दिया जाएगा तो फिर आप उनसे स्वयं अपने तौर पर, हाउस की तरफ से अपील करके उसके प्राण बचाएं। असल बात यह थी, इस बात को बीच में रखकर, ये और कुछ ले आए। जो असल बात थी, जिस पर आपने फैसला देना था अध्यक्ष महोदय, उसी के बारे में मैं केवल आप से अनुरोध कर रहा हूं, आपको हमारी यह बात सुननी भी चाहिये और अपना फैसला देना भी चाहिये। क्या आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप अपने डस हाउस के एक सम्मानित सदस्य के प्राण बचाए जोकि मरण वह पर बैठे हुए हैं? क्या यह जिम्मेवारी आपकी नहीं बनती आप इस भात का निर्णय लें। (शोर)

श्री अध्यक्ष: ओम प्रकाश जी, क्या आप समझ रहे हैं कि यह जो कार्यवाही हाउस में हो रही है, क्या यह अखबारों में रिपोर्ट नहीं की जाएगी? क्या वह माननीय सदस्य जो मरणव्रत पर बैठे हैं, या वे अखबारों को नहीं देखेंगे? क्या वे इन अखबारों को नहीं पढ़ेंगे। उनका और काम क्या है सिवाये अखबार पढ़ने के?

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, क्या हम अखबारों को ही आधार मानकर चलेंगे? हम हाउस में बैठे हैं और विधान उमा इन-सैशन है। वे माननीय सदस्य हरियाणा के किसी खास काज के लिये मरणव्रत पर बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप

हाउस के कस्टोडियन हैं और इसलिए आपकी यह जिम्मेवारी बनते, हैं कि आप इस हाउस के सभी माननीय सदस्यों को प्रोटेक्शन दें। इस हाउस के एक सम्मानित सदस्य के प्राण खतरे में हैं, उसकी जान मचाने की जिम्मेवारी इस हाउस के साथ साथ आपकी भी बनती है। हमारी अखबारों की सस्ती पब्लिसिटी से कोई सम्बन्ध नहीं है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो सम्मानित सदस्य अपने प्राणों को त्याग कर हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए मरणव्रत पर बैठे हैं, उनके प्राणों की रक्षा की जाए।

वाक आऊट

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, पूरा हाउस कि सी बात के लिये ये ऐग्री करता हो, तब तो बात भी है लेकिन हम इस बात को ऐग्री नहीं करते कि हाउस की तरफ से मरणव्रत छुड़वाने के लिये अपील की जाये।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब है कि इनका विश्वास झूठा है (शोर) यह सरकार किसी का कुछ भला नहीं करना चाहती। यह सरकार रबी की फसल बुवाना नहीं चाहती। रबी की फसल बुवाने में इस सरकार की कोई दिलचस्पी हो नहीं है। (शोर) अध्यक्ष महोदय, चीफ मिनिस्टर ने जो कहा हं, हम इसके विरोध में सदन से वाक आऊट करते हैं। (इस समय जनता पार्टी के उपस्थित सभी सदस्य सदन से वाक-आउट कर गये)

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, अब मैं नहरों की कैपेसिटी पूरी करने के सम्बन्ध में बताना चाहता हूँ। चाहे जूई कैनाल हो, लोहारू कैनाल हो सभी नहरों की सउ ई करवाई जाएगी और उनमें कंपैसिटी के अनुसार पानी छोड़ा जाएगा। जहाँ तक गांव में पानी खड़ा रहने का सवाल है, उस बारे में, मैं कहना चाहता हूँ कि 31 अक्तूबर तक नीचे की जगहों का पानी छोड़कर सारा पानी निकाल दिया जाएगा।

इससे आगे चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी, धर्मपाल, श्री राम बिलास शर्मा, चौधरी लहरी सिंह, कैप्टन अजय सिंह, मास्टर अजमतखां, श्री कटियाल, श्री सूरजभान, श्री लछमन दास अरोड़ा, श्री वीरेन्द्र सिंह जी और बहुत सारे अन्य माननीय सदस्यों ने जो अपने-अपने सुझाव दिये हैं, यह हमने नोट कर लिये हैं। इसी तरह से करतार देवी जी ने, जिले सिंह जी ने, पीर चन्द जी ने और जय पाल सिंह जी ने अपने विचार रखे। जितने भी महानुभावों ने अपने-अपने सुझाव रखे हैं, हम उन सारी बातों का निवारण करेंगे और 31 अक्तूबर तक पानी निकाल पर सारे प्रदेश में किसानों की फसलें बचाएंगे। हम एक ही बात कहते हैं कि इन बातों में बहुत वजन है। अगर इनकी कोई बात रह गई हो तो उसे हमारे पास लिख कर भेज दें, हम उस पर कार्यवाही करके इनके बता देंगे।

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, हैल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि हमने गांवों में दवाइयां भेजने के लिए दो हजार टीमों बना रखी हैं। अगर दो हजार टीमों का रखी है तो एक एक टीम तो रोजाना हर गांव में जा सकती है, लेकिन बहुत सी जगहों पर ये टीमों नहीं पहुंची हैं, इसलिए दवाई पहुंचाने का प्रबन्ध आप जरूर करें।

चौधरी भजन लाल: हमने टीमों भी बना दी हैं और हमें जितनी दवाई चाहिए, उतनी पहुंची है। फिर भी हम चौक कर लेंगे कि जहां कहीं दवाई नहीं गई है, वहां कल तक भेज देंगे।

चौधरी बंसी लाल: आप ब्लीचिंग पाउडर और कलोरीम पहुंचाने का भी इन्तजाम करें। दूसरी बात यह है कि लौहारू कैनल में ओवर फ्लो हो रहा है। उसमें उतना ही पानी छोड़ा जाए कितना पम्प उठा सकें वरना यह नहर भी टूट जाएगी।

चौधरी भजन लाल: इस बारे में भी हम कोशिश करेंगे।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां बिजली बहाल नहीं हुई है। आज बारिश बन्द हुए 24 दिन हो गए हैं, लेकिन कुछ गांव अब भी ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। उनमें बिजली अब तक भी नहीं गई है, लोगों को बिजली के बगैर बड़ी परेशानी है। दूसरी बात यह है कि जहां जहां पानी उतर नग है, वहां घरों की आबादी के साथ लगती

बस्तियों में दवाई का छिड़काव अभी तक नहीं हुआ। ये दोनों चीजे बहुत जरूरी हैं।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिजली के बारे में चिन्तित हैं। जड़ बाढ़ आ जाती है तो पावर हाउसिज में पानी भर जाता है। आपको पग है जैसे लुक ओर पानी का मेल नहीं है, इसी तरह से बिजली और पानी का भी मेल नहीं है। पानी आने से वहां पर करन्ट आ जाता है। यहां तक कि बिजली के पोज में भी करन्ट आ जाता है। हमारे बिजली बोर्ड ने बहुत तेजी से काम किया है और लगभग सारी स्टेट में बिजली चालू कर दी है। टोटल 235 के करीब ऐसे गांव हैं जहां अभी तक वाटर सप्लाई स्कीमों की सफाई न होने की वजह से बिजली नहीं दी गई है। मैं बनाना चाहता हूं कि दो दिन के अन्दर अन्दर सभी जगहों पर बिजली चालू हो जाएगी।

चौधरी बंसी लाल: कई जगहों पर जहां दो दो कुट गाद अभी भी पड़ी है, उसको कब तक निकाल देंगे?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जो गाद जम गई है, उसके लिए हमने एक एक शहर में बीस बीस ट्रैक्टर लगाए हुए हैं। उन ट्रैक्टरों में गाद डाल कर लोग बाहर फैंक रहे हैं। यह काम रोहतक, भिवानी, दादरी तथा बरवा ला में हो रहा है। हम चाहते हैं कि प्रदेश में कितनी प्रकार की बीमारी न फैले, लेकिन यह

बडी आपदा है, इसलिए सरकार को सभी महानुभावों का सहयोग चाहिए, अकेली सरकार भी कुछ नहीं कर सकती।

चौधरी बंसी लाल: जो बाढ़ का पानी लोगों के घरों में खड़ा था, जब वह पानी निकल जाएगा तो लोग अपने घरों में चले जाएंगे। मगर आप लोगों के अपने-अपने घरों में जाने से पहले दवाई का छिड़काव नहीं कराएंगे तो बीमारी फैलेगी और लोग बीमार होंगे। इतना पैसा दवाई छिड़कने पर खर्च नहीं होगा जितना बीमारी को रोकने पर खर्च होगा। इसलिए आप लोगों के घरों में जाने से पहले दवाई का छिड़काव कराएं।

चौधरी भजन लाल: दवाईयों का छिड़काव शुरू कर दिया है और सभी गली-मोहल्लों में छिड़काव कराया जाएगा। जहां जहां खड़े पानी में बदबू हो गई और मच्छर पैदा हो गए, वहां पर दवाईयों का छिड़काव जरूर कराया जाएगा। प्रदेश में बाढ़ की लाटूर इसीडेंट से भी ज्यादा भयंकर स्थिति है।

चौधरी बंसी लाल: जिन जिन गांवों में बाढ़ का पानी आया है, उन में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए आप उन गांवों में पीने के पानी के टैंकर भिजवाए क्योंकि आपकी वाटर सप्लाई स्कीम ठीक काम नहीं कर रही हैं और उनमें पानी ठीक नहीं है।

चौधरी भजन लाल: जहां जहां वाटर सप्लाई स्कीम ठीक काम नहीं कर रही, वहां पर हम पीने के पानी के टैंकर भिजवा रहे हैं।

चौधरी बंसी लाल: जितने टैंकर आप भिजवा रहे हैं, वे सफ़ीशिएंट नहीं हैं।

चौधरी भजन लाल: पूरे कर देंगे और जहां जहां पर जरूरत है, वहां पर भिजवा रहे हैं।

प्रो० राम बिलास शर्मा: स्पीकर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये यमुना नदी के सरप्लस पानी को दोहान नदी में डाल सकते हैं। आज सभी स्थूल बाढ़ के पानी के कारण बंद पड़े हैं। उनको आप कैसे चालू कराएँ?

चौधरी भजन लाल: सब को चालू कराएंगे।

वर्ष 1989-90 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the discussion and voting on the Excess Demands over Grants and Appropriations for the year 1989-90 will take place. As per the past practice, in order to save the time of the House, the demands over grants on the order papers will be deemed to have been read and moved. The Hon'ble Members can discuss any demand but they are- requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 19,74,69,624 be made to regularize the centers already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1989-90 in respect of Finance.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 77,17,820 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1989-90 in respect - of Other Administrative Services.

That a grant of sum not exceeding Rs. 7,00,90,342 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1989-90 in respect of Buildings and Roads.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 4,20,836 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1989-90 in respect of Urban Development.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 4,67,37,694 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by Legislative Assembly for the year 1989-90 in respect .of Irrigation.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,38,25,681 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1989-90 in respect of Transport.

(No member rose to speak.)

Mr. Speaker : Now, I shall put be various demands

to the vote of the House.

Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs. 19,74,69,64 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1989-90 in respect of Finance.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 77,17,820 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the Year 1989-90 in respect of Other Administrative Services.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 7,00,90,342 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1989-90 in respect of Buildings and Roads.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 4,20,836 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1989-90 respect of Urban Development.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 4,67,37,694 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by Leg is latve Assembly for the year 1989-

90- in respect of Irrigation.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs, 1,38,25,681 be meet to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 19 89-9 0 in respect of Transport.

The motion was carried.

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: अगर सदन चाहे तो हाउस का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाये ।

आवाजे: ठीक है जी एक घंटा बढ़ा दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष: हाउस का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है ।

बिलज—

1. दि हरियाणा पंचायती राज (अमैडमैट) बिल, 1995

Mr. Speaker : Now, the Development and Panchayats Minister will introduce the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill. 1995 and also move the motion for its consideration.

Development and Panchayats Minister (Rao Bansi

Singh) : Sir, I beg to introduce the. Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 1995.

Sir, I also move—

That the Haryana Panchayati Raj (Amendment)
Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : moved-

That the Haryana Panchayati Raj. (Amendment) Bill
be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That, the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill
be taken into
consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill
clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was earned.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula
of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Development and

Panchayats Minister will move that the Bill be passed.

Development and Panchayats Minister (Rao Bansi Singh) : Sir, I be to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed .

The motion was carried.

वाक आऊट

प्रो० छत्तर पाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं इस बिल पर

श्री अध्यक्ष: नो, अब आप नहीं बोल सकते क्योंकि मिल पास हो चुका है। आपको पहले बोलना चाहिए था।

प्रो० छत्तर पाल सिंह: अगर आप मुझे टाइम नहीं देंगे तो मैं एज ए प्रोटैस्ट वाक—आउट करता हूँ।

(इस समय प्रो० छत्तर पाल सिंह सदन से वाक—आऊट कर गये)

बिल्ज (पुनरारम्भ)

2. दि पंजाब विलेज जोमन लैण्डज (रेगुलेशन) हरियाणा
अमैंडमैंट बिल, 1995

Mr. Speaker : Now, the Development and Panchayats Minister will introduce the Punjab Village Common Lands (Regulations) Haryana Amendment Bill, 1995 and move the motion for its consideration.

Development & Panchayats Minister (Rao Bansi Singh) : Sir, I beg to introduce the Punjab Village Common Lands (Regulations) Haryana Amendment Bill, 1995.

Sir, I also move—

That the Punjab Village Common Land s (Regulations) Haryana Amendment Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Village Common Lands (Regulations) Haryana Amendment Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Village Common Land s (Regulations) Haryana Amendment Bill. be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question -

That Clause 1 stand part of the Bill

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula
of the

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Mr: Speaker : Now, the Minister for Development &
Panchayats will move that the Bill be passed.

Development & Paachayats. Minister (Rao Bansi
Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried

3. दि पंजाब टाऊन इम्प्रूवमेंट (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, 1995

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Local Government will introduce the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) Bill, 1995 and also move the motion for its consideration.

Minister of State for Local Government (Shri Dharambir Gauba) : Sir, I introduce the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) Bill, 1995.

Sir, I also move that-

The Punjab Town & Improvement (Haryana Amendment) Bill, be taken in to consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Town Improverment (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Local Government will move that the Bill be passed.

Minister of State for Local Government (Shri Dharambir Gauba): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

4. दि हरियाणा स्कूल एजुकेशन बिल, 1995

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will introduce the Haryana School Education Bill, 1995 and also move the motion for its consideration.

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) :
Sir, I introduce the Haryana School Education Bill, 1995.

Sir, **I** also move -

That the Haryana School Education Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Schooled Education Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is-

That the Haryana School Education Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will take up the Bill clause by clause.

Sub-clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-clause (-) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-clause (3) of clause 1

That Sub-clause (3) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 25

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 25 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub -clause 1 of clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Shri Phool Chand Mulana) :
Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री जिले सिंह जाखड़ (साल्हावास): अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा के सरकारी स्कूलों के अन्दर एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो गया है कि आज बच्चे सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकारी स्कूलों के अन्दर गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को सस्ती और अच्छी एजुकेशन दी जा सकती है। प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन बहुत कोस्टली है। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के जाने का कारण यही है कि सरकारी टीचरों की एजुकेशन के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं है। स्कूलों में हैडमास्टर वगैरा नहीं हैं, और न ही कहीं पर कोई इन्सपेक्शन किया जाता है। रिजल्ट्स के बारे में किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। स्पीकर सर, प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को अच्छी प्रकार से एजुकेशन दी जाए। आज विचार करने की बात यह है कि जिन स्कूलों का ढांचा बिगड़ चुका है, उनको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है? सरकारी स्कूलों में प्राइमरी लैवल पर नाममात्र की भी एजुकेशन नहीं दी जाती, परिणामस्वरूप पांचवी कक्षा तक बच्चों

को कोई ज्ञान ही नहीं होता। सरकारी स्कूलों में छठी कक्षा से अंग्रेजी की ए, बी, सी, सिखानी शुरू की जाती है। आज यह चिन्ता का विषय है कि हमारी शिक्षा क्त स्तर प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में बहुत गिर गया है। इसका एक मुख्य कारण तो यह है कि आज डी ० ई० ओ० वगैरा अधिकारी कोई इन्सपैक्शन नहीं करते और न ही स्कूलों में कोई टैस्ट वगैज ही होता है। इसलिए मेरा सरकार से सुझाव है कि सरकारी स्कूलों, प्राइवेट, स्कूलों और दूसरे स्कूलों में रूल्ज और रैगुलेशज अच्छे होने चाहिए और सलेबस को जौब-आरियेटिंड बनाएं। आज जो हमारी ऐजुकेशन है, उसमे इंडि पैंडेस के वक्त के शहीदों श्री भगत सिंह वगैरह के बारे में भी नहीं पढ़ाया जाता। अध्यक्ष महोदय, कोई भी स्कूल हो, उसमें शहीदों के करे में रीलिजन के बारे में, पढ़ाया जाना चाहिए ताकि हमारे बच्चों के मन में देश के प्रति अच्छी भावनाएं पैदा हों और धर्म के प्रति आस्था बने। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि चाहे सलेबस सी ० बी ० एस० सी ० का हो, गवर्नमेंट स्कूलों का हो या प्राइवेट स्कूलों का हो, वह एक सा होना चाहिए और उनमें राष्ट्रीयता के बारे में पढ़ाना चाहिए। दूसरे, आज स्कूलों में ऐजुकेशन का स्तर गिरता ही जा रहा है। आज हर टीचर की अपनी अपरोच हो गई है। वह अपनी बदली किसी अच्छे स्कूल में करवा लेता है। आज कई टीचर्ज तो पढ़ाने के मामले में निल हैं। मैं आपको बताऊं किं नाल गांव के अन्दर एक हैडमास्टर कीं बदली हुई है। वहां पर गांव के लोगों ने यानी 22 अध्यापकों ने हड़ताल में की कि इसको यहां पर न लगाएं। यह हैड मास्टर

बच्चों से पैसा मंगवाता है। यह स्कूल का फंड भी खा गया है लेकिन फिर भी उसको वहां पर लगा दिया। इस वजह से आज ऐजुकेशन का स्तर गिरता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो वहां पर एस० डी० ओ० लगे हैं, इनको स्कूलों का दौरा करता चाहिए, बच्चों के टैस्ट लेने चाहिए और हर सब्जेक्ट-वाइज टैस्ट होने चाहिए। उनका जो रिजल्ट निकले, उसे डी० ई० ओ० के पास भेजना चाहिए और रिजल्ट के हिसाब से ही टीचर्स की इन्क्रीमेंट और परमोशन देनी चाहिए। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज जो व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको कोई पूछता ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर शिक्षा में आपको सुधार करना है तो आज हमारे सरकारी स्कूल हैं, उनमें टाइम फिक्स करें कि इतने बजे स्कूल लगेगा और इतने बजे छुट्टी होगी। सरकारी स्कूलों में आधे बच्चे जा रहे हैं आधे नहीं जा रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यह क्या तरीका है? इनको सब जगह पर एक ही सिस्टम कर देना चाहिए। किसी स्कूल में छुट्टी हो ओर किदो में पढ़ाई हो, इस सारे सिस्टम को एक कर देना चाहिए। सब जगहों पर कहीं तो स्कूल लग रहा है कहीं नहीं लग रहा है। कोई बच्चा स्कूल आ रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है। इस तरह से शिक्षा का स्तर नहीं गिरेगा तो और क्या होगा? सरकार बड़े जोरशोर से दावा करती है कि उसने स्कूलों में कौपिंग बंद करा दी है लेकिन

वास्तव में कौपिंग बंद नहीं हुई है। कौपिंग केवल वहीं— बंद हुई है जहां पोलिटिकल आदमी इंटरफियर नहीं कर रहे हैं लेकिन जहां पर पोलिटिकल आदमियों का दखल है वहां पर कौपिंग हुई है। ऐसे स्कूलों में खूब नकल हुई है। प्राइवेट स्कूलों में तो लोगों ने अपने बच्चों को अलग से परीक्षा में बिठाया है और उनको सैट परसैट नम्बर दिए हैं। अगर ऐसा ही चलता का तो शिक्षा के स्तर में सुधार कभी नहीं होगा। सरकार ने पिछली बार कहा था कि हम समो वैकेन्ट पोस्टों को भर देंगे। कल भी एक सवाल के जवाब में यह बात आई थी कि फरीदाबाद और रोहतक में काफी पोस्टें टीचर्स की खाली थी। अगर सरकार लिखा का स्तर वाकई में बताना चाहती है तो रेशो के हिसाब से टीचर्स स्कूलों में भेजे जाने चाहिए। लेकिन आज यह नहीं हो रहा है। आज किसी को इसकी चिन्ता नहीं है। शहरों— में या शहरों के साथ लगते स्कूलों में तो पांच पांच टीचर्स कई जगह आठ आठ टीचर्स लगे हुए हैं लेकिन देहात के स्कूलों में जहां तीन तीन टीचर्स होने चाहिए वहां केवल एक एक ही टीचर है,। वहां पर टीचर ज्यादा होने चाहिए। इसलिए हें कहना चाहूंगा कि जिन स्कूलों में टीचर्स की वैकेन्ट पोस्टें हैं, वहां सरकार कड़े तुरंत ये पोस्टें फिलअप करनी चाहिए ताकि बच्चों की शिक्षा का सुधार हो सके। अगर सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन बिगडता ही जाएगा। इस बिल की क्लोज 22 में यह लिखा है कि ज्यूरिसडिक्शन आफ सिविल कोर्टस बार्ड। यह क्लोज नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय एक तरफ तो सरकार स्कूलों को मान्यता

देती है, ऐड देती है और दूसरी तरफ इन्होंने इस बिल में यह लिख दिवा कि उन स्कूल के ऊपर डी ० पी० आई० या सरकार का पूछ हक होगा और उन स्कूलों से संबंधित कोई भी केस कोर्ट में नहीं जा सकेगा। मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इन स्कूलों का कोई चपरासी या दूसरा कोई इम्पलाई या किसी ऐडमिनिस्ट्रेशन के किसी आदमी को कोई दिक्कत है, तो उसे कोर्ट में जाना ही चाहिए। आपने यह क्यों कर दिया कि वह कोर्ट में नहीं जा सकता? इसलिए मेरा यही कहना है कि सरकार इसमें सुधार करे और इस बिल की यह क्लॉज खत्म करे। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो गवर्नमेंट ऐडिड स्कूल्स हैं, उनमें मुख्य मंत्री जी ने कडीशन लगायी है कि अगर कोई स्कूल इंसपैक्शन के दौरान खरा नहीं उतरा तो उसकी ऐड रोक देंगे। यह ठीक है लेकिन अगर मैनेजमेंट ही फेल हो गया तो फिर बच्चों का क्या होगा? जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उनके स्कूल बंद कर दिए गए तो उसका असर बच्चों पर पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि स्कूलों को बंद करने के बजाए मैनेजमेंट को ही चेंज करिए और जो बिल के अंदर प्रावधान किया है, उसको थोड़ा-सा बदलिए। अगर शिक्षा मंत्री जी इन सुझावों का नोटिस लेते हुए बिल में थोड़ी तरमीम कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

प्रो० राम बिलास शर्मा (महेन्द्रगढ़): स्पीकर सर, शिक्षा मन्त्री जी हरियाणा स्कूल ऐजुकेशन बिल, 1995 सदन में लेकर

आये हैं, यह अच्छा किया है। इन्होंने कहा कि शिक्षा के स्तर को हम हरियाणा के अन्दर मेनटेन करना चाहते हैं, रउको ऐस्टैबलिश करना चाहते हैं। कई प्रयास मुलाना साहब ने नकल रोकने के लिये जरूर किये हैं, पर कितना वे इस क्षेत्र में कामयाब हुए हैं, यह पुछ नहीं कहा जा सकता। नकल को रोकने का सरकार की ओर से कारगर प्रयास जरूर रहा है ताकि शिक्षा का स्तर हरियाणा के अन्दर ऊपर उठ सके लेकिन न सरकार इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई है। सरकार के सरकारी विद्यालय में छात्राओं की जो सख्यां है, बह प्राईवेट या दूसरी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों की निस्वत बहुत ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों की बारीकी आप से ज्यादा कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि आप स्वयं शिक्षा क्षेत्र से काफी समय तक सम्बन्धित रहै हैं। सारा जीवन किसानों से धन मांग मांग कर आपने स्कूल खडे किये हैं, कालेज खडे किये हैं। हर देश की शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि इससे पूरी पीढ़ी प्रशिक्षण लेती है। एक पूरी पीढ़ी संस्कार लेती है लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि हम शिक्षा को एक महत्वपूर्ण चीज मानते हुए भी उसके स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करते। दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने सारी दुनिया में शिक्षा के सेव में नाम कमाया है, विकास के क्षेत्र में अपना स्थान बनाया है। वह इसलिये कि वहां पर शिक्षा पर बहुत सारा बजट खर्च किया जाता है क्योंकि शिक्षा—विभाग दूसरे विभागों की निस्वत सब से महत्वपूर्ण माना जाता है। कई देशों में ऐसा है कि स्कूल जाने वाले बच्चों का जो समय होता है, उस

वक्त ट्रेफिक वगैरह रुक जाता है। सब से पहले तो बच्चों को जाने की सुविधा दी जाती है। इन्होंने प्राईवेट स्कूलों को ऐसटैबलिशमेंट, रिकागनीशन आफ मैनेजमेंट एण्ड ऐड टू दा स्कूलज के बारे में काफी अलैबी रेटिडली इस बिल में प्रोवीजन रखा है। इसके इलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने रिकगनीशन के लिये यह कहा कि इतना प्ले ग्रांउड होना चाहिये, तब स्कूल को मान्यता मिलेगी। बच्चों का अगर यह रूप होगा तो मान्यता मिलेगी। वह। स्टाफ को ऐप्रोप्रिएट सैलरी देने के लिये उनके पास अगर कोई स्टोर आफ फण्ड होगा तो मान्यता मिलेगी ओर लैबोरेट्री की सुविधा होगी तो स्कूलों को मान्यता मिलेगी। इस तरह की स्कूलों की मान्यता देने की शर्तें रखी हैं। सरकारी स्कूलों में भी इस तरह की सुविधाएं बहुत कम हैं। सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। नम्बर आफ स्टूडेंट्स की निस्बत अध्यापकों की कमी है। 10+1 और 10+ 2 के स्कूलों में दो-दो सौ विद्यार्थी हैं। उसके छः छः सैक्शंज बना रखे हैं। कई ऐसे सबजैक्ट्स है, जिनको पढ़ाने के लिये सालों साल अध्यापक आता ही नहीं। आज यह सरकार इस बिल को यहां ला कर यह समझती है कि यह बहुत अहम मुद्दा है ओर हमें विश्वास है कि हम जो जो सुझाव यहां पर देंगे, मन्त्री जी उन पर अवश्य ध्यान देंगे। तो मैं कह रहा था कि प्राईवेट स्कूलों के लिये सरकार ने मान्यता के लिये जो शर्तें रखी हैं, वह ठीक हैं परन्तु शिक्षा मन्त्री महोदय से मैं यह कहना चाहता हूँ कि यही नार्मज, जोकि सरकार विद्यालय स्वयं चला रही है उनके ऊपर भी ये लागू होने

चाहिये। प्ले ग्राउंडज वाली क्लाज इन स्कूलों पर भी लागू होनी चाहिए। एक इन्होंने क्लाज रखी है कि इतने स्टूडेंट्स पर इतने क्वालि— फाइट टीचर्ज होंगे। तो आपके जो सरकारी विद्यालय हैं, उनके लिए भी इन नार्मज को लागू करने का ध्यान रखें। आज जो सरकारी स्कूलों की फीस है, वह तो गरीब आदमी दे सकता है परन्तु जो मजदूर रोड। कूट कर अपना गुजारा करता है, वह प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं दे सकता। प्राइवेट स्कूलों ने एक खास किस्म की बदी निधारित कर रखी है, उनकी यह भी शर्त होती है कि फलां किस्म की इतने दर्जन कापियां जरूर लेनी पड़ेगा, टाई ओर बूट लेने पड़ेंगे। इस तरह वे केवल फीस के माध्यम से पैसा नहीं लेते बाकी चीजों के माध्यम से भी पैसा लेते हैं। स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारी मान्यताएँ देते समय कुछ शर्तें तो देखेंगे। ये सारी शर्तें सरकारी विद्यालयों में भी लगाई जाएं। इस बारे इतने रिजल्ट आए। मैट्रिक का आया, दस जमा दो का आया और आठवीं का भी आया। सोनीपत में एक बांसल, बांसल के नाम से कोई प्राइवेट स्कूल चलाता है। दसवीं में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। बाकी सभी क्लासों के रिजल्ट भी प्राइवेट स्कूलों के अच्छे हैं। मैरिट में एक से ले कर बीसवें स्थान तक सभी स्थान प्राइवेट स्कूलों के ही आते हैं। इसका मतलब यह है कि वहां पर अच्छी शिक्षा दी जाती है। हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों का स्तर भी वैसा ही बनाया जाए। इसमें फिजीकल वैरिफिकेशन करने की बात है। ऐसा लगता है कि सरकारी विद्यालय नो मैन्ज प्रोपर्टी बन कर रह गए हैं, नो मैन्ज लैंड बन

कर रह गए हैं। मैंने जिक्र किया था कि बाद की वजह से स्कूलों में दो दो तीन तीन फुट पानी खड़ा है। अब परीक्षाओं का समय नजदीक था रहा है, इसलिए क्लासें किसी धर्मशाला में या चौपालों में लगाई जा सकती हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि किसी स्कूल को मान्यता देने से पहले ये बातें जरूर ध्यान में रखी जानी चाहिए। इससे शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। इन बातों को सरकारी स्कूलों में भी लागू करें। धन्यवाद।

श्री अजमत खां (हथीन): स्पीकर साहब, इस बिल में जो सुधारों की बातें आई हैं, ये बहुत अच्छी हैं। लेकिन जो प्राइवेट स्थूलों को मान्यता देने की बात है, ये दे दी जाये लेकिन उसके बाद उनके ऊपर नजर रखने की भी बात है। वे तनखाहें ज्यादा दिखाते हैं और देते कम हैं। इस सारी बात को चौकअप करना चाहिए कि ये तनखाह कम क्यों देते हैं? जहां सरकार उनको मान्यता दे रही है, यहां उन पर नजर भी रखें ताकि वे लोग अपनी मनमानी न कर सकें और गरीब बच्चों को भी वहां दाखिला मिल सके। धन्यवाद।

14.00 बजे

चौधरी सूरज मल पावल (जुलाना): स्पीकर साहब, मैं भी शिक्षा के मिल पर मोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसेकि चौधरी जिले सिंह ने, शर्मा जी ने अपने सुझाव दिए, मैं भी अपनी तरफ से इस पर अपने विचार रखना चाहता हूं। सब से पहले मैं यह

कहना चाहता हूँ कि हमारी शिक्षा प्रणाली का स्तर बिछल गिरता जा रहा है, मैं विशेष रूप से यह कहूँगा कि इसमें सत्ता में बैठे राजनैतिक लोगों का योगदान रहा है। आपने देखा होगा, दो साल पहले हरियाणा एजूकेशन बोर्ड के चेयरमैन को हटाना पड़ा था, क्योंकि नकल भी सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों की वजह से होती थी। यहां तक कि एस० एस० एस० बोर्ड और एच० सी० एस० की परीक्षाओं में भी सत्ता बारी लोगों द्वारा अपने रिश्तेदारों को अलग से बिठा कर नकल करवाई जाती है। यह नकल का ताजा उदाहरण था और उस समय एच० पी० एस० सी० के मैम्बरज से अस्तिफे लिये थे। 'मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि तब तक शिक्षा के स्तर में स्वार नहीं होगा, जब तक आप नकल नहीं रोकेंगे और मैरिट पर कैंडी- डेट्स को सर्विसिज नहीं देंगे। जब तक आप कैंडीडेट्स को मैरिट के आधार पर सर्विसिज नहीं देंगे, तब तक नकल का सिलसिला चलता रहेगा। हर विद्यार्थी को इस बात का पता है कि अकेले मैट्रिक, बी० ए० और एम० ए० करने से कुछ नहीं मित्रता, चाहे कोई फर्स्ट डिविजन है, -चाहे कोई मैरिट में है और चाहे कोई स्कालर है, हर विद्यार्थी के दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि जब तक उनके पास सिफारिश या पैसा नहीं होगा, तब तक उनको सर्विस नहीं मिलेगी। आज हालत यह हो गई है कि किसी भी विद्यार्थी को, चाहे वह फर्स्ट डिविजन है, चाहे वह मैरिट में है और चाहे वह स्कालर है, उनको सर्विस पैसे या सिफारिश के बगैर नहीं मिलती। आज हालत यह है कि सिफारिश वाला और पैसे वाला विद्यार्थी सर्विस ले लेता है। किसी भी विद्यार्थी को

मैरिट या कम्पीटीशन के आधार पर सर्विस नहीं मिलती। मैं कहता हूँ कि हर विद्यार्थी को कम्पीटीशन के आधार पर और मैरिट के आधार पर सर्विसिज दी जाएं। जैसे राम बिलास शर्मा जी ने कहा था कि जूडीशियरी की तरह से स्कूलों को भी अलग ही रखा जाए और उनका अलग ही बोर्ड हों, ताकि सियासी लोग दखल न दे पाए। इसके अलावा, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि शिक्षा जौब ओरिएन्टिड होनी चाहिए। शिक्षा अकेली थ्योरीकल न पढा कर, उसके साथ साथ टैक्नीकल और मैकेनीकल शिक्षा भी पढाई जानी चाहिए ताकि विद्यार्थी अपना कुछ काम धंधा स्वयं कर सकें और उनको बेरोजगारी का भय न रहे, इस तरह पढाई में उनकी रूचि भी होगी। इसके अलावा, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा मो दी जानी चाहिए। हमारे कई धार्मिक नेता रहे हैं, जिनके कारण हमारा देश आजाद हुआ है और कई धार्मिक लोग समाज सुधारक रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे आदर्श पेश किए हैं। मैं कहता हूँ कि उन धार्मिक लोगों की, नेताओं की जीवनियां स्कूलों में पढ़ाने के लिए दी जाएं ताकि उनकी जीवनियां पढु कर उनमें आध्यात्मिक भावना पैदा हो और बच्चे समाज में अच्छे आदर्श पेश कर सकें। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, छोटे छोटे बच्चों पर किताबों का लोड बहुत ज्यादा है। बच्चों की पीठ पर इतनी किताबें होती हैं जिनको बच्चा स्कूल तक ले जाने में असमर्थ होता है और उस लोड के कारण बच्चे फिजिकली कमजोर हो जाते हैं। इसलिए उस लोड को कम किया जाए। जहां तक स्कूलों को मान्यता देने की बात है, यह दुकान बन कर रह गई

है। हमारी स्टेट में लगभग 500 या 600 प्राइवेट स्कूल होंगे, जिनमें से 100 के करीब मान्यता प्राप्त हैं। वह स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है, उन्होंने दो तीन कमरे किराए पर लिए हुए होते हैं और बोर्ड लगा रवे हैं— मान्यता प्राप्त प्राइमरी स्कूल, मान्यता प्राप्त मिडिल स्कूल और मान्यता प्राप्त हाई स्कूल। न उनके पास स्टाफ है, न पैसा है, न लैबोरेटरी है और न ही उनके पास क्वालिफाईड टीचर्स हैं। मैं चाहूंगा कि जब भी किसी स्कूल को मान्यता दी जाए, उससे पहले उसकी फिजिकल वैरीफिकेशन कराई जाए और यह देखा जाए कि क्या उसके पास अपनी बिल्डिंग है, क्या क्वालिफाईड टीचर हैं, क्या उसके पास लैबोरेटरी दी है। इन बातों को देख कर मान्यता दी जाए और उसकी इंस्पैक्शन भी की जाए। जैसे माननीय सदस्य जिले सिंह ने बोलते हुए कहा था कि प्राइवेट स्कूल तो एक दुकान बने हुए हैं उनकी यह बात ठीक है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि प्राइवेट स्कूल को मान्यता देने से पहले उसकी फिजिकल वैरीफिकेशन और इंस्पैक्शन जरूर की जाए। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हू।

श्री सुरजीत कुमार धीमान (नारायणमठ): अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए मैं एक दो सुझाव दूंगा। जहा तक मेरा विचार है, हमारी शिक्षा की उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक बच्चों को स्टारटिंग में, यानी नर्सरी क्लास से अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, अच्छे संस्कार नहीं देंगे, तब तक आप

नकल को भी नहीं रोक सकते। शिक्षा को उन्नत करने के लिए और नकल को रोकने के लिए कोई भी ऐसा सब्जैक्ट नहीं है जो हमारे बच्चों को सदाचार की भावना सिखाए। हम देखते हैं कि जो देहात में बच्चे स्कूलों में जाते हैं, उनमें से अधिकतर नहा कर नहीं आते, न ही नाखून आदि काट कर आते हैं और न ही उनके पास रुमाल होता है। कान्वेंट स्कूलों में पढने वाले बच्चे इसलिए आगे रहते हैं कि उनका पढ़ाई का एक स्टैण्डर्ड है और उनको वहां पर डिस्प्लिन सिखाया जाता है। हमारे स्कूलों में इन चीजों की कमी है। मैं समझता हूं कि यदि स्कूलों में सदाचार की बातें पढाई जाए तो शिक्षा में जो बुराई हैं, वह जल्द दूर हो सकती है। हमारे स्कूलों में एक कमी यह है कि सिलेबस में ऐसा सब्जैक्ट नहीं है जो हमें रूहा नियत पढ़ाता हो। इस विषय पइ मैं ज्यादा न कहते हुए केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर सरकार स्कूलों के अन्दर दो विषय एक सदाचार का और दूसरा रूहानियत का, लगा दें तो हमारी शिक्षा में काफी सुधार हो सकता है। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला (बल्लभगढ): अध्यक्ष महोदय, मे आपके माध्यम से हरियाणा सरकार, विशेषकर अन्यने शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सरकार ने काफी से ज्यादा जो हमारे प्रदेश में प्राईवेट स्कूलज हैं, गवर्नमेंट एडिड स्कूल हैं, उनमें सुधार लाने की कोशिश की। उनको अच्छी मैनेजमेंट मिले, उनकी व्यवस्था में सुधार हो, इस उद्देश्य से सारे प्रदेश की

जनभावना का स्वागत करते हुए समुचित परिवर्तन किये। इन्होंने जो कमी पाई, उसकी ध्यान में रखते हुए और दूसरे सभी प्रदेशों की शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और उनके प्लस प्यायंटस का गहन अध्ययन करने के बाद इस बिल के माध्यम से प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की कोशिश की है। यह अपने आप में एक बड़ी भारी उपलब्धि होगी। अध्यक्ष महोदय यह बड़े फख्र की बात है कि आप का जीवन राजनीति की निस्वत 'शिक्षा के क्षेत्र से ज्यादा जुड़ा रहा है। जहां आप इस महान सदन की चेयर पर विराजमान हैं वहां आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। जब हम कालेजिज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो आर्य समाज के जलसे-जलूल बहुत होते थे उस समय आप लैक्चर देने थे। उस समा हमने देखा और अब भी' देख चे हैं कि आप राज नीति की निस्वत शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा योगदान देते हैं। विशेषकर आपने ग्रामीण परिवारों को पकने के लिए प्रोत्साहित किया और स्कूलों, कालेजिज और यूनिवर्सिटीज के सुधार में महान योगदान देने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में एक और कड़ी जोड़ते हुए मुलाना साहब एक अच्छा कदम उठाना चाह रहे हैं और इस बिल के जरिये एक बड़ा भारी लाभ ये इस स्टेट को देने जा रहे हैं। समाज मे यह महसूस किया जाता है कि धीरे-धीरे शिक्षा का व्यापारीकरण हो चुका है। इस बिल के जरिए उस पर बड़ा भारी बन्धन होगा, एक प्रकार का चौक होगा। प्रायः देखने में आया है कि गरीब घरों में प्रायः टेलेंटिड बच्चे पैदा होते हैं लेकिन उन्हें अच्छा माहौल, अच्छे स्कूल अरि अच्छे कौलेजिज वगैरा नहीं मिल

पाते हैं और जब स्कूल में गांव बच्च या बहन-बेटी जाती है तो उनको एडमिशन नहीं दिया जाता। इस तरह के स्कूलज हैं जिनमें उनकी विशेष पोशाक होती है लेकिन बच्चों के सादे रहन-सहन को देखकर उनको एडमिशन नहीं दिया जाता और उनके कह दिया जाता है कि आप बढिया अंग्रेजी नहीं बोल सकते, आपके माता-पिता बढिया अंग्रेजी नहीं बोल सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या केवल मात्र बहुत या देश अंग्रेजी बोलना ही महानता का लक्षण है? यह देश ऋषि मुनियों का देश है। हिन्दी हमारी मातृभाषा है। इस प्रकार के स्कूलज जो सरकार से ऐड भी लेते हैं, पैसा भी इकट्ठा करते हैं, गरीब बच्चों के एडमिशन नहीं देते। इस तरह के जो स्कूलज है या शिक्षा संस्थाए, हैं, जिन्होंने गरीब परिवारों के लिए एडमिशन के दरवाजे बन्द कर दिए हैं, इस बिल के माध्यम से उनके ऊपर बड़ा चौक होगा। अध्यक्ष महोदय, यह बिल अरने आप में बड़ा भारी क्रान्तिकारी बिल है। मैं इस के बारे में आपके माध्यम से सरकार के बता देना चाहता हूं कि पिछले साढे चार साल के अन्दर चौधरी भजन लाल के नेत्रत्व में इस सरकार की जहां कई उपलब्धियां है वहां शिक्षा बात में भी बड़। भारी उपलब्धियां रही हैं। इसके लिए मैं शिक्षा मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं तथा उम्मीद करता हूं कि इनके रहते हुए भविष्य मे प्रदेश में शिक्षा के अन्दर बहुत बढिया परिवर्तन होते रहेगे। धन्यवाद।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान (मुण्डालखुर्द): स्पीकर सर, माननीय शिक्षा मन्त्री जी शिक्षा में सुधार के लिए यह बिल ले कर आए हैं। इनके शिक्षा मंत्री बनने के बाद, मैं यह मानता हूँ कि नकल रोकने के लिए इन्होंने डेढ़ साल में कुछ मानसिक प्रयास किए गए हैं और नकल कुछ रुकी है। स्पीकर सर, ये जो बिल लाए हैं, (विधन) इस के बारे में स्टेटमेंट ऑफ आर्जेंट्स एण्ड रीजन्ज में इसका उद्देश्य स्पष्ट है। स्पीकर सर, मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि आज के शिक्षा जगत में हरियाणा प्रदेश का शिक्षा का स्तर पूरे देश में सबसे नीचे है। यह हम सब के लिए बहुत ही चिन्ता की बात है। सोकर सर, आप स्वयं एक उच्च शिक्षा शास्त्री हैं। आपको भी यह महसूस होता होगा कि हमारा शिक्षा का स्तर कितना नीचा है। मेरी समझ के मुताबिक शिक्षा स्तर का नीचा होना सरकार की अपनी एक कमजोरी दर्शाता है। शिक्षा स्तर नीचे होने के दो मुख्य कारण हैं। एक तो शिक्षा का कामर्शिलाईजेशन और दूसरा पोलिटिकलाईजेशन ऑफ दि एजुकेशन। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो प्राइवेट शिक्षा संस्थाएँ हैं, उनका सलेबस गवर्नमेंट स्कूलों के सलेबस से भिन्न है और दूसरे प्राइवेट संस्थाओं में, कक्षाओं में विद्यार्थी लिमिटेड हैं। एक तो ऐसा होना चाहिए कि इन प्राइवेट स्कूलों का सलेबस ही होना चाहिए जो गवर्नमेंट स्कूलों की शिक्षण संस्थाओं का है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि इन प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में बड़ी लूट-खसोट हो रही है जिस कारण ये शिक्षण संस्थाएँ मात्र दुकानें बन गई हैं। पहली दूसरी और आठवीं

कक्षाओं के विद्यार्थी जब वहाँ पर एडमिशन लेने जाते हैं तो लेने से एक-एक हजार रुपया ओन दि फस्ट डे ऑफ एडमिशन ले लिया जाता है। जितना अच्छा अर चमकीला ऐसे स्कूलों का बोर्ड होगा, उतनी ही ज्यादा उनकी फीसें होंगी। मेरे भाई जिले सिंह ने ठीक ही कहा है कि ये एक कोठी किराये पर ले लेते हैं और बढिया सा बोर्ड लगा कर स्कूल खोल कर बैठ जाते हैं। शिक्षा बोर्ड, शिक्षा मंत्री और उनके अपने महकमें के लोगों को किसी भी शिक्षण संस्थान को रिकोगनीशन देते समय इन बातों को देखना चाहिए कि क्या स्कूलों के लिए जो फिक्स क्राईटेरिया है वह पूरा है? इस बिल में यह बात अच्छी रखी गई है। सिद्धांत रूप से मैं इसको मानता हूँ कि शिक्षण संस्थान का अपना प्ले ग्राउंड हो, अपनी लैबोरेटरीज है। ये बातें बिल में रखी तो गई है लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या इनको अमलीजामा पहनाया जाएगा या नहीं। दूसरी बात यह है कि आज हरियाणा में जिस तरह से ऐजुकेशन का स्टैण्डर्ड गिरा है, वह सब पोलिटिकलाईजेशन की वजह से है। मेरा शिक्षा मंत्री जी से संक्षेप में यह कहना है कि भिवानी में एक सनातन धर्म स्कूल है, वहाँ पर एक आदमी लोगों को एक्सलाईट कर रहा है। उसेका नाम है। वह मुख मंत्री जी का चहेता है और उसने वहाँ पर कब्जा कर लिया है। कोर्ट ने आर्डर दिए है कि इस पर उनका हक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, जो आदमी हाउस में अपनी पोजीशन कलीयर न कर सके, उसका नाम कार्यवाही में नहीं आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: उनका नाम कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

प्रो० छतर सिंह चौहान: स्पीकर साहब, मेरी आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना है कि स्कूलों का कमर्शिलाईजेशन और पोलिटिकलाईजेशन जो हुआ है, आप इसको देखें। आज आप प्राईवेट स्कूलों की पढाई और सरकारी स्कूलों की पढाई का स्टर्ण्ड देखें। अपने और उनके रिजल्टस देखें, इसमें बहुत फर्क है। उनके रिजल्टस बहुत अच्छे हैं। ये जो डी० पी० आई० और टीचर्ज हैं, ये इनइफैक्टिव हैं। आप अश्वने स्कूलों का स्टैण्डर्ड प्राईवेट स्कूलों की तक बनाएं। शिक्षा मंत्री जी आप कमी स्कूल में जाकर देखें, वहां पर न तो सफाई होती है और न ही अध्यापक पूरे हैं। एक-एक स्कूल में 15-15 अध्यापकों की कमी है। जब शिक्षा मंत्री जी को इनकी कमी पूरी करने को कहा जाता है तो वे कहते हैं कि हमने केस एस० एस० एस० बोर्ड को भेज रखा है। अगर ये इस बारे में कुछ करेंगे तो ही कुछ फायदा हो पाएगा।

श्री रमेश कुमार (बडौदा-एस० सी०): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि

आज हरियाणा में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। हमारी स्टेट में बच्चे पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों की निस्वत प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलती है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के मां-बाप पर एक मार गेरी जाती है, वह है फीस फी मार। प्राइवेट स्कूलों में सरकारी स्कूलों के मुकाबले में फीस डबल ली जाती है। उनके मां-बाप के ऊपर यह बोझ पड़ता है। सर, वे गरीब आदमी हैं। वे अपने बच्चों को पराना तो चाहते हैं लेकिन फीस ज्यादा होने की वजह से बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने के लिए असमर्थ हैं। स्पीकर सर, आज मास्टरो को अपने गांव से तीस चालीस किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्कूलों में भेजा जाता है। इससे पहले चौधरी बंसी लाल जी के राज में यह रिवायत शुरू हुई थी और मास्टरो को बीस-रीस किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्कूलों में भेजा जाता था। उस समय मास्टर अपनी साईकल को यह कहा करते थे कि चल बेटी बंसी लाल, बीस किलोमीटर की रफतार से। अध्यक्ष महोदय, आज जो टीचर्ज बीस बीस किलोमीटर की दूरी पर बैठे हैं, वे कुछ पढ़ाते ही नहीं हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि सरकार उनका कुछ भी नहीं कर सकती। सरकार का उनके ऊपर कोई दवाब ही नहीं है। वे स्कूल में आते हैं और अरनी अपनी हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। पढ़ाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसी वजह से आज शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। इसलिए मेरा कहना यह है कि टीचरो को पांच पांच या दस दस किलोमीटर के दायरे में ही रखना चाहिए ताकि वे अपने घरों से रोज आते जाते रहें और

बच्चों को भी सही तरह से दिल लग कर पडा सके। ऐसा करने से शिक्षा के प्रसार को अच्छी तरह से बढ़ाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, आज स्कूलों में स्टाफ ही पूरा नहीं है। कहीं पर प्रिंसिपल नहीं हैं, कहीं पर मैथ का टीचर नहीं है, कहीं पर साईंस का टीचर नहीं है और न हो स्कूलों की कभी कोई देखभाल करने जाता है। मेरे हल्के बड़ौदा में हा गंगेसर, मातन, ठसका, आदि गांव हैं, जिनके बारे में मैंने पिछले सेशन में भी लिखकर दिया था कि उनमें टीचर नहीं हैं। सर, जब स्कूलों में टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? गंगेसर गांव में एक प्राईमरी स्कूल है। वहां केवल एक ही टीचर है, न वहां पर हैड मास्टर है और न दूसरे टीचर हैं। क्या एक टीचर पूरे प्राईमरी स्कूल को चला पाएगा ? क्या वह दो सौ बच्चों को एक साथ पढ़ा पाएगा? इस तप से तो शिक्षा का स्तर गिरता ही चला जाएगा। आज हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, उनका रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आता? वह इसलिए नहीं आता क्योंकि वहां पर अध्यापक स्कूल जाते हैं और बगैर कुछ पढ़ाए हुए वापस आ जाते हैं। जब बच्चे पत्रने के लिए तैयार होते हैं तो वह मास्टर सो जाते हैं। सोते हुए मास्टर को देखकर बच्चे भी हंसी मजाक में समय बिता कर वापिस घर आ जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, गुरु का बहुत बड़ा स्थान होता है लेकिन आज न तें। गुरु में बच्चों को पढ़ाने की भावना है और न ही बच्चे पढ़ना ही चाहते हैं। जम तक गुरु और शिष्य में पराने और परने की भावना पैदा नहीं होंगी, तब तक शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठाया जा सकेगा। जब तक गुरु बच्चों को सच्चे दिल से

नहीं पढाएगा, तब तक शिक्षा का स्तर ऊपर नहीं उठेगा। आज मास्टर गाइड लेकर स्कूलों में जाते हैं और उसमें से देखकर ही बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रश्न और उत्तर बोर्ड पर उतार देते हैं। बोर्ड पर उतारे हुए सवाल को बच्चा क्या याद कर पाएगा और क्या इसे याद करके वह कोई इंटरव्यू दे पाएगा? इस तरह से तो शिक्षा का स्तर गिरता ही जाएगा। आज इस शिक्षा के स्तर को गिराने में जहां गुरु का हाथ है, वहीं सरकार का भी कम हाथ नहीं है। अच्छा स्तर होगा तो इसका श्रेय सरकार को ही जाता है, शिक्षा मंत्री को जाता है। अगर वह सही तरीके से काम करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि शिक्षा के स्तर को उठाया नहीं जा सकता। अध्यक्ष महोदय, आज सरकार कह रही है कि हम हरिजनों को फ्री शिक्षा दे रही हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार हरिजन बच्चों की फीस माफ करती है? स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि जो लड़कियां हैं, उनको फ्री शिक्षा दी जानी चाहिए। आज जो सरकार शिक्षा के ऊपर खर्चा पर रही है, वह केवल दीवारों के ऊपर कागजों पर ही होता है, प्रैक्टिकल रूप में कुछ नहीं है। इसके साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि आज जो हरिजन बच्चे हैं, उनकी शिक्षा की ओर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार किसी प्रकार से उनकी मदद नहीं कर रही। चाहे किताबें देने की मदद हो, चाहे वर्दीया देने की मदद हो या फिर कुछ और वित्तीय मदद हो, कुछ भी मदद नहीं कर रही है। आज सरकार सब कुछ कागजों पर तो जरूर दिखा रही है कि हम यह कर रहे हैं, हम वह कर रहे हैं,

लेकिन वास्तव में कुछ हो नहीं रहा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि हरिजन बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में खासतौर पर जो सहायता पैसे से सम्बन्धित है, वह भी दी जाए लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिये शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। इसके साथ-साथ मैं सरकार से यह कहूंगा कि सरकार बी० सी० व एस० सी० के जो बच्चे हैं उनकी तरफ खास तवज्जो दे। वे लोग जब अपने लिये विभागों से बैकवर्ड क्लास और शड्यूल्ड? क्लास का सर्टिफिकेट लेने को जाते हैं तो उनकी कहीं पर कोई सुनवायी नहीं करता और उन्हें खाली हाथ वापिस घर आना पड़ता है। इस और सरकार अवश्य ध्यान देवे। बस इतना ही कहता हुआ मैं अपना स्थान लेता हूँ कि जो-जो सुझाव मैंने यहां पर दिये हैं सरकार उनकी और ध्यान देवें।

डा राम प्रकाश (थानेसर): अध्यक्ष महोदय, स्कूल ऐजुकेशन बोर्ड से सम्बन्धित विधेयक पर इस सदन में चर्चा चल रही है। उस बारे में, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, आपने वर्षों तक स्कूल में अध्यापन कार्य किया हैं और आप एक पुराने अध्यापक हैं। आप को इस क्षेत्र का ठीक अन्दाजा है लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो चर्चा आज यहां पर आप करवा रहे हैं, क्या यह विधेयक पर हो रही है या जनरल डिस्कशन हो रही है? जैसे मैं कल एच० पी०एल० सी० मशीन के बारे में बोल रहा था लेकिन वह एक ब्लैकमेल बात थी। यह गत कुछेक के समझ की हो सकती है और कुछेक के समझ की नहीं

भी हो सकती। उस वक्त मैं एक रैलेवैन्ट बात ही कह रहा था क्योंकि मैंने उस मशीन पर विदेश में एक नोबल पुरस्कार विजेता की लैबोरेट्री में काम किया है पर आपने मेरी ये बातें कार्य वाही से निकाल दी थीं। शायद समझ से बाहर की बातें थीं। आज मैं देखकर हैरान हूँ कि यद्यपि हमारे विधान सभा अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्कूल ऐजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं। आज जो यहां सदन में बहस चल रही है, उसको कैसे अलाऊ किया जा का है क्योंकि बहस इधर उधर की बातों पर की जा रही है। बहस जनरल न होकर सम्बन्धित विधेयक पर ही होनी चाहिये थी। या तो आप जो स्थिति ऐजुकेशन की है, उस पर बोलने के लिये जख्म से टाइम रख के उस पर हम बहस करें, नहीं तो विधेयक पर क्लोज बाईज डिस्कशन होनी –गुहिये।ष्ट यह –सोपसे मेरा निवदेन है।

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल-चन्द मुलाना): आदरणीय स्पीकर महोदय इस हाउस में मुझे यह बिल लाते हुए बहुत हर्ष हो रहा है क्योंकि बहुत देर से इस बारे में सदन के माननीय सदस्यों की इस बात को लेकर चिन्ता थी कि हरियाणा में शिक्षा के जो केन्द्र हैं, उनमें अनियमितताएं हैं, अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अन्दर दो तरह के स्कूलज हैं। एक तो हरियाणा सरकार या ऐजुकेशन बोर्ड द्वारा चलाये जाते हैं जिनको बोर्ड रिकोगनाइज करता है और दूसरे स्कूलज वे हैं, जिनको सी० बी० एस० ई० रिकोगनाइज करता है। सी० बी० एस० ई० से जो स्कूलज रिकोगनाइजेशन लेते हैं, हमसे

एक बार नो-आबजैक्शन सर्टिफिकेट लेने के बाद हमारी सरकार का उन स्कूलों पर कोई विशेष कंट्रोल नहीं रहता। किसी भी मामले पर, चाहे फीस का मामला हो, चाहे दाखले का मामला हो, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जब सदन में यह बात आई कि ऐजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, जगह जगह पर इस तरह की दुकाने खुल रही हैं, तो हमें मुख्य मन्त्री का यह आदेश हुआ कि एक ऐसा बिल प्रस्तुत किया जाये जिससे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिये कोई सही कदम उठाया जा सके। माननीय सदस्यों ने बोलते हुए कुछ चिन्ताएं जहिर भी की। बहुत सारे माननीय सदस्य, जैसे चौधरी जिले सिंह जी, मास्टर अजमत खां, डाक्टर राम प्रकाश जी चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने बोलते हुए अलग अलग अपने विचार रखे।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: यदि हाउस की सहमती हो तो सदन का समय आध घण्टा बढ़ा दिया जाये।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: हाउस का समय आधा घण्टा और बढ़ाया जाता है।

बिलज (पुनरारम्भ)

श्री फूल चन्द मुलाना: हमारे दूसरे साथियों में भी इस पर अपने-अपने विचार रखे चौधरी जिले सिंह में बोलते हुए कहा कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रान्त में यह पहली मिसाल है जहाँ पिछले साल हमने प्राइमरी स्तर पर सारे प्रान्त में सरकारी तौर पर इम्तिहान करवाया। पहले प्राइमरी स्कूल से बच्चों का इंटरनल इम्तिहान होता था। जहाँ तक शिक्षा में सुधार की बात है, माननीय सदस्यों ने सराहा है कि सरकार ने हरियाणा से नकल को निकाल दिया है। कई भाइयों ने कह दिया कि यह मानसिक प्रयास था। नकल को रोकने के लिए हमें सभी लोगों का सहयोग मिला है। वे चाहे समाज के लोग थे, चाहे अध्यापक थे, बहुत ही सफल प्रयास के तहत नकल को रोका गया। यह रात सही है कि उरुके बाद हमारे रिजल्ट कुछ नीचे आए। यह भी शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने का ही एक प्रयास है। अगर हम नकल को रोकेंगे तो बच्चों में पढ़ने की भावना आएगी और अध्यापकों में भी पढ़ाने की भावना आएगी। मझे खुशी है कि वह स्तर अब कुछ उभरा है। पहले जो रिजल्ट काफी लो आए थे, इस बार वे बढ़ गए हैं। हमने यह भी फैसला कर दिया है कि हम सरकारी स्कूलों की रैगुलर इन्स्पैकशन करेंगे। सरकारी स्कूलों में इन्स्पैकशन हो रही है। यह डायरेक्टोरेट लैवस पर होती है और अब जिला लैवल पर भी कह दिया है कि उनको जाना ही पड़ेगा। इस बिल में सारे प्रोवीजन हैं, फीस के भी हैं और इन्स्पैकशन के भी हैं। अजमत खा जी ने मास्टर्स को पूरा

तनखाह देने के बारे में कहा। हमने शर्तें तय कर दी हैं कि कैसे स्कूल रिकगनाइज्ड होगा और किस शर्त पर लोग उनमें रखे जाएंगे। तो शिन्ना के सर में सुगर लाने के लिए ही यह बिल लाया गया है। मुझे आशा है कि इस बिल के पास होने के बाद शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत सुधार आएंगे।

प्रो० राम बिलास शर्मा: सर, मैंने बोलते समय पहले भी कहा था कि बिल में जो आपने प्राइवेट मैनेजमेंट के लिए कंडीशन रखी है, उसको आप सरकारी विद्यालयों में भी लागू करें।

श्री फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, सरकारी स्थूलों में तो पहले से ही मर शर्त है। मैं एक बात और बता दूँ कि हमारे आनरेबल मैम्बर कह रहे थे कि सरकारी स्कूलों में अनट्रेड टीचर होते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूलों में एक भी अन-ट्रेड टीचर नहीं रखा जाता। कोई जे० बी० टी० होता है, कोई बी० एड० होता है लेकिन इसमें कोई पोलिटिकलाइजेशन नहीं है और कमर्शियलाइजेशन को रोकने के लिए हम यह बिल लाए हैं। यहां पर मौरल एजूकेशन की भी चर्चा हुई, वह हमने पहले से ही लागू कर दी है। उसका सिलेबस तय कर दिया गया था। इसके अलावा, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि वेकेंट पोस्ट्स भी बहुत जल्द भरी जाएगी। इनकी मांग संबधित एजेंसियों को भेज दी गई है और परमोशंज भी हो रही हैं। इस बिल के पास होने से मइत सारी समस्याओं का हल होगा। मेरा सदन से अनुरोध है कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाए।

श्री हरि सिंह नलवा: स्पीकर साहब, जो प्राईवेट स्कूल दूसरे बोर्डज के साथ एफिलिएटिड होंगे, क्या यह एम ऐडिड स्कूलों पर भी लागू होगा या अन-ऐडिड पर भी लागू होगा?

श्री फूल चन्द मुलाना: स्पीकर साहब, इस बिल की धारा 15 की क्लॉज 3 में लिखा है:—

"Admission to recognised schools or to any class thereof, shall be regulated by rules made in this behalf."

यह सब पर लागू होगी।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

5. वि हरियाणा सर्विस आफ इंजिनियर्स क्लास-1 पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (बिल्डिंग्ज एण्ड रोड्ज ब्रांच, (पब्लिक हैल्थ ब्रांच) एण्ड (इरीगेशन ब्रांच) रिस्पैक्टविली बिल, 1995

Mr. Speaker : Now, the Public Works (B&R) Minister will introduce the Haryana Service of Engineers, Class I, Public Works Department (Buildings and Roads Branch), (Public Health Branch) and (Irrigation Branch), respectively, Bill, 1995.

Public Works (B&R) Minister (Chaudhri Amar Singh) : Sir, I introduce the Haryana Service of Engineers, Class I, Public Works Department (Buildings and Roads

Branch), (Public Health Branch) and (Irrigation Branch), respectively, Bill, 1995.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Haryana Service of Engineers, Class I Public Works Department Buildings and Roads Branch) (Public Health Branch) and (Irrigation Branch), respectively , Bill, 1995 be introduced,

चौधरी बंसी लाल (तोशाम): अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल की इन्ट्रोडक्शन पर बोलना है। यह जो बिल हाउस में लाया जा रहा है, यह किन्हीं दो आदमियों को फायदा पहुंचाने और किन्हीं दो आदमियों को नुकसान पहुंचाने के लिए लाया जा रहा है क्योंकि इस बिल की क्लॉज 1 (2) में लिखा है—

"It shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 1966."

और इसकी स्टेटमेंट ऑफ औब्जेक्ट्स एंड रीजंज में लिखा है—

"In order to have uniform rules for all the three branches of Engineering Services and to clarify the position in an unambiguous manner as to have uniformity clarity in interpretation, it became necessary to make certain amendments with retrospective effect This was possible only by enacting a legislation in this regard. As the Haryana Vidhan Sabha was not in Session, it was decided to achieve the purpose through issue of an Ordinance on 13th May, 1995....."

अध्यक्ष महोदय, ये केसिज व कोर्ट में गए। सरकार ने जो दलील दी होगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च को फैसला हैल्ड किया है कि सीनियोरिटी इस हिसाब से लागू होगी। इस बिल के स्टेटमेंट आफ ओब्जेक्ट्स एंड रीजंज में यह कलियर है कि सरकार हाइएस्ट कोर्ट आफ जुडिशियरी आफ दी कन्ट्री को नलीफाई कर रही है, इस तरह इनकी इंटैशन्मैलाफाईडी है। अगर ये इसको लागू करना चाहते हैं तो आगे के लिए कर दें, न कि पीछे से। सरकार तो उस वक्त यानी नवम्बर 1966 के समय में चली गई। मैं नहीं समझता कि इस बिल के आने से भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना व्यू प्वायंट रख सकेगी। ऐसा नहीं लगता कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की अदालत में अपनी कसौटी पर पूरी उतर सके। सरकार द्वारा इन दोनों केसिज को नलीफाई करने का कोई ओचित्य नहीं है। आप इस बिल को परोसपैक्टिव डेट से लागू करें, रिस्ट्रोसपैक्टिव डेट से लागू न करें। आप 29 साल पीछे से लागू कर रहे हैं वह कोई अच्छी बात नहीं है। अगर ये ब्रूट मैजोरिटी के दम पर इस बिल को पास कराना चाहते हैं, तो कर सकते हैं लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को सूट नहीं करेगा। ये इस बिल को पहली नवम्बर, 1966 से लागू न करें बल्कि आगे के लिए लागू कर दें या फिर इस मैटर को सिलैक्ट कमेटी को रैफर कर दें।

प्रो० सम्पत सिंह (भट्ट कलां): अध्यक्ष महोदय, यह बिल ओर्बीट्रेरी है, डिस्क्रीमेनेटरी है और बायस्ड है और अगेस्ट दा

जजमेंट आफ दी सुप्रीम कोर्ट है। एक आदमी 20-22 साल से अपनी सीनियोरिटी के लिए पहले हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सीनियोरिटी फिक्स की लेकिन उसको सरकार नहीं मान रही। फिर उसने कंटेम्प्ट आफ कोर्ट डाली। इसका फैसला पहली अप्रैल 1991 में आता है न यह फैसला उसके हक में जाता है, अरि उसकी सिनियोरिटी फिक्स कर दी जाती है फिर 4 साल तक उसको लागू नहीं करते, 15 अप्रैल, 1991 को कंटेम्प्ट आफ सुप्रीम कोर्ट करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले इसको इम्प्लीमेंट करो। उस फैसले को 15 अप्रैल, 1995 को इम्प्लीमेंट करने के बाद यानी 20-25 दिन के बाद, 12 मई, 1995 को ये एक आर्डिनैस आते हैं। अब इस आर्डिनैस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नल्लीफाई कर रहे हैं। इसके जरिए जो आर ० आर० श्योरान है, उसके नुकसान पहुंचाने के लिए यह सब किया जा रहा है। वह बहुत ईमानदार आफसर है। अब इस बिल के जरिए ऐसे आफसर को ये डिमोट कर रहे हैं। Now he again went to the court इसलिए कि इस आर्डिनैस का उस पर इफैक्ट न हो, इसलिए सरकार को रोका जाए। सरकार का कोर्ट ने रोका है कि अब उस आदमी वे डिमोट न किया जाये। (विघ्न) स्पीकर सर, यह रात चौलेजं हुई है, उसके बाद बाद High Court of Punjab and Haryana has restrained the Government of Haryana from passing any order prejudicial to the interests of direct recruits on the basis of impugned ordinance. स्पीकर सर, यह डायरेक्ट रिक्रूट्स को करटेल करने की बात है। स्पीकर सर,

इसमें है कि 50% बाई डायरेक्ट रिक्रूट एग्जिक्यूटिव इंजिनियर बननेगे और 50% बाई परमोशन एस० डी० ओज० में से होंगे। तो स्पीकर सर, यही झगड़ा था। अगर उस आदमी को उसी, दिन सीनियोरिटी मिल जाती जिस दिन उसने पब्लिक सर्विस कमीशन से आनी परीक्षा पास की थी और क्लास-1 सर्विस में आया था, तो स्पीकर सर, उसकी 20-25 साल की हार्डशिप बच जाती। आज सरकार ने स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एंड रीजन्ज में यह भी लिख दिया कि और लोगों को इस जजमेंट से हार्डशिप होगी जूनियर आदमी सीनियरज के ऊपर आ कर बैठ जाएंगे। You just see the plight of Mr. R.R. Sheoran. 20 साल पहले हक था, उसने वह हक अज लड़-लड़ कर हासिल किया है इसके जूनियर पोस्ट्स पर बैठना पड़ा क्योंकि सरकार उसको सीनियर नहीं बनाना चाह रही थी, इसलिए went to the highest court of the land. वहां जा कर जब उसको रिलीफ मिल गया है तो उस रिलीफ को भी सरकार अजड्यू करना चाहती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह बिल बायसंड हैं। स्पीकर स्तर, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, शायद मिनिस्टरज को चिन्ता नहीं होगी लेकिन एट लीस्ट रह कुछ मिनिस्टरज ने चिन्ता जाहिर की भी है। It was opposed by certain ,Ministers. कैबिनेट में भी इसकी अपोजीशन हुई है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। स्पीकर सर, इसमें एल० आर० की भी राय ली गई है। आप चाहें तो एल० आर० की फाईल मगवा ले, एल० आर० ने भी इसको अपोज किया है। उसने लिखा है कि गवर्नमेंट को, इस लिटिगेशन में नहीं पड़ना चाहिए, तब, एक वाया

मीडिया निकाला गया। ज्वायंट एल० आर० से इसको करवा कर एडवोकेट जनरल से राय ले ली गई। एडवोकेट, जनरल के बारे में यह फ़ैक्चुअल है कि एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट का होता है। एडवोकेट, जनरल गवर्नमेंट को राय देने के लिए, और जैसा गवर्नमेंट चाहती है उसकी वकालत करने के लिए होता है। उसकी राय ले कर इन्होंने भेजा है। स्पीकर साहब, मैं जो कह रहा हूँ वह फ़ैक्चुअल है। मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट को साउंड करना चाहता हूँ कि यह जो जजमेंट है, यह किसने दी है, वह भी बताना चाहता हूँ कि यह लीस्ट जिम्मेदारी तो उन लोगों की भी आएगी जो डिपार्टमेंट में कमिश्नर हैं क्योंकि कोर्ट्स के ऐसे फ़ैसले भी हैं, जिन लोगों ने कोर्ट्स के फ़ैसलों की सही माना, उनके खिलाफ कन्टैम्पट्स हुई है और उन को सजाए भी हुई हैं। स्पीकर सर मैं अपने खिलाफ आई०ए० एस० ऑफिसरज को आगाह करना चाहूंगा तथा बताना चाहूंगा कि यह फ़ैसला आनरेबल जज मिस्टर रामा स्वामी का है, जिसने आर० आर० श्योरान के हक में फ़ैसला किया है। ये वही आनरेबल जज है जिन्होंने श्री वासु देवन आई० ए० एस० अधिकारी को कन्टैन्ट के एक मामले में सजा सुनाई है। ये अधिकारी कर्नाटक में हैं, Now he is in jail स्पीकर सर, कन्टैम्पट चीफ इन्जीनियर की पोस्टिंग के मामले में उसक सही पोजीशन न देने में हुई है। यह केस भी सेम केस है और जज भी सेम हैं। आज मैं हरियाणा गवर्नमेंट से यह कहना चाहता हूँ कि वह भी फ़ैसला चीफ इन्जीनियर के बारे में था और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था। वह फ़ैसला आनरेबल जज रामा स्वामी का था और श्री

शयोरान के केस का यह फैसला भी श्री रामा स्वामी का किया हुआ है। स्पीकर सर, कहीं ऐसा न हो कि हम सब की भद्द पिटें। सरकार की भद्द तो पिटें सो पिटें, कहीं असैम्बली की भद्द न पिट जाए। जब यह कोर्ट में चौलेंज होगा तो रुल्ज के मुताबिक स्टेंड नहीं कर पाएगा, उसके बाद सरकार को फिर वापिस करना पड़ेगा। इसलिए इस पर थौरो डिस्कशन हो, इसमें इन लोगों को क्या दिक्कत है? हाऊस के अन्दर सिनैक्ट कमेटी का प्रोविजन है, आप सिलैक्ट कमेटी एप्वायंट कर लें। आगे जब स्थिति आएगी तो मैं क्लोज-बाई-क्लोज फिर बोलूंगा। अभी तो मैंने प्राईमरी ऑब्जेक्शन लाया है, बाद में मैं बताऊंगा कि इसमें सिलैक्ट कमेटी अप्वायंट करने की आवश्यकता क्यों है ताकि इस पर पूरी तरह से डिस्कशन हो जाए। इस पर सिलैक्ट कमेटी की ओपिनियन लेने में इन्हें क्या दिक्कत है? इनकी दूसरी कमेटियां भी हैं, वे हो या हाऊस की एक और कमेटी बना लें ऐसा न करें जिससे हाऊस की बेइज्जती हो जाए और वे यह कहें कि इस हाऊस में अनपढ़ मैनबर बैठे थे। मैं तो यह कहूंगा कि इन्हें इस बिल को विदड्रा कर लेना चाहिए। यह बिल उन लोगों का फण्डामेंटल राईट छीनने के लिए लाया जा रहा है। मती जी को तो यह मूव करना चाहिए कि मैं यह बिल विदड्रा करता हूं और अपनी गलती सुधारता हूं।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां): अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा यह जो हरियाणा सर्विसिज, इंजीनियर्ज आफ पी ० डब्ल्यू० डी ० बिल, 1995 लाया गया है, यह इन्ट्रोडक्शन की स्टेज

पर है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जैसे चौधरी बंसी लाल और लीडर आफ दि अपोजिशन ने कहा है कि इसमें हाई के कोर्ट का फैसला है और उस बारे में सरकार ने खुद माना है और उस फैसले की बिनाह पर जो काम्पलीकेशन और प्रौब्लम्ज गवर्नमेंट फेस कर रही है, उसको सौलव करने के लिए यह मामला आज हाउस में आया है। अध्यक्ष महोदय, आपने एक काल अटेंशन मोशन डिस-अलाऊ किया जो पलवल और कुरुक्षेत्र के विधायक ने मिलकर दिया था। अध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट के फैसले के तहत जी ० टी ० रोड के दोनों तरफ सौ-सौ मीटर की दूरी तक जो कंस्ट्रक्शन है, उसको गिरा दिया जाए। उस बारे में यह चर्चा हुई कि अगर ऐसा कोई फैसला है और सरकार उस पर पाबन्द नहीं है या उसमें कोई डैवियेशन होगा तो वह कंटैम्पट आफ कोर्ट माना जाएगा। उस काल अटेंशन मोशन को अलाऊ नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, जब भी आपके पास कोई ऐसा डिसीजन आए और उसमें पब्लिक ओपीनियन गैदर करनी पड़े तो इन हालात में सिलैक्ट कमेटी का काम आता है। उस चीज को समझते हुए सरकार ने भी इस पहलू पर विचार किया होगा और एल० आर० तथा अपने डिपार्टमेंट के आफिसर्ज से भी सलाह ली होगी। लेकिन मैं यह समझता हूँ कि जब बिल हाउस में पहुंच गया तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, उसमें हाउस की गरिमा बन जाती है कि इस प्रकार के बिल को बारीकी से देखा जाए ओर असर यह पास हो जाए तो कहीं हाउस की गरिमा पर असर न पड़े।

In the light of passing of this bill, something may go wrong with the decision of the Supreme Court. स्पीकर सर, इसके बाद मैं आपसे नं० दो पर यह भी दरख्वास्त करूंगा कि अगर हम इसकी डिटेल्स में न भी जाएं, तो भी इसको इन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ैक्ट से बिल लागू कर दिया है, यानी पहली नवम्बर, 1966 से किया है। स्पीकर सर, किन-किन आदमियों के राइट्स 1966 से लेकर 1995 तक इस पर्टीकुलर लैजिसलेशन के न होने की वजह से सफर करते रहे और किन-किन लोगों को इस लैजिसलेशन के न होने की वजह से फायदा होता रहा, यह देखने की बात है। आज तो उनमें से बहुत से लेता सर्विस में भी नहीं होंगे और रिटायर भी हो गए होंगे। (विघ्न) सर, इस तरह के कई जजमेंट हैं। मैं आपको बताना चाहता हू कि जब मैं को-आग्नेटिव मिनिस्टर था, उस समय भी एग्जैक्टली इन्ही लाईन पर एक केस ए० आर० की प्रमोशन के बारे में मेरे पास आया था और उस केस में इसी तरह से पहले हाई कोर्ट ने फैसला दिया था तथा बाद में यह केस सुप्रीम कोर्ट में डिटो हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का ही फैसला दिया था। उस केस में दूसरी तरफ से जो मुख्य आर्गुमेंट थे, वह यह थे कि जब हम सर्विस में बैठे थे तो वे लोग निकर पहनकर स्कूल में जाते थे और आज ये हमारे से सीनियर होने का दावा करते हैं परन्तु सर, यह तो कोर्ट का फैसला था। उस फैसले को अगर आप यह समझते हैं कि यह एनोमली था या यह डिसक्रिमिनेशन था तो जो आप आज लैजिसलेशन लेकर आते हैं, और उसको आज से लागू करते हैं

तो जो लोग इसके न होने की वजह से पहले सफर हुए हैं, उनको आप कैसे आज के दिन अब सैट कर दोगे? कई लोगों का तो सारी सर्विस के दौरान हजारों या लाखों रुपये का नुकसान हो गया होगा, कई लोगों को उससे फायदा भी पहुंचा होगा कई लोगों की तो इससे प्रमोशन भी रु तो होंगे ओर कई लोगों की प्रमोशन होती ही 'चली' गयी होगी, इसलिए स्पीकर सर, यह तो फण्डामेंटल राईट है, इसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि सरकार एक लैजिस्लेशन लेकर आए और उसका इंट्रोडक्शन हो। उस पर क्लोज बाई क्लोज डिस्कशन न हो, जैसा कि कभी भी यहां पर डिस्कशन होती ही नहीं है। स्पीकर सर, मैं यह भी चाहूंगा कि this bill should be sent to the Select Committee because this is a new legislation and a new legislation always requires public opinion, constitutional clarity and it is also to be seen whether the bill is legally sustainable or not, in view of decision of Supreme Court or the High Court. So, the legal position is also involved in a new legislation. Therefore, I would request that this Bill be sent to the Select Committee.

डा० राम प्रकाश (थानेसर): अध्यक्ष जी, चोधरी बंसी लाल जी ने, सम्पत सिंह जी ने और चोधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने जो-जो बातें कही है, मुझे भी वह बातें तर्क संगत लगती हैं। मैं स्वयं चुनाव लड़ने से पहले नौकरी करता रहा हूं इसलिए मुझे पता है कि अगर किसी आदमी की सीनियोरिटी या उसका जो भी हक बनता है, वह विभाग से या प्रशासन से उसके। नहीं मिलता तो वह उस अन्याय के खिलाफ कचहरी में जाता है। भारत की

सर्वोच्च कोर्ट, अगर उसके हक में फेसला देता है तो आप अनुमान लगाईये कि उसे कितनी कितनी दिक्कतों में से गुजरना पडा होगा क्योंकि एक तरफ तो वह इंडीविजुअल है और अपने साथ हुए अन्याय की दूर करने के लिए उसे अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता है और दूसरी तरफ सरकार है, जिसकी बड़े से बड़े वकील मिल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा दे सकती है, फिर भी अगर सरकार कोर्ट से हार जाए तो दूसरे या तीसरे कोर्ट में चली जाती है अरि उसके बाद भी आर वह सब जगहो से हार जाती है तो सरकार विधान सभा में अपनी ब्रूट मैजोरिटी का लाभ उठाकर, आर एक इंडविजुअल के खिलाफ लड़ने लगे तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति के बचाव के लिए कौन आएगा? अध्यक्ष महोदय, कौन उसे बचाएगा? 30 साल पहले की बात को सरकार 30 साल याद रगड़ा लगा रही है। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई सरकारी अफसर, सरकार को कमी भी सही राय नहीं देगा।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: अगर हाऊस की सहमति हो तो सदन का समय आधा घण्टा और बढ़ा दिया जाए?

आवाजें: ठीक है, जी, बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष: सदन का समय आधे घण्टे के लिए और बढ़ाया जाता है।

बिल्ज (पुनरारम्भ)

15.00 बजे

डा० राम प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, सरदार पटेल ने होम मिनिस्टर बनने के बाद अपने आफिसर्ज की एक मीटिंग बुलाई थी और एक बात कही थी कि जब भी मैं मीटिंग बुलाऊंगा तो उस में आप अपनी बात खुले मन से कह सकते हैं। जो तुम्हारे मन करता है बोलो, लेकिन जो फैसला करना होगा, वह सुनने के बाद मैं करूंगा। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि फाईल पर कम से कम जितना लिखा जाए, उतना ही लिखि। मैं समझता हूं कि हरेक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, सरकार में बैठे हुए लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ी गाईड लाईन थी जो सरदार पटेल हमें देकर गए थे। लेकिन अगर कोई आफिसर्ज मीटिंग में अपने सीनियर्ज के बारे में, उनके कार्य या राय के बारे में अपनी राय देगा तौ फिर उसके साथ जो बीतेगी, उससे बचने के लिए कोई अगर एक ढंग है तो वह यह है कि वह अपने घर को आग लगाकर कचहरी में जाए। अगर कचहरी के फैसले को यह विधान सभा बदलेगी तो फिर क्या होगा? मैं इसकी चिन्ता नहीं करता कि अगर आप आज उसको बदल देते हैं, कल को सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द करेगी या नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट बेशक रद्द न कर लेकिन हम अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें। मैं न उस व्यक्ति को जानता हूं जिस पर इसका अन्तर पड़ेगा और न ही मैं दूसरे व्यक्ति को जानता हूं। मैं इन में से किसी को भी नहीं जानता पर मैं एक कर्मचारी रहा हूं,

उस नाते में यह बात कह सकता हूँ कि इस अन्याय के खिलाफ अगर सदन एक मत नहीं होगा, अप अरनी आवाज बुलन्द नहीं करेंगे तो जिस व्यक्ति को ईमानदारी से अपना कम करने के बदले में जो सजा मिलेगी तो वह फिर किस के पास संरक्षण के लिए जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया जाए और उसके बाद विधान सभा में एक बिल लेकर के आया जाए, यह ठीक नहीं है। मैं तो यह समझता हूँ कि अगर ऐसा दिन आपने सिलैक्ट कमेटी में भेजना है तो उसको आइन्दा के लिए भेजें, लेकिन पिछली डेट से उसके लागू करने के उद्देश्य से भेजना चाहें, तो यह हमारे दिन के का रोग को जाहिर करेगा अरि यह 'रहम सब के लिए एक बहुत दुख:दायी अध्याय होगा। यह बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता था। धन्यवाद।

प्रो० राम बिलास शर्मा (महेन्द्रगढ़): स्पीकर सर, इस बिल से संबंधित जो- जो बातें चौधरी बंसी लाल, प्रो० सम्पत सिंह जी, डाक्टर राम प्रकाश और चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने कही है, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता। यह बिल जल्दबाजी में आ गया है। इसमें दो आफिसर्ज हैं, एक श्री एस०एल० चौपड़ा बनाम वी०डी० सरदाना दूसरा आर० आर० श्योरान। बहुत वर्षों से यह लिटीगेशन चुन रही थी। इसमें जो परपज है, उस में साफ तीर पर उन्होंने लिखा है कि इस बिल को लाने की का मजबूरी थी। आज एक आफिसर के लिए कुछ विम्जकिल बातें विभाग में कई बार हो जाती हैं। यह कितना

अननैचुरल लगता है कि इसको पीछे से यानी नवम्बर, 1966 से लागू करना चाहते हैं। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि न, नो दिमागों की सीनीयोरिटी चाहे वह पब्लिक हैल्थ का विनयोग हो चाहे पी०डब्ल्यू० डी० विभाग हो चाहे का विभाग हो, चाहे दूसरा दिमाग हो जिसमें इंजीनियर्ज सेवा करते हैं, तीनों में यदि किसी की अनामली होगी तो 1 छ 66 से एक नया विवाद खड़ा हो जाएगा। तो फिर क्या इसके खिलाफ अदालत में जाओगे, जिसके कारण सरकार का करोड़ों रुपया अदालतों में फीसों पर लग जाता है, कितना अननैचुरल है? इस बिल के कारण इंजीनियर्ज में बड़ा भारी रिजैन्टमेंट है। तई। नो विभागों की इंजीनियर्ज की एसोसिएशन अपने अपने विभाग के सेक्रेटरीज से या फिर शायद अपने-अपने संबंधित मिनिस्टर्ज से भी मिली है। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी, मेरी इस बात को कंफर्म करेगे क्योंकि इंजीनियर्ज के मामले में बहुत लम्बे समय से और पूरे तीनों विभागों में एक अजीब तज का भय सा, एक भ्रांति सी थी, जिस के कारण सरकार इस बिल को लेकर के आयी है और वह भी जल्दबाजी में लेकर आयी है। स्पीकर साहब, इसमें और बातें भी इनवाल्व कर दी गई हैं जिनके बारे में हम क्लोज बाई क्लोज डिस्कशन करेगे। आपको पता है कि अदालतों में हमारी सरकार की कैसी छवि है। यहां पर चर्चा हुई थी कि तीन आई० पी० एस० अफसरों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा दी गई थी लेकिन फिर भी उनको दोबारा लगा लिया गया। उसके जवाब में इन्होंने कहा कि सजा में यह नहीं कहा गया था कि उनको दोबारा नहीं लगाना है। सुप्रीम कोर्ट जब एक

आदमी के आ चरण पर लांछन लगाती है तो उसमें सब कुछ आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट 'ए' से 'जैड' तक जिम्मेदारी फिक्स नहीं करता। कोर्ट का वह क्लीयर कट फैसला था। हमारी असैम्बली एक आगस्ट हाउस है। यदि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी हम इस बिल को पास करते हैं तो यह कोर्ट के आर्डर की अवहेलना है। जो आगे की क्लासिज हैं, उनमें तो अजीब तक की बातें लिखी हैं। उनमें यूनिवर्सिटीज प्रैसक्राइब करते हैं। आप यह बताएं कि अगर कोई ड्राफ्ट्समैन या जे०ई० का डिप्लोमा करता है तो आप कौन सी संस्था को रिकग्नाइज करेंगे? आज से कई साल पहले जो डिप्लोमा आई०टी०आई० में होता था, आज वह पोलिटैक्निक में होता है। पहले की बहुत सी बातें बदल गई हैं। स्पीकर साहब, बहुत सी बातों के अदायरे बदल गए हैं। चौधरी अमर सिंह जी तो एक अच्छे वकील हैं और फिर ये चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी की सोहबत में बैठे हैं जो जायज नाजायज में फैसला करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आप जल्दबाजी न करें। आप इसको प्रिंस्टिज इशू न बनाएं और यह बिल सिलैक्ट कमेटी को भेज दे जो इसके रिव्यू कर ले। हमने जो बातें कहीं हैं, इनको आप लीगल एक्सपर्ट्स से एग्जामिन करवा लें। यह नहीं होना चाहिए कि जो कागज आ गया उसको पढ़ दे। इसलिए मैं मन्त्री जी से फिर कहना चाहता हूँ कि वे जल्दबाजी न करें और इसको सिलैक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। ऐसा करने से सभी का भला होगा।

लोक निर्माण (भवन तथा सडके) मंत्री (चौधरी अमर सिंह): स्पीकर सर, बिल की इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर चौधरी बंसी लाल जी ने, सम्पत सिंह जी ने, वीरेन्द्र सिंह जी मे डा ० राम प्रकाश जी ने तथा राम बिलास शर्मा जी ने कुछ आपत्ति उठाई है। स्पीकर साहब, आबजैक्शन उठाने वा ले आनरेबल साथियों ने शायद इस बात को नहीं देखा कि ए०एन० सहगल, वर्सिज राजा राम केस का पैसला 1991 में हुआ था। जो कंटैम्पट एप्लीकेशन फाईल की गई थी, उसका फैसला 1992 में हुआ। उसके बाद लास्ट डिस्मिशन 1995 को हुआ है। स्पीकर साहब, मैं यह बताना चाहता हूँ कि तीनों डिपार्टमेंट्स यानी इरीगेशन, पब्लिक हैल्थ और पी ०डब्ल्यू०डी० ब्रांच में क्लास बन और टू की खींच-तान बहुत दिन से चल रही थी। इस कारण सेर एनामली और हार्डशिप आपस में चलती रही। इससे हार्डशिप टूर होगी और किसी को नुकसान या फायदा पहुंचाने के लिए यह बिल नहीं है। स्पीकर साल, श्वास बन औफिसर की सिलैक्शन के लिए पहले एच०पी ०एस०सी ० में रीटिन टैस्ट होता है, उसके बाद इन्टरव्यू होती है। उसके बाद बह डायरेक्ट क्लास वन औफिसर बनता है। इस लिए दो साल का प्रोबेशन पीरियड और पांच साल का एक्सपीरिएंस जरूरी है, तब वह एग्जैक्टिव इंजीनियर बन सकता है। विपक्ष के नेताओं ने ज्यादातर यही मुद्दा उठाया है कि यह बिल रिटरोस्पैक्टिव डेट से लागू नहीं होने चाहिए लेकिन मैं हाउस को बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आन- देवल जज ने फैसले में कानून की इन्टरप्रीटेशन रिटरोस्पैक्टिव डेट से की है। फर्स्ट

नवम्बर, 1966 को दो क्लास बन औफिसर—एक मिस्टर आई०सी० गुप्ता और दूसरे श्री एम० के० अग्रवाल हैं और 18 एक्सीयन जो क्लास वन औफिसर थे, इनको क्लास वन औफिसर ट्रीट किया है। फर्स्ट नवम्बर, 1966 में जब उनको क्लास वन औफिसर मान लिया, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के आनरेबल जज को क्रिटिसाइज नही करना चाहिए लेकिन चूंकि हाउस के माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया तो उसका जवाब देना निहायत ही जरूरी है। जिस औफिसर के बारे में आपत्ति उठाई गई है, वह राजा राम के बारे में है, जिन्होंने 1971 में एज ए असिस्टेंट एग्जैक्टिव इंजीनियर सर्विस ज्वायन की थी। उनका दो साल का प्रोबेशन पीरियड और पांच साल का एक्सपीरिएंस होना चाहिए था लेकिन उनकी यह कंडीशन पूरी नहीं थी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के आनरेबल जज ने यह फैसला कर दिया कि चाहे उनका प्रोबेशन पीरियड और पांच साल का एक्सपीरिएंस न भी हो, तो भी इनको फरोम दि डेट ऑफ ज्वायनिंग से एग्जैक्टिव इंजीनियर परमोट कर दिया जाए। इस तरह से उसको क्लास वन एक्सीयन मान लिया। इससे सारे डिपार्टमेंट में उथल पुथल हो गई। जैसे आनरेबल मैम्बर पौबरी वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि जब राजा राम निककर पहन कर प्राइमरी स्कूल में आता था, उस समय मिस्टर एस०पी० ग्रोवर, एक्सीयन होते थे। उसके बाद राजा ट्राम एस० ई० बन गया और मि० ग्रोवर चीफ इंजीनियर बन गए। मि० ग्रोवर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आनरेबल जज ने जो फैसला दिया, उसके कारण तीनों डिपार्टमेंट्स में उथल पुथल मच गई। स्पीकर साहब, पी

०डब्ल्यू०डी० में 14 क्लास वन ओफिसर हैं और लगभग 250 क्लास टू ओफिसर हैं। डिपार्टमेंट को चलाने के लिए और इस उथल पुथल से बचाने के लिए किस तरह से इस हार्ड-सिप को दूर किया जाए, इसीलिए हम यह बिल ले कर आए हैं। स्पीकर साहब, एक बात ओर जो जरूरी है, वह मैं हाउस को बताना चाहता हूँ। जो आदमी क्लास वन ओफिसर बन गए, उनका एच०पी०एस०सी० ने केस भी अप्रूव कर दिया। डायरैक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एच०पी०एस०सी० ने 1971 में इम्तिहान लिए और सरकार ने 1969 में क्लास टू आफिसर को क्लास वन ओफिसर बना दिया और उसको एच०पी०एस०सी० ने भी एप्रूव कर दिया और वह रैगुलर हो गए। इस तरह वे 1971 से पहले एग्जैक्टिव इंजीनियर बन गए। अध्यक्ष महोदय, 1971 में एस०डी०ओ० के इम्तिहान में एग्जैक्टिव इंजीनियर कैसे बैठेगा। यह एक पेचीदा सवाल था। 1971 के बाद 1977 में एग्जाम हुआ। 1977 के एग्जाम से पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ आदमी लिए और उनको क्लास-2 से क्लास-वन बना दिया, क्लास वन ओफिसर को रैगुलर ट्रीट कर लिया और इसको पब्लिक सर्विस कमीशन ने एप्रूव कर दिया। अगर हम यह अमेंडमेंट नहीं लाएंगे तो एक्सीयन चीफ इंजीनियर बन जाएगा और चीफ इंजीनियर, एक्सीयन बन जाएगा। जिस कारण विभाग को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो क्लास वन एग्जैक्टिव इंजीनियर हैं और जो एस०डी०ओ०, एक्सीयन रहे हैं, वे सीनियर आदमी से इस हिसाब से ऊपर आ जाएंगे तो फिर चीफ इंजीनियर का कहना कौन मानेगा? यदि एक सिपाही को डी०जी

०पी० लगा दिया जाए तो फिर जो उस सिपाही से ऊपर के अधिकारी हैं, जिनको इग्नोर करके उस सिपाही को डी०जी०पी० लगाया गया, उसका कह कौन मानेगा? कहना नहीं मानेगा तो काम कैसे चलेगा? इसलिए इस बिल को लाना बहुत जरूरी था। इस बिल से किसी को नुकसान होने वाला नहीं है। इसलिए इस चीज को मद्देनजर रखते हुए रिट्रोस्पैक्टिव डेट से यह बिल लाना पड़ा है। उस समय के 2 क्लास-वन औफिसर हमारे पास अब भी हैं। उनमें से एक तो अब इंजीनियर इन चीफ है। हमारे विभाग में 14 क्लास-बन औफिसर हैं। चौधरी सम्पत सिंह जी ने व चौधरी बंसी लाल जी ने बोलते हुए कह दिया कि वे सारे के सारे रिटायर हो गए हैं।

चौधरी बंसी लाल: मैंने कहा कि कोई रिटायर हो गया होगा, कोई मर गया होगा।

Chaudhri Amar Singh : Speaker Sir, Shri Raja Ram joined the department as Sub Divisional Engineer (as Assistant Executive Engineer) in (971 but Hon'ble Supreme Court has given seniority above Shri S.P. Grover, who was on the verge of becoming Superintending Engineer in 1971. Shri S. P. Grover joined the department in 1955 and Shri Raja Ram was at that time used to be student of primary classes. Shri S.P. Grover remained Chief Engineer/Superintending Engineer/Executive Engineer of Shri Raja Ram. This anomaly has occurred because Hon'ble Supreme Court interpreted the date of joining of Assistant Executive Engineer as Executive Engineer, whereas as per rules, an officer is supposed to

complete probation of 2 years besides passing departmental examination and 5 years of service before taking over as Executive Engineer. This also contradict the provision of recruitment of Executive Engineer directly. स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बरज को मैं बताना चाहता हूं कि इस बिल से किसी को न कोई नुकसान और न कोई लाभ हेने बा ला है। हम इस बिल से जो पब्लिक हैल्थ, पी ०डब्ल्यू०डी ० और सिंचाई विभाग के अधिकारियों में हार्डशिप थी, उसको दूर करने के लिए और नैचुरल जस्टिस देने के लिए यह बिल लाए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

Mr. Speaker : Question is-

That the Haryana Service of Engineers Class I Public Works Department (Buildings and Roads Branch), (Public Health Branch) and (Irrigation Branch), respectively Bill, 1995 be introduced.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Public Works (B&R) Minister will move the motion for its consideration.

Public Works (B&R) Minister : Sir, I also .move—

That the Haryana Service of Engineers Class I, Public Works Department (Buildings and Roads Branch), (Public Health Branch) and (Irrigation) respectively, Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Service of Engineers, Class I, Public Works Department (Building & Roads Branch), (Public Health Branch) and (Irrigation Branch) respectively, Bill be taken into consideration at once.

प्रो० सम्पत सिंह (भट्ट कला): स्पीकर सर, अभी चौधरी अमर सिंह जी कह रहे थे कि डिपार्टमेंट्स की हार्डशिप को दूर करने के लिए यह क्षण लाए हैं। स्पीकर सर, हार्डशिप के बैस्ट जज क्या चौधरी अमर सिंह जी हैं? इसका बैस्ट जज तो सुप्रीम कोर्ट है। जो भी कानून कायदे या हुक्म जारी होते हैं, उनकी हार्डशिप को कोर्ट में चालेंज किया जाता है। इस केस में जिनको हार्डशिप थी, जिसके बारे में यह कह रहे हैं, they went upto Supreme Court also और वहां उन्होंने सारी दलीले दी हैं। आज चौधरी अमर सिंह जी शायद कुछ दलीले भूल गए होंगे। साथ में इन्होंने एक रिटन पेपर पड़ दिया, कुछ भूल गए होंगे। स्पीकर सर, कोर्ट में कितने आरगुमेंट्स हुए होंगे, गवर्नमेंट ने इस पर इतना जबरदस्त खर्चा भी किया होगा। जो लोग इससे अफैक्टिड थे, उनके प्राईवेट वकील भी होंगे जिन्होंने आरगुमेंट्स किए होंगे। (विधन) स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अन्दर पूरी वकालत भी की होगी और जो आरगुमेंट्स इन लोगों ने देने थे, वे भी इन्होंने वहां दिए होंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आनरेबल जज ने फैसला दे दिया। अब हार्डशिप तो उसै आर०आर० श्यौरान के साथ थी, न कि किसी और के साथ। अब इन्होंने मिस्टर ग्रोवर का जिक्र कर दिया, वे

आनरेबल इंजीनियर रहे हैं जो अब तक रिटायर हो गए होंगे, अब ये कह रहे हैं कि उरको हार्डशिप हो रही थी। लेकिन आज तो उनको कोई हार्डशिप नहीं है (विघ्न) स्पीकर सर, सरकार ने उनको फेवर दे दी अब और क्यों फेवर करना चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब यह है कि इन्होंने उसको टू मेक मोर सीरियस कहा कि वह आदमी कच्चे में था या फलों था, अब एग्जैक्टिव इंजीनियर बन गया यह हो गया, और वह हो गया।। स्पीकर सर, वह बात भी सुप्रीम कोर्ट में आई होगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी कच्चे की बात को नहीं माना तो आज इस बात को ले कर ये क्यों बजिद हैं? फिर इन्होंने एग्जामिनेशन और प्रोबेशन की बात की। चौधरी अमर सिंह जी ने शायद इसको डीपली स्टडी नहीं किया होगा। स्पीकर सर, ये रूलज कोई आज के नहीं हैं। ये रूलज 1980 के हैं और और इनमें क्लीयर कट यह लिखा हुआ था कि एग्जैक्टिव इंजीनियर कैसे एप्वायंट होंगे बाई परमोशन होंगे, एस०डी ०ओ० की कम से कम दो साल की प्रोबेशन होगी और कम से कम 5 साल की सर्विस होगी, then they will be promoted as Executive Engineer. यह उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन की जरूरत थी और 50 प्रतिशत डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एच०पी०एस०आई० या दैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्दर एग्जामिनेशन दे कर क्लास- 1 का एग्जाम पास करेंगे, then they will be recruited directly. तो स्पीकर सर, इसमें प्रोबेशन की बात नहीं थी, प्रोमोशन के अन्दर प्रोबेशन की बात है। स्पीकर सर, दूसरी बात चौधरी अमर सिंह जी ने पेपर से पढ़ी जो रफ कागज

इनके आगे अकसरों ने कर दिया वही पड़ दिया। क्या किसी ने जैल भुगतनी है, इनको किसी ने गलत कागज दे दिया। आखिर में इनकी वो बात भी मान ही। स्पीकर सर, वह बात भी आनरेबल के कोर्ट में जरूर आई होगी। आज गवर्नमेंट चाहती है कि उस आदमी को नुक्सान पहुंचाया जाए। स्पीकर सर, एग्जाम में आम आदमी नहीं आ पाता, जो आते हैं, वे बड़े इन्टेलिजेंट इंजीनियरज होते हैं। उनका बड़ा टर्फ एग्जाम होता है, उसके बाद वे आते हैं। वहां यह नहीं कि कला पुलिस अफसर को डी ०जी ० बना दिया। इस सरकार में तो ऐसे लोग भी हैं जो सिपाही मुअ्तिल हैं या हवलदार मुअ्तिल हैं, लेकिन बाद में मिनिस्टर भी बने गए, होम मिनिस्टर बन गए, टीचर सस्पेंड हैं लेकिन बाद में एजुकेशन मिनिस्टर बन जाते हैं। सवाल यह नहीं है कि कौन क्या बन गया। हर आदमी को प्रोग्रैस करने का अधिकार है लेकिन इसके कारण नियम को ताक पर नहीं रखा जाता है। हर आदमी का राईट है, वह अपनी प्रोग्रैस कर सकता है, आगे जा सकता है इसलिए यह बातें कोई मायने नहीं रखती कि कौन कहां था और कहां आ कर बैठ गया। यह बात आनरेबल जज ने देखनी थी। स्पीकर साहब, इसी तरीके से यहां पर कंटैम्पट आफ कोर्ट की बात आ रही थी। कंटैम्पट का फैसला 1992 में हो गया था और उसके मांटे इन्होंने उसको परमोट करने में 3 साल इन्तजार की और फैसला होने के बावजूद उसको 1995 तक परमोट नहीं किया। अब आपने उसको परमोट कर दिया और अमी परमोट किए हुए 30 दिन ही हुए थे कि औप आज यह आडीनैस ले आए। आप इसको पहले क्यों नहीं

लेकर आए? आप कहते हैं कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि आप तो नुकसान ही पहुंचाते हैं। आप यह कहते हैं कि इंजीनियरिंग ने एसोसिएशन बनाई है, शायद इस कैसे से लड़ने के लिए एसोसिएशन बनाई है। आज उन्होंने पता नहीं क्या-क्या करके, सरकार के साथ नैंगोसिएशन करके या अपना केस आगे प्लीड करने या अपने केस में गो-थ्रू होने के लिए कोई न कोई डील जरूर की है, अदरवाईज आप इसमें इतना इन्ट्रस्ट क्यों लेते? मंत्री जी, सब लोगों को मालूम है कि उने इंजीनियरिंग ने क्या-क्या आपके सामने पेशकश कौ है और क्या-क्या हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से किसी आदमी के फंडामेंटल राइट को खत्म करना बहुत ही गलत बात है। स्पीकर साहब, इनके द्वारा कोर्ट की जजमेंट, इनका सोचने, का तरीका, उसको लेने की, तरीको सबका अपना अपना होता है। किसी मामले में कुछ, किसी में कुछ कह देते हैं, किसी में कुछ क्राईटेरिया और किसी में कुछ क्राईटेरिया अपनाते है। इस तरह से अगर आप मैरिट को अवाइड करेंगे तो ठीक बात नहीं है। यह मर्जी से काम करते कते हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको बता देता हूं कि इनकी मर्जी कहां-कहां पर आई है। (विघ्न) मैं आपको क्लोज-बाई-क्लोज बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष: यह आप बाद में बता देना।

प्रो० सम्पत सिंह: ठीक है जी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो पैरा न० 2 के लास्ट में आब्जेक्टस एण्ड रीजनज में लिखा है—

"Thus the directions of the Supreme Court in the case of B&R Branch had created a lot of Administrative problems with certain very junior officers getting undue seniority and becoming senior to the officers under whom they were previously working."

स्पीकर साहब, उनको अधिकार है और ये कह सकते हैं कि उन लोगों ने अन-ड्यू सिनयोरिटी ली है। अन-ड्यू सिनयोरिटी तो 20-22 साल पहले उन लोगों ने ली थी जौ उससे जूनियर थे। अध्यक्ष महोदय, जो आदमी खुद दइ कह रहा है कि उसने 1971 में क्लास- 1 की पोस्ट हासिल की है और आज जिस आदमी को 24 साल बाद उसका हक मिला है जो उसे 1971 में मिलना चाहिए था, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने उस को उससे नीचे, उतारा तो इन्हें इस बाते की तकलीफ हो रही है। यह तकलीफ इनसे इसे तज से दूर नहीं होगी। मैं चौधरी अमर सिंह जी को दोबारा बताना चाहता हू कि आप अगर इधर से उधर चले गए हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका हमारे से सम्पर्क टूट गया है। आप हमारे साथी हो। मैं तो आपको सिन्सीयर और औनैस्ट राय देना चाहता हूँ। आप खुद वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप उस मा स्वामी जज की जजमेंट को न भूलें। अगर कल को उन्होंने सजा सुना दी तो हमें भी तकलीफ होगी, हमें भी ठेस पहुंचेगी। आपके साथ नेहरा साहब को भी सजा होगी क्योंकि इनके पास इरिगेशन डिपार्टमेंट है लेकिन ये यह कह कर बच जाएंगे कि यह दिल चौधरी अमर सिंह लेकर आए थे, मैं नहीं लेकर आया था। अध्यक्ष महोदय,

इनके साथ तीन सीनियर आफिसर भी मारे जाएंगे। एक तो इरिगेशन कमिश्नर, पब्लिक हेल्थ कमिश्नर और बी० एण्ड आर० कमिश्नर को भी सजा हो सकती है। इसलिए स्पीकर सर, जब ये बार बार भुगत चुके हैं तो इनको इन बातों से बचना चाहिए। सर, एक आदमी जो जेल में बैठा है, उसी जज की जजमेंट की वजह से, तो हम नहीं चाहते हैं कि चौधरी अमर सिंह जी भी इसी तरह से जेल में जाएं। वैसे यह बात यह सरकार, नेहरा साहब और भजन लाल जी भी चाहते हैं, इसलिए यह बिल ये स्वयं लेकर नहीं आए हैं वरना स्वयं लेकर आते या फिर और भी वजीर हैं, वे लेकर आते।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: अगर हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 15 मिनट और बढ़ा दिया जाए ?

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, हाउस का समय 15 मिनट और बढ़ाया जाता है।

बिल (पुनरारम्भ) –

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा): स्पीकर सर, आप इनसे कहें कि ये रैलेवैन्ट ही बोलें।

प्रो० सम्पत सिंह: यह सब रैलेवैन्ट ही है, और क्या रैलेवैन्ट होगा ? (विघ्न) श्रीमती शांति राठी के पास भी महकमा है, ये इस भली औरत को भी फंसाएंगे, उसको बलि का बकरा बनाएंगे। (व्यवधान)

चौधरी जगदीश नेहरा: स्पीकर सर, क्या यह रैलेवैन्ट है? बलि का बकरा बनाने वाली कोई बात नहीं है। ये तो यूं ही बता रहे हैं। सम्पत सिंह जी आपने मी तो बहुत से एक्ट बनाए थे जो नल एंड वाइड हुए हैं। अगर ऐसा होगा तो आप भी जेल में ही होते, जेल से बाहर न निकलते। आपने जो एस बनाए थे, उसमें से बहुत से एक्ट्स में सुप्रीम कोर्ट ने उलट कहा है, इस तरह अब तक तो आप भी जेल में ही होते। (विघ्न)

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Service of Engineers, Class I Public Works Department (Buildings and Roads Branch) (Public Health Branch) and (Irrigation Branch) respectively Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the bill Clause by Clause.

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मैं सभी क्लोजिज पर इकट्ठा ही बोल लेता हूँ। इस दिल की सब—क्लाज 2 आफ क्लोज 5 में इन्होंने यह लिखा है कि—

"(2) Recruitment to the Service shall be so regulated that the number of posts filled by promotion from Class II service shall not exceed 50% of the strength of service excluding the posts of Assistant Executive Engineers:

Provided that if adequate number of Assistant Executive Engineers, who are eligible and fit for promotion are not available, the posts in service even beyond 50% shall be filled up by promotion of members of Class II service or by transfer as may be decided by the Government."

इसके बाद एक क्लोज में तो इन्होंने यह प्रोवीजन कर दिया परन्तु आगे चलकर इन्होंने सब-क्लोज सात में यह लिखा है कि—

"(7) That in exceptional circumstances, for reasons to be recorded in writing, Government will have the powers to alter the percentage specified in sub-section (2) of this Section."

वाक आऊट

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। सर— हिन्दुस्तान के विधान में कानून बनाने के तीन तरीके हैं एक तो असैम्बली से, दूसरा एग्जिक्यूटिव से और तीसरा जूडीशियरी से। जूडीशियरी से जो रूलिंग जाती है वह कानून बन जाता है। इसी किस्म के केस में जैसे लीडर आफ दी अपोजीशन ने बताया कि ऐसे ही एक केस में एक सेक्रेटरी को एना भी सुप्रीम कोर्ट ने की है। यह सजा उसी बैच ने की है

जिसका यह फैसला था। तो मैं यह समझता हूँ कि ऐसा बिल नहीं लाना चाहिए। अध्यक्ष महोदश इन्होंने इस बिल के ओब्जेक्टरीस एण्ड रीजंज में सीधा लिखा है कि इस बिल का परपज यही है कि सुप्रीम कोर्ट के डिस्मिसन को, जजमेंट को नल एण्ड वाक्य किया जाए, उसको डिक्लीट किया जाए। इस किस्म के कानून को बनाने के लिए या पास करते के लिए मगर असैम्बली इजाजत दे देती है तो हम इस बिल को पास रूने में पार्टी नहीं बनना चाहते, इसलिए इसके विरोध में वाक आउट करते हैं।

(इस समय श्री बंसी लाल सहित हरियाणा विकास पार्टी के समस्त उपस्थित सदस्य इस बिल के विरोध में वाक आउट कर गए)

बिल्ज (पुनरारम्भ)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, जो यह क्लोज सात है, इसमें आपने देखा ई कि कितनी आर्बीट्रेरी है। मैं इसके दोबारा पढ देता हूँ—

At page 5, sub-clause (7) of clause 5 reads as under :—

"That in exceptional circumstances, for reasons to be recorded in writing. Government will have the power to alter the percentage specified in subsection (2) of this section.

इसमें लिखा है कि परमोशन कोटे को आल्टर किया जा सकता है, उसको चेन्ज किया जा सकता है और वह भी टाईम टू टाईम। इसमें सिर्फ रीजन ही लिखते हैं, रीजन लिखने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर सरकार कुछ पोस्टो को परमोशन के हारा देना चाहती है तो जो सरकार कह देगी, वह कर देगी कि हम ने इस डायरैक्ट कोटे को कम किया है और फलां कर्मचारी को परमोट कर दिया। इसी तक कल को सस्कार यह भी कह देगी कि डायरैड कोटे क्रो हम ज्यादा मौका देना पकते हैं तो इस परसैन्टेज को 50 परसैन्ट पर ले आएगी। इसका मतलब हइ हुआ कि सरकार को इस बात की डिसक्रीशन मिल गयी है। इस तरह से सरकार को डिसक्रीशन देना एक गलत बात होगी, वरना सरकार कल को दो परसैन्ट तक भी कर देगी। 20 पोस्टें एग्जेक्टिव इंजीनियर्ज की खाली पड़ी हैं और एक तरफ 10- 10 जानी है परन्तु सरकार यह चाह रही है कि उनमें से 19 परमोशन हारा भरनी है तो भर लेगी और अगर सरकार चाहेगी कि 10 ही भरनी हैं तो 10 ही भरेगी। यह तो स्पीकर साहब, अपने आप ही आबीट्रेरी हो गया। इतनी डिसक्रिशनरी पावर्ज हम सरकार को देने जा रहे हैं। या तो यह क्लीयर कट इसके अन्दर आ जाता कि 'नो' 50 परसैन्ट को हम नहीं मानते, हम तो 25 डायरैक्ट करेगे या 10 डायरैक्ट करेगे या पांच करेगे, लेकिन स्पीकर साहब, इसको आल्टर करने का सारा हक सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, यह गलत बात है। जो कुछ सरकार चाहेगी अपनी मर्जी से करेगी। स्पीकर साहब, आप भी हाउस की ओर देख ले, बहुत से ऐसे

मैम्बर्ज इनकी तरफ के हैं जिनको मैं देख रहा हूँ कि वे मेरी हां में हां मिला रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वे पार्टी के बन्धन से बन्धे हुए हैं लेकिन वे किसी कारण से बोल नहीं रहे हैं। कैबिनेट का जो फैसला होता है, वह सब को मान्य होता है, चाहे वह गलत ही क्यों न हो। इनकी और से 6 सात मिनिस्टर्ज जैसाकि मैंने देखा है, वे मेरी हां में हां मिलाकर अपना सिर हिला रहे हैं। (शोर) दूसरी बात यह है कि जो इंजीनियर्ज हरियाणा की यूनिवर्सिटीज से पास करेगे बी०ई०, एम०ई० करेगे, चाहे वे मूरथल कालेज हैं, चाहे कुरुक्षेत्र का इंजीनियरिंग कालेज है, चाहे हिसार का इंजीनियरिंग कालेज है, वे हरियाणा में नौकरी पाने योग्य नहीं होंगे। (शोर) चौधरी अमर सिंह जी, जब यह बिल आ रहा था, शायद आपने बिल बनाते वक्त ध्यान नहीं किया। मैं इस बिल की क्लोज 6 का पार्ट (ए) आपको पढ़कर सुना देता हूँ—

"(a) in case of appointment by direct recruitment, possesses one of the University degree or other qualifications at specified in Appendix B of this Act....."

औनडिक्स (बी) में दिया हुआ है कि इन यूनिवर्सिटीज से जो बी०ई० करेगा, उन को डायरेक्ट रिक्रूट किया जाएगा। इसी अपैनडैक्स (बी) में अगर आप देखेंगे तो आप को पता चलेगा कि कहीं पर भी हरियाणा की किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिया है। मुझे तो कहीं पर दिखायी नहीं दिया। सारी रात मैं खपता रहा और देखता रहा, मुझे कहीं पर भी हरियाणा की किसी यूनिवर्सिटी का नाम दिखायी नहीं दिया। इसका मतलब यह हुआ कि जिस

आदमी ने बी०ई० किसी हरियाणा की यूनिवर्सिटी से की हुई है, वह इसके लिए एलिजीबल नहीं होगा। चौधरी अमर सिंह जी, बिल के पेज 16 को आप खोल कर देख लें, आपको पता लग जाएगा। इस पर देश की, विदेश की यूनिवर्सिटीज का जिकर है लेकिन हरियाणा की किसी यूनिवर्सिटी का जिकर कहीं पर नहीं है। या तो यह इनके पार्ट पर लैप्स हो गया है या फिर 1960 का पुराना जो एक्ट था, वह इन्होंने यूं का यूं उठाकर ठोक दिया। कहीं हरियाणा की यूनिवर्सिटी का जिकर हो तो मैं इसके लिए देनदार हूँ। स्पीकर साहब, 18 से 19 पेजों पर इन यूनिवर्सिटीज के नाम हैं लेकिन इसमें हरियाणा की किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारी यूनिवर्सिटीज से जो लडके डिग्रीज लेंगे, उनको कोई फायदा नहीं होगा और वे हरियाणा में अप्वायंट नहीं हो सकेंगे। इसलिए मैं अपनी बात को जस्टीफाई करता हूँ कि ये लोग जल्दी में इस बिल को लेकर आए हैं। जब जल्दी में बात होती है तो आदमी अंधा हो जाता है, किसी बात को गहराई से पढ़ता नहीं है। इस बिल के जरिए ये बच्चों का फ्यूचर खत्म करना चाहते हैं। क्या ये इसी तज से न्याय करेंगे? क्या फायदा है हमारे यूनिवर्सिटीज को इतनी इतनी ग्रांटस देने का? आपको पता है कि रात को पढ़ पढ़ कर बच्चों की आंखें अभी हो जाती हैं, उसके बाद वे इंजीनियर बनते हैं। आप ही बताए कि इस बिल में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी का नाम आया है? इस तरह से यह लने आर्बिट्रेरी एक्शन लेने जा रहे हैं और बिल को जल्दी में पास

करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को अपने कदम यहीं रोक देने चाहिए और यह बिल वापिस लेना चाहिए।

लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मन्त्री (चौधरी अमर सिंह): स्पीकर साहब, यह बिल 1960 के रूल के मुताबिक है। हमारे यहां अभी भी बहुत से एक्ट हैं जो पुराने नाम से ही चल रहे हैं। जैसे कामन पंजाब लैंड एक्ट है। इसी तरह से दूसरे एक्ट हैं जिनमें पंजाब का नाम होता है। पंजाब इनक्लूडिंग हरियाणा है। तो 1960 के रूल के मुताबिक यह सारा थ्रैश आउट हुआ है। इसलिए हरियाणा को इग्नोर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

प्रो० सम्पत सिंह: इसमें तो हरियाणा की किसी यूनिवर्सिटी का जिक्र ही नहीं

Chaudhri Amar Singh : At page 19 of this Bill, it is mentioned.

"C. The examination for such other Diploma or Distinction in Engineering as the Government of Haryana in the concerned Department or the advice of the Commission may specify in this behalf

प्रो० सम्पत सिंह: इसका क्या मतलब है, यह तो अलग बात है? जब इतनी यूनिवर्सिटीज के नाम इसमें हैं तो हरियाणा का नाम क्यों नहीं है? अगर कल को कोई आर्बिट्रेरी सरकार आ जाती है तो वह कह देगी कि हम इस यूनिवर्सिटी को नहीं मानेंगे। आप इस बात को गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट पर क्यों छोड़ रहे हैं?

चौधरी अमर सिंह: स्पीकर साहब, ये रैपीटिशन इतनी करते हैं कि दूसरे को बोलने ही नहीं देते और इनकी अनाप-शनाप, बेबुनियाद इल्जाम लगाने की आदत है।

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) : If you will read part (C) of Appendix B, then you will realise and come to the conclusion that whatever Shri Amar Singh was saying is correct. In part (C), it is mentioned—

"The examination for such other Diploma or Distinction in Engineering as the Government of Haryana in the concerned Department. . .

It means the concerned department. There are three departments. Obviously when there are three departments then the concerned department can have this discretion.

इसके साथ ही इसमें हरियाणा कमिशन की एडवाइस का भी जिक्र है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि इसमें यह बात कवर-अप होती है। मान लिया कल को कोई नया इंजीनियरिंग कालेज बनाया जाता है, क्योंकि तीन साल के बाद और नई टैक्नीकल एजुकेशन आ जाएगी और उसके हिसाब से नया इंजीनियरिंग कालेज बन जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, वह माना जाएगा। जहां तक इंजीनियरिंग कालेज का सवाल है, हरियाणा सरकार का ज्यादा स्टैरस यही है कि स्टेट में ज्यादातर इंजीनियरिंग कालेज खोले जाएं और स्टेट में टैक्नीकल एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा हों। यह प्रावधान भी इसमें कवर्ड-अप है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: अगर हाउस सहमत हो तो हाउस का समय 10 मिनट और बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी

श्री अध्यक्ष: ठीक है, हाउस का समय 10 मिनट और बढ़ाया जाता है।

बिलज (पुनरारम्भ)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, अगर नेहरा साहब जी की बात को मान लिया जाए तो फिर मैं कहना चाहता हूँ कि पार्ट ए० एण्ड बी० की क्या जरूरत है? यह गवर्नमेंट को ही करना है तो इस क्वालिफिकेशन के आदमी, चाहे उन्होंने कहीं से एग्जाम पास की हो, को इन्ट्रव्यू के लिए बुला सकते हैं।

चौधरी जगदीश नेहरा: स्पीकर साहब, ए० एण्ड बी ० की इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो बोगस सर्टिफिकेट देती हैं। इन के बारे में आज भी बहुत सी इन्कवायरी चल रही हैं। इरीगेशन डिपार्टमेंट, पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट और पी ० डब्ल्यू० डी० में बहुत से लोग नेपाल की यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट ले आए हैं और वे कहते हैं कि हम यहां एग्जाम देंगे, लेकिन कमिशन के पास उनके नाम नहीं हैं। पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट में कम से कम 50 ऐसी इन्कवायरी चल रही हैं

जिनके पास बोगस सर्टिफिकेट हैं, वे लोग सर्विस में भी लग गए। इसलिए यह स्पैसिफाई करना जरूरी था। हम भी अपना स्पैसिफिकेशन करे, क्या पता, हम दो कालेज आगे और खोलेंगे या तीन खोलेंगे या एक खोलेंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से जो असिस्टेंस आ रही है, वह बहुत ज्यादा तादाद में आ रही है। इसीलिए हिसार में यह यूनिवर्सिटी खोलनी पडी है। मेरी गुजारिश है कि इसमें सारी बातें कवर अप होती हैं। मेरे विरोधी पक्ष के भाई केवल इसका विरोध करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। मेन मुद्दा यही है कि तीनों डिपार्टमेंट्स में जो रेशो है, वह पचास परसेंट बाई परमो-शन है और पचास परसेंट बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इस बिल को लाने की यही वजह है। This is the clinching point which is coming up in all these clauses. पचास परसेंट बाई परमोशन है। परमोशन में तो जो ज०ई० हैं, एस०डी० ओ० हैं और एक्सीयन हैं, वे प्रमोट हो जाते हैं लेकिन जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, उसके लिए एच०पी० एऊस०सी० रिक्रूटमेंट करता नहीं है। He himself has admitted. कि 1971 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम हुए और उसके बाद 1977 में हुए। उन 6 सालों में जो 50 परसेंट बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोटा है, वह कहां ऋ जाएगा और जो बाई परमोशन का 50 परसेंट कोटा है वह पूरा कर लिया तो वे लोग कहां से कहां चले जाएंगे। इसमें एक आदमी नहीं है, इसमें दो चार आदमी इन्वाल्ड हैं। इसके अलावा जो एक्स काकर पोस्टें हैं, उन्होंने भी 50 परसेंट कोटे में से 30 या 40 परसेंट कोटा ले रखा है। जो 70- 80 परसेंट कोटे

वाले ओफिसर्ज हैं, वे आज एस०ई० बन गए, कई चीफ इंजीनियर बन गए और बहुत से रिटायर भी हो गए। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का 50 परसेंट कोटा है, उसमें अगर आज कोई परमोट होता है तो वह नई रिक्रूटमेंट तक पता नहीं कहां का कहां चला जाएगा। इसलिए स्पीकर साहब, जो इन्होंने क्लाज बाई क्लाज डिस्कशन की है, इसको मैं स्पैसिफाई करूंगा। जो क्लाज पांच है, उसका (बी) पार्ट है और उसमें आगे प्रोवाइडिड भी है। उसमें कलिचिंग प्वायंट यह है कि

"Provided that if adequate number of Assistant Executive Engineer, who are eligible and fit for promotion are not available "

डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में यदि ए०ई०ई० अवेलेबल नहीं होगा तो लिखा है—

"..the posts in Service even beyond 50% shall be filled up by promotion of members of Class II service or by transfer as may be decided by Government."

हमारे इरीगेशन डिपार्टमेंट में 108 एस०डी ०ओज० की पोस्टें खाली पड़ी हैं लेकिन हम किसी को परमोट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। हम 40 आदमियों को परमोट कर सकते हैं लेकिन जो 60 पोस्टें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की हैं, हम उनको नहीं भर सकते। यह मैं एस०डी ०ओ० क्लास टू की पोस्ट पर परमोशन के बारे में कह रहा हूँ। इसी तरह से एकजैविटव इंजीनियर की बात है। ए०ई०ई०

एक साल में दो आ गए या चार आ गए एक साल में। आप इरीगेशन डिपार्टमेंट को ही ले लीजिए। इरीगेशन डिपार्टमेंट में 144 एग्जैक्टिव इंजीनियर हैं और 364 एस०डी०ओ० परमोशन में आने के लिए तैयार बैठे हैं और उधर उन दो आदमियों का बैलेंस कैसे होगा? इसके आगे क्लाज-2 में यह ओब्जेक्शन है जिस के बारे में ये सरकार पर इलजाम लगाते हैं, that is In exceptional circumstances. एक तरफ तो 40- 50 पोस्टें खाली रह गयो ओर जो पोस्टें खाली हैं, इन पर सरकार कोई परमोशन नहीं कर सकेगी जब तक उनकी परसैन्टेज तबदील न की जा सके, इसलिए यह क्लाज लायी गई है। इसमें एक दो आफिसर्ज को इनकम्बीनियंस हो सकती है और जो परमोटी हैं, उनका भी नुकसान न हो, इसलिए यह बिल लाया गया है।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बात कही कि कुछ बोनस यूनिवर्सिटीज हैं। (विघ्न) जिन जिन यूनिवर्सिटीज को आप ठीक समझते हैं उनकी बाकायदा एक लिस्ट जारी होनी चाहिए। उनका नाम आना चाहिए। ज्यों ज्यों नई यूनिवर्सिटीज बनती हैं या कालेजिज बनते हैं, उनका नाम भी जोड़ लिया जाता है। इनको किसी यूनिवर्सिटीज का नाम देने में क्या एतराज है? मेरे कहने का मतलब है कि जो कोई नया कालेज खुलेगा वह किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अधीन तो होगा ही। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जो 50- 50 परसैट विकेसीज रखी हैं, वह कोटा तो अब भी आपने रखा है, 50 परसैट कोटा रख कर आप

डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने हर साल एग्जाम क्यों नहीं लिए? अध्यक्ष महोदर, ज्यूडिशियरी में भी परमोशन है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अगेन्सट भी आते हैं। आप भी वकील हैं, ज्यूडिशियरी के अन्दर एडीशनल सेशन जज डायरेक्ट तथा परमोशन से भी आते हैं। जिस दिन से एडीशनल पोस्ट आती है, उसी दिन से उसको लागू माना जाता है। इनका यह कहना ना वाजिब है कि इसे पास कर दिया जाए। जिसने 20-25 साल लड़ाई लड़ी है, वह कुछ तो 2-3 साल में रिटायर हो गए, उन्होंने सारी उमर लड़ाई लड़ी है। अगर उनको परमोशन मिल जाए तो एतराज क्या होगा? इन्होंने एनुअल एग्जामिनेशन कराने का सिस्टम एडोप्ट नहीं किया और यदि नहीं किया तो इसमें किसी इंडीविजुअल का क्या दोष है? जिस जिस साल जितनी विकेंसीज आती रहें, उन विकेंसीज के हिसाब से सालाना एग्जामिनेशन कराते रहे। किसी साल 10 आ जाये, किसी साल 20 आ जायेंगे तो फिर किसी को कोई एतराज नहीं होगा।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: अगर हाउस की सहमति हो तो हाउस की कार्यवाही पांच मिनट और बढ़ा दी जाए।

आवाजें: ठीक है।

श्री अध्यक्ष: हाउस का टाईम पांच मिनट के लिए बढ़ाया जाता है। (विधन)

वाक आऊट

प्रो० सम्पत सिंह : यह बिल सरकार की मन्शा को जाहिर करता है। इसलिए मैं चौधरी अमर सिंह जी तथा सरकार से कहूंगा कि वे इस बिल को वापिस ले लें। The Government should take back this Bill as this Bill is biased, discriminatory, arbitrary and against the fundamental rights. इसलिए हम सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय जनता पार्टी के उपस्थित सभी सदस्य सदन से वाक आउट कर नए)।

बिलज (पुनरारम्भ)

Sub-clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-clause (3) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (3) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 25

Mr. Speaker : Question is-

That clauses 2 to 25 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

ENACTING FORMULA

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the P.W. & R. (B&R) Minister will move that the Bill be passed.

Public Works (B&R) Minister (Chaudhri Amar Singh) Speaker, Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—That the Bill be passed.

The motion was carried.

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा) अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि आपने उनके नो-कांफिडेंस मोशन को इन आर्डर कहा है लेकिन रूल के तहत बाद में उनकी गिनती होनी थी।

श्री अध्यक्ष: वह आज नहीं कल होनी है। (विधन)

The leave shall be granted tomorrow.

चौधरी जगदीश नेहरा: आपने नो-कांफिडेंस मोशन के वक्त कहा था यह इन आर्डर होना चाहिए। उसके लिए गिनती होनी है।

श्री अध्यक्ष: कल का बिजनैस लास्ट में आएगा।

चौधरी जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, आप उसके लिए टाईम अलाट करेंगे तभी उस पर डिस्कशन हो सकेगी। आपु स्म 65(2) देखिए। इसमें लिखा है:—

"If the- Speaker is of opinion that the motion is in order he shall read the motion to the Assembly 'and shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places, and if not less than eighteen members rise accordingly, the Speaker shall intimate that leave is granted and that the motion will be taken on such day, not being more than ten days from the day on which the

leave is asked, - as he may appoint. If less than eighteen members rise, the Speaker shall inform the member that he has not the leave of the Assembly."

श्री अध्यक्ष: यह कल के लिए है।

चौधरी जगदीश नेहरा: स्पीकर सर, आपने इसके लिए 1.00 बजे के लिए कहा था। आपने इसको एडमिट नहीं किया था। मैं ऐतराज कर स्ट्रा था। उन्होंने मोशन मूव नहीं किया।

श्री अध्यक्ष: वह मैंने कल के लिए कहा था। Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M., tomorrow, the 29th September, 1995.

16. 00 hrs.

(The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. the 29th September, 1995.)